

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का  
प्रतिवेदन**

**ऑयल इण्डिया लिमिटेड के  
हाइड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयास**

**मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए**

**संघ सरकार (वाणिज्यिक)  
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
2015 की संख्या 42  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)**

# विषय-सूची

|                   | विषय  | पृष्ठ          |
|-------------------|---|----------------|
|                   | प्राक्कथन   | i              |
|                   | कार्यकारी सार   | iii - xi       |
| <b>अध्याय – 1</b> | प्रस्तावना  | <b>1 – 14</b>  |
| <b>अध्याय – 2</b> | लेखापरीक्षा ढाँचा                                       | <b>15 – 18</b> |
| <b>अध्याय – 3</b> | हाइड्रोकार्बन रिजर्व अभिवृद्धि के प्रति ओआईएल के प्रयास | <b>19 – 31</b> |
| <b>अध्याय – 4</b> | सर्वेक्षण प्रक्रिया में दक्षता और मितव्ययिता            | <b>32 – 42</b> |
| <b>अध्याय – 5</b> | ड्रिलिंग प्रचालन में दक्षता और मितव्ययिता               | <b>43 – 61</b> |
| <b>अध्याय – 6</b> | अन्वेषण प्रयासों की प्रभावकारिता                        | <b>62 – 80</b> |
| <b>अध्याय – 7</b> | अन्वेषण कार्यकलापों की मॉनीटरिंग                        | <b>81 – 91</b> |
| <b>अध्याय – 8</b> | निष्कर्ष एवं सिफारिशें                                  | <b>92- 95</b>  |
|                   | अनुबंध  | <b>97-117</b>  |
|                   | सन्दर्भ की सूची   | <b>118</b>     |
|                   | तकनीकी शब्दों की शब्दावली                               | <b>119-124</b> |
|                   | संकेताक्षरों की सूची                                    | <b>125-126</b> |

## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 एवं निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देशों के अनुसार यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), एक राष्ट्रीय तेल कंपनी (एनओसी) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन, कच्चे तेल के परिवहन तथा लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के उत्पादन में लगे है। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा भारत सरकार के हाईड्रोकार्बन विजन 2025 को पूरा करने के लिए ओआईएल की तैयारी की जांच करने के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह देखने का प्रयास किया कि क्या ओआईएल के अन्वेषण प्रयास समुचित योजना के साथ किये गये थे और इसे अपने तथा राष्ट्र के परिकल्पित हाईड्रोकार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुशल और प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया गया है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ओआईएल प्रबंधन, महानिदेशक हाईड्रोकार्बन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किये गये सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है।

## कार्यकारी सार

### 1. प्रस्तावना

भारत में निजी क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन (ई और पी) भारत सरकार के 1991 के निर्णय से संबंधित है, जब विदेशी और निजी क्षेत्र कम्पनियों को तेल और गैस क्षेत्रों के विकास में सहभागिता हेतु आमंत्रित किया गया था, जिन्हें (राष्ट्रीय तेल कम्पनियों) और शेष (एनओसीज़) द्वारा खोजा या आंशिक रूप से विकसित किया गया था। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनइएलपी) हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कंपनियों दोनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए 1997-98 के दौरान भारत सरकार (जोओआई) द्वारा तैयार की गई थी। फरवरी 1999 से एनइएलपी लागू हुई। तब से, केवल प्रतियोगितात्मक बोली प्रणाली के माध्यम से अन्वेषण के लिए लाइसेंस प्रदान किए जा रहे हैं। एनइएलपी के अंतर्गत, एनओसीज़ को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसों (पीइएलज़) को प्राप्त करने के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ समान स्तर पर प्रतियोगिता करने की आवश्यकता है। 31 मार्च 2014 तक, भारत सरकार ने गहरे पानी, छिछले पानी और तटीय श्रेणी के विभिन्न बेसिनों में अन्वेषण ब्लॉकों हेतु बोली के लिए कम्पनियों को आमंत्रित करते हुए 1999 और 2010 के बीच नौ राउंड घोषित किये।

देश के आर्थिक विकास में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और दीर्घावाधि नीति अर्थात् 2025 तक भारतीय तलछटी बेसिनों के 100 प्रतिशत अन्वेषण के मद्देनजर हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए, मार्च 2000 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 तैयार किया।

आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयास (2009-10 से 2013-14 पर उपर्युक्त पृष्ठभूमि के प्रति एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा ने यह देखने का प्रयास किया कि क्या ओआईएल के अन्वेषण प्रयास अपना और राष्ट्र के परिकल्पित हाइड्रोकार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुचित योजना व दक्षता और प्रभावकारिता के साथ कार्यान्वित किए गए थे। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:

### 2. मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### हाइड्रोकार्बन रिजर्व संचयन के लिए ओआईएल के प्रयास

2.1 हाइड्रोकार्बन रिजर्व की निवल वृद्धि केवल संभावित श्रेणी के अंतर्गत थी। रिजर्व अनुमान का कार्य 1967 से ओआईएल की इन हाऊस टीम के द्वारा किया गया था। यद्यपि, 2पी (प्रमाणित एवं संभावित रिजर्व) श्रेणी के तेल रिजर्व में वृद्धि हुई, यह 1पी

(अर्थात प्रमाणित) श्रेणी के अंतर्गत कम हुआ था। 3पी (अर्थात संभव) श्रेणी के अंतर्गत तेल रिज़र्वों की कमी होना अन्वेषण गतिविधियों द्वारा नये क्षेत्रों के न जोड़ने को दर्शाता है। सभी श्रेणियों के अंतर्गत 2009-10 से 2013-14 तक गैस रिज़र्व में कमी आई है। इस प्रकार, ओआईएल ने हाईड्रोकार्बन क्षेत्र के भावी सतत विकास के लिए आवश्यक रिज़र्वों को साबित करने में कम निष्पादन किया। (पैरा 3.1)

2.2 वर्ष के दौरान ड्रिलिंग के लिए योजनाबद्ध और विगत वर्ष के सफल अन्वेषण ड्रिलिंग के कुल अन्वेषण कुओं की कुल संख्या के मद्देनजर रिज़र्व अभिवृद्धि लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। भारत में, ओआईएल की मुख्य अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियाँ असम और असम-अराकान और राजस्थान में की गई। असम और असम-अराकान में वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान, रिज़र्व अभिवृद्धि के संबंध में मूलतः कमी की प्रवृत्ति थी। ओआईएल ने विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में रिज़र्व अभिवृद्धि के लिए अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किये। लक्षित मात्रा का केवल 59 प्रतिशत कुल रिज़र्व अभिवृद्धि था। (पैरा 3.2)

2.3 रिज़र्व प्रतिस्थापन अनुपात (आरआरआर) नये रिज़र्व अभिवृद्धि और उत्पादित तेल के बीच संबंध को आंकता है। जो कि दर्शाता है कि एक तेल कंपनी अपने उत्पादन को कितने अच्छे से प्रतिस्थापन में बदलती है। यद्यपि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान असम और असम-अराकान में ओआईएल ने 1 से अधिक आरआरआर प्राप्त की, फिर भी अंतिम रिज़र्व अभिवृद्धि में कमी की प्रवृत्ति ही देखी गई। परिणामस्वरूप, आरआरआर में 2009-10 में 1.84 से 2013-14 में 1.31 तक कमी की प्रवृत्ति देखी गई। (पैरा 3.3)

2.4 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान नामांकन अवधि<sup>1</sup> के अंतर्गत असम और असम - अराकान में ओआईएल ने 33 हाईड्रोकार्बन खोजों की जिसमें मुद्रीकृत की जाने वाली चार खोजें भी शामिल हैं। मुद्रीकरण के लिए लंबित चार खोजों में से, तीन खोजें वर्तमान में तकनीकी - आर्थिक रूप से क्षेत्र विकास के लिए अच्छी नहीं थी और एक खोज अभी भी प्रोत्साहन के लिए प्रतीक्षित है। (पैरा 3.4)

2.5 एनइएलपी में, ई और पी क्षेत्र में तकनीकी अनुभव वाली एक एनओसी होने के बावजूद भी, ओआईएल का निष्पादन उद्योग पिअर्स में पिछड़ गया। एनइएलपी अवधि के दौरान कुल खोजों में से, ओआईएल ने राजस्थान में पूनम कुएं में केवल एक खोज

<sup>1</sup> 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंस निति के आरंभ होने से पहले, राष्ट्रीय तेल कंपनियों जैसे ओएनजीसी और ओआईएल को नामांकन आधार पर अन्वेषण हेतु ब्लॉक प्रदान किये गये थे और उन्हें “नामांकन ब्लॉक” कहा जाता है।

की जिसे अभी भी मुद्रिकृत (अप्रैल 2015) किया जाना है जबकि यह खोज जुलाई 2012 में की गई थी। (पैरा 3.4)

### सर्वेक्षण प्रक्रिया में दक्षता और मितव्ययिता

2.6 ओआईएल 2 वर्षों का छोड़कर संशोधित योजना लक्ष्य के संबंध में 2डी सर्वेक्षण के अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। इसी प्रकार, यह 3डी में 3 वर्षों के अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। ओआईएल ने योजना आयोग के बारहवीं पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों से पहले दो वर्षों में दोनों 2डी और 3डी में लक्ष्यों को बहुत अधिक कम कर दिया। (पैरा 4.1)

2.7 इन हाऊस सर्वेक्षण कार्य करने के लिए ओआईएल द्वारा समयबद्ध अधिग्रहण, प्रसंस्करण एव व्याख्या संपूर्णता के लिए कोई नियम बनाये/निर्धारित नहीं किये गये। नियमों के अभाव में, ओआईएल द्वारा सर्वेक्षण कार्य की समय-बद्धता पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सका। 10 पूर्ण किये गये सर्वेक्षण निर्माण कार्यों के संबंध में, एपीआई चक्र पूरा करने के लिए 472 और 2005 दिनों के बीच समय लिया गया और चालू कार्यों के 13 सर्वेक्षण के संबंध में, डाटा की प्राप्ति/प्रसंस्करण पूरा होने के बाद 330 दिनों से 2069 दिनों तक भी निर्माण कार्य अपूर्ण थे। आऊटसोर्स सर्वेक्षण के मामले में, जांचे गये 12 संविदाओं में से 9 संविदाओं (75 प्रतिशत) में 1 महीने से 20 महीनों के बीच का समय लिया गया। (पैरा 4.2.1 और 4.2.2)

2.8 सर्वेक्षण संविदा की जांच से ठेकेदार को अवांछित लाभ, अपूर्ण कार्य योजना के प्रति जुर्माने का भुगतान और मूल्य वृद्धि के बिना सर्वेक्षण कार्यों पर व्यय के कारण संविदा में कमियों का भी पता चला। (पैरा 4.3)

### ड्रिलिंग ऑपरेशन में दक्षता और मितव्ययिता

2.9 अन्वेषण ड्रिलिंग में, 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग में काफी कमी हुई थी। विकसित ड्रिलिंग में, 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान कुओं की ड्रिलिंग में काफी अधिक कमी हुई थी। ओआईएल विकसित ड्रिलिंग (48 से 66 प्रतिशत के बीच) पर अधिक और अन्वेषण ड्रिलिंग (34 से 52 प्रतिशत के बीच) पर कम निर्भर थी जिसके परिणामस्वरूप विकसित ड्रिलिंग की अपेक्षा अन्वेषण ड्रिलिंग में कमी आई। अन्वेषण प्रयासों को कम प्राथमिकता देने के कारण हाईड्रोकार्बन विजन 2025 तक परिकल्पित हाईड्रोकार्बन के नये क्षेत्र जोड़ने के संपूर्ण उद्देश्य को कमजोर कर दिया। (पैरा 5.1.1.1)

2.10 ड्रिलिंग रिगों की दक्षता वाणिज्यिक गति और चक्र गति के आधार पर अंकलित की जाती है। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अपनी और किराये पर ली गई रिगों की वाणिज्यिक गति और चक्र गति में असामान्य उतार-चढ़ाव थे, जबकि रिगों की संख्या समान थी। ओआईएल ने अपनी रिगों की वाणिज्यिक गति और चक्र गति के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किये थे और किराये पर ली गई रिगों के लिए भी उक्त को निर्धारित और संविदा में नहीं जोड़ा गया। (पैरा 5.1.1.3)

2.11 स्वयं की रिगों के मामले में गैर-उत्पादन समय (एनपीटी) का प्रतिशत 2009-10 में 31 प्रतिशत से 2013-14 में 39 प्रतिशत तक बढ़ गया। चार्टर्ड किराये की रिगों के मामले में, एनपीटी का प्रतिशत 2009-10 में 19 प्रतिशत से 2013-14 में 45 प्रतिशत तक बढ़ गया। यद्यपि एनपीटी के लिए ओएनजीसी नियम 10 प्रतिशत से कम था और अंतर्राष्ट्रीय नियम 5 प्रतिशत से कम था, ओआईएल के अपनी रिगों का औसत वास्तविक एनपीटी 40 प्रतिशत था और चार्टर्ड किराये की रिगों का 35 प्रतिशत था। ओआईएल द्वारा एनपीटी के नियम अभी तक भी निर्धारित नहीं किये हैं। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अपनी वर्कओवर रिगों का एनपीटी 7 और 13 प्रतिशत के बीच था और चार्टर्ड किराये के वर्कओवर रिगों का एनपीटी 5 और 18 प्रतिशत था। (पैरा 5.1.1.4)

2.12 उत्पादन जांच में विलम्ब के कारण रिगों को प्रयोग कम किया गया और मीटरेज की हानि के कारण एनपीटी में वृद्धि हुई। 59 कुओं (अपनी रिग द्वारा ड्रिल किये गये 30 कुएं और चार्टर्ड किराये की रिग द्वारा ड्रिल किये गये 29 कुएं) में, ओआईएल योजना के अनुसार उत्पादन जांच को पूरा करने में विफल रही। उत्पादन जांच को पूरा करने में विलम्ब 9 और 94 दिनों के बीच था। 31 मार्च 2014 तक कुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 8 कुओं में, दो से चार वर्षों के बाद भी, उत्पादन जांच अपूर्ण थी। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अपनी रिगों के मामले में उत्पादन जांच के लिए कुल विलम्ब 1005 दिनों का था और चार्टर्ड किराये की रिगों के लिए 980 दिनों का था। उत्पादन जांच में विलम्ब के कारण चार्टर्ड किराये की रिगों के प्रति ठेकेदार के रक्षित प्रभारों के 29 मामलों में ओआईएल ने ₹ 88.02 करोड़ अदा किये। (पैरा 5.1.1.5)

2.13 विभिन्न कारकों जैसे उपयोग, अनुरक्षण आदि पर आधारित ड्रिलिंग रिग का आदर्श जीवन समय 20 और 25 वर्षों के बीच है। 31 मार्च 2014 तक इन हाऊस ड्रिलिंग रिगों का विशिष्ट समय 9 और 36 वर्षों के बीच था। इसी प्रकार, मौजूदा 13 इन-हाऊस वर्क ओवर रिगों में से, 9 वर्क ओवर रिगों का विशिष्ट समय 25 और 35 वर्षों के बीच था तथा 4 वर्क ओवर रिगों का विशिष्ट समय 5 और 25 वर्षों के बीच था। चूँकि ओआईएल बहुत अधिक पुराने उपस्करों के बेड़े के साथ कार्य

कर रहा था, इसने ओआईएल की अन्वेषण ड्रिलिंग को अधिक एनपीटी के साथ प्रभावित किया। (पैरा 5.1.1.6)

2.14 ओआईएल ने किराये की रिगों पर निर्भरता कम करने के लिए ड्रिलिंग रिग खरीदने के लिए दिसम्बर 2010 तक कोई कार्रवाई नहीं की। ओआईएल द्वारा ड्रिलिंग रिगों की अंतिम खरीद केवल पुरानी ड्रिलिंग रिगों के प्रतिस्थापन के लिए 2006 में की गई थी। ड्रिलिंग रिगों की खरीद/आरंभ करने के लिए दिसम्बर 2010 में ओआईएल की बाद की कार्रवाई विधिक विवाद के कारण और रिग ढोने वाले वाहन की दुर्घटना के कारण मूर्त रूप नहीं ले पाई। इस प्रकार ओआईएल अब भी किराये की रिगों पर निर्भर है। (पैरा 5.2.1)

2.15 अपनी रिगों और चार्टर्ड किराये की रिगों को प्राप्त करने के लिए ठेकों के प्रबंधन की समीक्षा करते हुए, लेखापरीक्षा ने रिगों की खरीद में अतिरिक्त विलम्ब, चार्टर्ड किराये की रिगों पर अत्यधिक निर्भरता, रिगों के संघटन के लिए परिहार्य अनुमत समय, ठेके की शर्तों और अनुबंधन का उल्लंघन, रिगों का बेकार पड़े रहना आदि पाया। ओआईएल द्वारा रिगों की खरीद में उत्पादक की अपेक्षा आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी गई जिसमें पारदर्शिता का अभाव था। इसके अतिरिक्त, इसके सीवीसी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नया आदेश न करते हुए ड्रिलिंग रिगों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को एक खरीद आदेश दे दिया गया। इसने ठेके को अंतिम रूप दिये जाने के बाद रिग की विशिष्टताएं बदलने के लिए आपूर्तिकर्ता को अनुमति प्रदान की। अन्य मामले में, ओआईएल ने नये निविदा में भाग न लेकर प्रतियोगितात्मक दर को प्राप्त करने से स्वयं को वंचित कर लिया। (पैरा 5.2.2)

### अन्वेषण प्रयासों की प्रभावशीलता

2.16 नामांकन दौर के अंतर्गत, ओआईएल को 1985 से 1999 तक की अवधि के दौरान 16 ब्लॉकों में पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) की अनुमति प्रदान की गई। 2013-14 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान, ओआईएल ने पीईएल से पीएमएल में केवल दो ब्लॉकों को बदला, वह भी आंशिक था। पांच प्रचालित पीईएलज़ में से ओआईएल ने तीन ब्लॉकों (डिब्रुगढ, तिनसुकिया और देवमाली), जिनके संबंध में डीजीएच का अनुमोदन प्रतीक्षित (दिसम्बर 2014) था, में वृद्धि के लिए आवेदन किया। शेष दो पीईएल ब्लॉक (जयरामपुर एक्स. और नामचिक पीईएल) जो कि मई 1990 और अप्रैल 1999 में आबंटित किये गये, ओआईएल ने दो स्थानों पर ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया। ओआईएल के पास 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान प्रचालन के अंतर्गत 22 पीएमएल ब्लॉक थे, जिनमें से पांच ब्लॉक पीएमएल में परिवर्तित किये जाने



के बाद 4 से 14 वर्षों तक खाली पड़े रहे, जहां पर कारण ओआईएल के नियंत्रण में थे।  
(पैरा 6.1.1 और 6.1.3)

2.17 राऊड-IX तक, जीओआई ने 360 अन्वेषण ब्लॉक प्रस्तावित किए, जिनमें से 254 ब्लॉक 31 मार्च 2014 तक प्रदान किए गये थे। ओआईएल ने सभी नौ एनईएलपी राऊडों में भाग लिया और 67 ब्लॉकों के लिए बोली प्रस्तुत की और अकेले या समूह के रूप में 40 ब्लॉक प्राप्त किये। प्राप्त 40 ब्लॉकों में से, 11 ब्लॉकों में ओआईएल ने प्रचालक के रूप में कार्य किया और 6 छोड़े गये ब्लॉकों के संबंध में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच अधूरा न्यूनतम काम कार्यक्रम के प्रति ₹ 68.63 करोड़ एलडी का भुगतान किया। एनईएलपी राऊडों में सहभागिता का प्रतिशत राऊड-IX को छोड़कर काफी कम था जहां ओआईएल ने पेश किए गए ब्लॉकों में से 50 प्रतिशत ब्लॉकों हेतु बोली प्रस्तुत की। (पैरा 6.2.1 और 6.2.3)

2.18 संबंधित राज्य सरकार द्वारा पीईएल के मंजूरी में विलम्ब से अन्वेषण प्रक्रिया में भी विलम्ब हुआ। ब्लॉक (केजी-ओएनएन-2004/1) हेतु पीएससी मार्च 2007 में हस्ताक्षरित किया गया था, जबकि, आंध्र प्रदेश में 511 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए पीईएल पीएससी के हस्ताक्षर किये जाने से 350 दिनों के अंतराल के बाद फरवरी 2008 में अनुमोदन दिया गया और पुदुच्चेरी में 38 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए पीईएल पीएससी के हस्ताक्षर किये जाने से तीन वर्षों से अधिक अंतराल के बाद जून 2010 में अनुमोदन दिया गया। (पैरा 6.3.1)

2.19 ब्लॉकों के अन्वेषण में विलम्ब हुआ था और एनईएलपी राऊड की प्रस्ताव सूची में शामिल होने या नामांकन पूर्व एनईएलपी अवधि के अंतर्गत ब्लॉकों को दिये जाने के लिए ब्लॉकों के तैयार किये जाने से पहले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्राप्त न किये जाने के कारण अन्वेषण चरण में योजना बद्ध एमडब्ल्यूपी अपूर्ण थे। इसके कारण ओआईएल उनकी विशेषज्ञता (अर्थात् अन्वेषण और उत्पादन) के क्षेत्र पर पूर्णतः ध्यान केंद्रित करने में विफल रहा। सात ब्लॉकों में ओआईएल के अन्वेषण प्रयास संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मंजूरी प्राप्ति में विलम्ब या मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण रोके गये थे। (पैरा 6.3.2)

2.20 चूक के मामले में एनईएलपी ब्लॉकों की समयबद्ध पूर्णता और जूर्माने के भुगतान के प्रति ओआईएल की अन्वेषण गतिविधियों के लिए एमओयू में दिये गये महत्व शून्य थे। घरेलू क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षण और कुओं की ड्रिलिंग के संबंध में एमओयू के मानदंडों को एमओयू में देय महत्व नहीं दिया गया था। 2011-12 से एमओयू लक्ष्य से भूकंपीय सर्वेक्षणों को हटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, एनईएलपी के अधीन कुओं की ड्रिलिंग के लिए मानदंड 2013-14 से एमओयू लक्ष्य से हटा दिये गये थे। (पैरा 6.3.3)

2.21 ओआईएल ने उन्हीं क्षेत्र में इनईएलपी ब्लॉकों के लिए बोली भी लगाई जहां इसने तार्किक बाधाओं/कारकों के लिए पूर्व पीईएल ब्लॉकों को छोड़ दिया गया था। यह भी देखा गया कि दो पीईएल ब्लॉकों जिन्हें ओआईएल द्वारा छोड़ दिया गया था, पूर्व एनईएलपी/एनइएलपी समय के अंतर्गत निजी प्रचालकों द्वारा हाइड्रोकार्बन की खोज की गई थी। (पैरा 6.4.1 और 6.4.2)

### अन्वेषण गतिविधियों की निगरानी

2.22 ओआईएल 2009-10 से 2012-13 तक सभी वर्षों में संपूर्ण बीई का उपयोग करने में सक्षम नहीं थी। 2013-14 में, सर्वेक्षण और अन्वेषण ड्रिलिंग के अंतर्गत व्यय बीई से कम था जबकि कुल व्यय संयुक्त उद्यमों में निवेश में वृद्धि के कारण बीई से अधिक हो गया था। सभी पांच वर्षों के लिए, सर्वेक्षण और अन्वेषण ड्रिलिंग व्यय 13 से 40 प्रतिशत तक बीई से कम था। (पैरा 7.1.1)

2.23 प्रौद्योगिकी प्रगति और उपयोगिता के साथ-साथ चलने के लिए और ग्लोबल अन्वेषण और उत्पादन उद्योग में प्रौद्योगिकी रूप से अग्रिम रहने के लिए हाइड्रोकार्बन विज्ञान 2025 के साथ-साथ 2025 तक भारतीय तलछट बेसिनों का 100 प्रतिशत अन्वेषण कवरेज भी शामिल था। आर और डी गतिविधियों पर वास्तविक व्यय 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान सभी वर्षों में बीई से कम था, इतनी अधिक विभिन्नता के कारण रेकार्ड पर नहीं मिले। (पैरा 7.1.2)

2.24 अन्वेषण समूह में भूभौतिकी, भूगर्भीय और जलाशय और ड्रिलिंग विभाग होता है जो ओआईएल की अन्वेषण गतिविधियों में मुख्य भूमिका निभाता है। अन्वेषण गतिविधियों में इसके महत्व के बावजूद इन विभागों में श्रमबल की कमी थी। (पैरा 7.2)

2.25 ओआईएल में महा-प्रबंधक की अध्यक्षता के अधीन आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करता है। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, जीएम (आईए) का पद रिक्त था और आईए विभाग ने प्रत्यक्ष रूप से निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट किया। आदर्शरूप से, आईए विभाग का कार्य स्वतंत्र होना चाहिए और प्रत्यक्ष रूप से सीएमडी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए, इसके विपरीत, ओआईएल का आईए विभाग निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहा था। (पैरा 7.3)

2.26 संविदा नियमावली समय पर सामान और सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से ठेका प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों के लिए समय-सीमा को विनिर्दिष्ट नहीं करती। इसमें कार्य करते समय टूट-फूट या ड्रिलिंग यूनिट/सब-सरफेस यंत्र/ठेके के उपस्करों के नुकसान के मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी शामिल नहीं थे। संबंधित विभाग द्वारा तैयार किये गये ठेके को देने के लिए

कार्यक्रम की कोई समयावधि नहीं थी। ओआईएल ने निविदा को अंतिम रूप देने और ठेके को देने के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किये थे। परिणामस्वरूप, ठेके को समय पर देने को सुनिश्चित किये जाने का कोई नियंत्रण तंत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त, संविदा नियमावली अक्टूबर 2009 से अद्यतित नहीं की गई थी। (पैरा 7.5)

### 3. सिफारिशें

ओआईएल के साथ-साथ एमओपीएनजी यह सुनिश्चित कर सकता है कि ओआईएल का मुख्य बिजनेस अर्थात् अपस्ट्रीम एनओसी के रूप में हाईड्रोकार्बन अन्वेषण को प्राथमिकता दी जाए जिसके लिए सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

- ओआईएल रिज़र्वों की 3पी से 2पी और 2पी से 1पी श्रेणी में आनुपातिक उन्नयन द्वारा रिज़र्वों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क्षमता का निर्माण कर सकती है।
- “वसूलीयोग्य रिज़र्वों के लिए अभिवृद्धि” के लिए एमओयू में दिये गये महत्व को अन्वेषण की मुख्य गतिविधि को अधिक महत्व देने के लिए एमओपीएनजी द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- एपीआई चक्र के लिए प्रतिमान बनाया जा सकता है और निष्पादन पैरामीटरों के साथ जोड़ा जा सकता है। अन्वेषण के सामयिक पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए ओआईएल अपने सर्वेक्षण ठेको को निकट से मॉनीटर कर सकता है।
- एमओपीएनजी को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि एनओसीज़ उनके लिए नियत अन्वेषण लक्ष्यों को पूरा कर सके।
- ओआईएल, विशिष्ट रिगों, ड्रिलिंग और वर्कओवर दोनों की प्रतिस्थापना के लिए अपनी खरीद योजना को समय पर अंतिम रूप दे सकती है।
- ओआईएल को संभावित ब्लॉकों के लिए प्रतियोगात्मक एनइएलपी अवधि में प्रचालन सक्षम होने के लिए और न्यायसंगत रूप से बोली लगाने के लिए अपने अनुभव और संसाधनों का उपयोग करने के योग्य होना चाहिए।
- ब्लॉकों को पूर्णतः अन्वेषण के लिए और निर्णीत हर्जानों से बचने के लिए ओआईएल को एमडब्ल्यूपी समय सारणियों का पालन करना चाहिए।
- एमओपीएनजी द्वारा ब्लॉकों को दिये जाने से पहले अन्वेषण गतिविधियों को करने के लिए मंजूरी उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए।
- कमियों से बचने के लिए बजट की उपयोगिता पर उचित निगरानी की आवश्यकता है।
- ओआईएल को अपनी आरएंडडी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए और विशेषतः इस बात को ध्यान में रखकर कि वह एक कैश रिच कंपनी है; नई प्रौद्योगिकी के बराबर रहना चाहिए।

- ओआईएल तकनीकी विभागों के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में कार्यकारियों की भर्ती पर अपनी कार्रवाई जल्द करनी चाहिए।
- संविदा नियमावली को अद्यतित किया जाना चाहिए और सीवीसी दिशा-निर्देशों, वित्तीय विवेक के सिद्धांतों के अनुसार ठेके दिये जाने की आवश्यकता है और ठेके के कार्यान्वयन की निगरानी को और अधिक कड़ा किया जाना चाहिए।
- ओआईएल के रिपोर्टिंग तंत्र को एमआईएस स्थापित करने और बीओडी में पराकाष्ठा पर विभिन्न निकायों द्वारा उनकी निगरानी के लिए सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

## अध्याय 1

### प्रस्तावना

#### 1.1 पृष्ठ भूमि

ऊर्जा हमारे समाज और उद्योगों को चलाती हैं। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों में निहित राष्ट्र का विकास अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को समुचित रूप से पूरा करने पर निर्भर है। तेल और गैस हमारे ऊर्जा भंडार के महत्वपूर्ण कारक हैं और निकट भविष्य में जब तक कोई ऊर्जा का कोई नवीकरणीय रूप व्यवहार्य नहीं हो जाता तब तक हमारे देश की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहेंगे।

ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) एक राष्ट्रीय तेल कंपनी (एनओसी) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन, कच्चे तेल के परिवहन तथा लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के उत्पादन में लगे हैं। ओआईएल असम में नहरकटिया के तेल क्षेत्रों को प्रबंधित करने के लिए एक तिहाई हिस्सेदारी के साथ भारत सरकार (जीओआई) और दो तिहाई हिस्सेदारी के साथ बर्मा ऑयल कंपनी, यूनाईटेड किंगडम (बीओसी) के बीच सहभागिता उद्यम (अर्थात् आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के रूप में 18 फरवरी 1959 को गठित की गई थी। 14 अक्टूबर 1981 को ओआईएल बीओसी की इक्विटी को समाप्त करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (एमओपीएनजी) के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रक के अंतर्गत संपूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में भारत सरकार उद्यम बन गई। अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को शेयर जारी करने के साथ-साथ बड़े स्तर पर जनमानस में संसाधनों के संवर्धन के लिए इसको सक्षम करने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया (अगस्त 1995)। ओआईएल केंद्र सरकार द्वारा 78.43 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 21.57 प्रतिशत हिस्सा रखते हुए सितम्बर 2009 में सूचीबद्ध की गई। ओआईएल ने अप्रैल 2010 में 'नवरत्न स्थान' प्राप्त किया।

ओआईएल के मुख्य उद्देश्यों<sup>1</sup> में से एक अन्वेषण करना और ऐसी गतिविधियों को शुरू करने, प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व या पेट्रोलियम का अनुमान और संभावना के

<sup>1</sup> स्रोत: ओआईएल के संस्थाओं के जापन और अनुच्छेद

लिए तटवर्ती और अपतटीय दोनों तथा अन्य संभावित प्रचालनों के लिए ड्रिलिंग करने के लिए पेट्रोलियम संसाधनों के अन्वेषण के लिए भूगर्भीय, भू-भौतिकीय या अन्य प्रकार के सर्वेक्षण द्वारा हाईड्रोकार्बन का उत्पादन विकसित करना/बढ़ाना है ताकि भूगर्भीय, भूवैज्ञानिक, भूरासायनिक, वैज्ञानिक और अन्य जांच सीमित न रखते हुए ऐसे रिज़र्वों की स्थापना की जा सके।

ओआईएल के प्रचालन हाईड्रोकार्बन क्षेत्र की अपस्ट्रीम गतिविधियों के सारे पहलूओं जिसमें भूगर्भीय सर्वेक्षण, तेल क्षेत्रों का अन्वेषण और विकास, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन एलपीजी का प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन ओआईएल शामिल हैं। ओआईएल के प्रचालनों पर पांच स्थानों जैसे दुलियाजन (असम), जोधपुर (राजस्थान), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), गुवाहटी (असम) और नोयडा (उत्तर प्रदेश) से निगरानी रखी जाती है।

ओआईएल का सारा कच्चा तेल उत्पाद असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्षेत्रों से आता है जबकि, गैस का उत्पाद असम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान क्षेत्र से आता है। ओआईएल दुलियाजन, असम पर अपने एलपीजी बोटलिंग संयंत्र में एलपीजी उत्पादित करती है।

## 1.2 हाईड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन

हाईड्रोकार्बन की संवृद्धि किसी भी अपस्ट्रीम तेल और गैस कंपनी का लक्ष्य है। हाईड्रोकार्बन को निकालने की प्रक्रिया में प्रथम चरण अन्वेषण - भूमि के सतह के नीचे तेल और गैस के लिए खोज है। ऐसे भंडार तटवर्ती या अपतटीय हो सकते थे। अन्वेषण की प्रक्रिया में तालिका 1.1 में मुख्य गतिविधियां दी गई हैं:

तालिका 1.1. अन्वेषण के चरण


| गतिविधियों के प्रकार                           | अन्वेषण के चरण   | रिपोर्ट की अध्याय सं. का संदर्भ |
|--|--|---------------------------------|
| प्राथमिक सर्वेक्षण - सतही और उप-सतही सर्वेक्षण | सतही सर्वेक्षण सतह संगठनों और विशेषताओं एरियल फोटोग्राफी, सेटेलाइट इमेजिंग, इमेजिंग राडार और टोपो ग्राफीकल और भूवैज्ञानिक मैपिंग जिनसे उप-सतही संगठनों के संबंध में सामान्य: अनुमान लगाये जाते हैं; का अध्ययन और मूल्यांकन है।<br>उप-सतही सर्वेक्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की जिसमें विशेषताएं निर्धारित करने के लिए डाटा का संचयन शामिल होते हैं, और भूगर्भीय मीटरों, चुंबकीय | अध्याय-4                        |

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  | मीटरों और सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हुए उप-सतही पत्थरों की साऊंड वेव की प्रतिक्रिया भूगर्भीय रचनाओं का अध्ययन और मूल्यांकन है। भूकंपीय अध्ययन (2डी, 3डी) को अधिकतर उपयोग किया जाता है और उप-सतही परीक्षण की महत्वपूर्ण प्रकार है।   |          |
| भूकंपीय सर्वेक्षण                          | भूकंपीय सर्वेक्षण हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर के स्वरूप की पहचान करने और स्थिति की संभावना के लिए किया जाता है। इसमें सामान्यतः पहचान, प्रक्रिया और व्याख्या (एपीआई) के रूप में जाने जानी वाली उच्च संभावना के साथ स्वरूप की पहचान करने के लिए भू-वैज्ञानिकों द्वारा भूकंपीय डाटा, प्रक्रिया और व्याख्या शामिल होती है। एपीआई के संबंध में लिया गया समय ब्लॉक के क्षेत्र, भूकंपीय डाटा के घनत्व, ब्लॉक में उपलब्ध कुओं की संख्या, संभावनाओं की संख्या, संभावनाओं की प्रकार, उपलब्धता डाटा की विशिष्टता और गुणवत्ता, अतिरिक्त डाटा के लिए आवश्यकता और डाटा का प्रकार और सर्वेक्षण दल के आकार पर आधारित होता है। | अध्याय-4 |
| अन्वेषणात्मक कुओं और अंवेषी मूल्यांकन कुओं | सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर किसी भूगर्भीय सत्त्व पर अज्ञात हाइड्रोकार्बन संचयन का पता लगाने के लिए अन्वेषणात्मक कुएँ ड्रिल किए जाते हैं। तेल या गैस या अन्य मौजूदगी की संभावना के पश्चात उसका पता लगाने के लिए एक अप्रमाणित क्षेत्र की पहचान करके कुएँ ड्रिल किये जाते हैं। हाइड्रोकार्बन रिजर्व के अछूते क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग महत्वपूर्ण है।<br>अन्वेषणात्मक मूल्यांकन कुएँ पुनः प्राप्ति योग्य तेल/गैस रिजर्व के सटीक निर्धारण के उद्देश्य से रिजर्वायर के सीमाक्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए अंवेषी कुओं के आस-पास ड्रिल किए जाते हैं।                                 | अध्याय-5 |
| विकास कुओं                                 | ड्रिलिंग स्थल का चयन करने हेतु पर्याप्त अन्वेषणात्मक सूचना के साथ एक जलाशय मॉडल प्रदान करने के बाद विकास ड्रिलिंग शुरू होता है। विकास कुएँ एक स्थापित क्षेत्र से हाइड्रोकार्बन के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से ड्रिल किए जाते हैं।   | अध्याय-5 |
| वाणिज्यिक खोज/मुद्रीकरण                    | यह एमओपीएनजी के प्रतिनिधियों, हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक (डीजीएच) और स्थानीय प्रबंधन द्वारा  |          |

|  |   |          |
|--|---|----------|
|  | पूर्णतः अनुमोदित अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा की गई तथा मुद्रिकरण के माध्यम से खोजे गए हाइड्रोकार्बन रिजर्व की वाणिज्यिक व्यावहारिकता के संबंध में स्वीकार की गई घोषणा है। | अध्याय-3 |
|--|---|----------|

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएण्डपी) प्रचालन, की अपस्ट्रीम प्रचालनों के रूप में भी निर्दिष्ट निम्नलिखित चरणों में व्याख्या की गई है जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है:

चित्र: 1.1 अन्वेषण के चरण



वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, लेखापरीक्षा ने ओआईएल के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयासों का अनुमान लगाने के लिए ओआईएल के उपरोक्त प्रथम दो चरणों (अर्थात् अन्वेषण एवं विकास प्रचालन) की समीक्षा की।


### 1.3 हाइड्रोकार्बन अन्वेषण हेतु संगठनात्मक ढाँचा

एमओपीएनजी तेल एवं गैस का अन्वेषण और उत्पादन, शोधन, वितरण और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, आयात, निर्यात और संरक्षण करती है। इसके अलावा, एमओपीएनजी नीतियाँ, नियम एवं विनियम बनाती है जिनसे तेल एवं गैस क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन प्रचालन शासित होते हैं।



एमओपीएनजी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक नोडल एजेंसी डीजीएच - भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधनों का ठोस प्रबंधन और देश में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और अधिकतम अन्वेषण से संबंधित मुद्दों पर एमओपीएनजी को सलाह देने के लिए 8 अप्रैल 1993 को स्थापित किया गया था। एमओपीएनजी, डीजीएच और ओआईएल के बीच संबंध दर्शाने वाला संगठनात्मक ढाँचा चित्र 1.2 में दर्शाया गया है:

**चित्र:1.2 संगठनात्मक ढाँचा**



तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) और ओआईएल, दो एनओसी हैं जो हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएण्डपी) से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हैं। एमओपीएनजी, डीजीएच की सहायता से तेल क्षेत्र (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के प्रावधानों के तहत तेल एवं अन्य ईएण्डपी कंपनियों का हाइड्रोकार्बन अन्वेषण विनियमित करता है। एमओपीएनजी अपतटीय क्षेत्रों के लिए एनओसी और निजी प्रचालकों को लाइसेंस जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है और संबंधित राज्य सरकारें एमओपीएनजी की सिफारिश पर तटीय ईएण्डपी गतिविधियों हेतु लाइसेंस जारी करती हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियमावली, 2003 के अनुसार इन नियमों के तहत दिए गए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (जिसे बाद में लाइसेंस माना गया) के अनुसरण को छोड़कर पेट्रोलियम के लिए किसी भी व्यक्ति को अवसर नहीं दिया जाएगा और इन नियमों के तहत मंजूर किए गए पेट्रोलियम खनन पट्टा (जिसे बाद में लाइसेंस माना गया) के अनुसरण के अलावा कोई भी व्यक्ति पेट्रोल की निकासी नहीं कर सकेगा। इन नियमों में प्रत्येक लाइसेंस धारक और प्रत्येक पट्टाधारक क्रमशः लाइसेंस धारक और पट्टाधारक माना जाएगा।

अन्वेषण गतिविधियाँ करने हेतु ठेकेदारों को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ तटीय ब्लॉकों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार से और अपतटीय ब्लॉकों के मामले में केंद्र सरकार से, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के प्रावधानों के तहत पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल<sup>2</sup>) लेना पड़ता है। हाइड्रोकार्बन की खोज के पश्चात् पीईएल क्षेत्र पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल<sup>3</sup>) क्षेत्र में बदल जाता है। पेट्रोलियम निकालने हेतु ठेकेदार को केंद्र/राज्य सरकार से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली 1959 के प्रावधानों के तहत खनन पट्टा लेना पड़ता है।

केंद्र सरकार यदि उचित समझे, तो समय-समय पर उस आधार से संबंधित विवरण सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है जिस पर केंद्र सरकार किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों में खनन प्रचालनों या संभावनाओं हेतु प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार हो। लाइसेंस द्वारा शामिल क्षेत्र इसमें विनिर्दिष्ट किया जाएगा और लाइसेंस की अवधि पहली बार में चार वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी जिसे एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति<sup>4</sup> (एनईएलपी) 1997 में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण एवं उत्पादन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों कंपनियों को समान कार्यस्तर प्रदान करने हेतु बनाई गई थी। एनईएलपी फरवरी 1999 से प्रभावी हुआ। तब से अन्वेषण हेतु लाइसेंस केवल प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली के माध्यम से ही दिए जा रहे हैं। एनईएलपी के तहत, एनओसी को पीईएल सुरक्षित करने के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ बराबर आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। 31 मार्च 2014 तक, भारत सरकार ने गहरे पानी, छिछले पानी और तटीय श्रेणी के विभिन्न बेसिन<sup>5</sup> में अन्वेषणात्मक ब्लॉकों हेतु बोली के लिए कंपनियों को आमंत्रित करते हुए 1999 और 2010 के बीच नौ आवर्तनों की घोषणा की।

<sup>2</sup> अन्वेषण गतिविधियाँ करने हेतु ठेकेदारों को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ तटीय ब्लॉकों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार से और अपतटीय ब्लॉकों के मामले में केंद्र सरकार से, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) लेना पड़ता है।

<sup>3</sup> पेट्रोलियम निकालने हेतु ठेकेदार को केंद्र/राज्य सरकार से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959 के प्रावधानों के तहत खनन पट्टा लेना पड़ता है।

<sup>4</sup> 1997 में एनईएलपी की शुरुआत के साथ एमओपीएनजी ने एनओसी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से अन्वेषण ब्लॉक दिए और उन्हें एनईएलपी ब्लॉक के रूप में जाना जाता है।

<sup>5</sup> भूपर्पटी में हास जहां तलछटी पदार्थ कई वर्षों से एकत्र होते हैं।

देश की आर्थिक वृद्धि में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए और एक दीर्घावधि नीति बनाने अर्थात् हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में 2025 तक भारतीय तलछट बेसिनों से 100 प्रतिशत अन्वेषण हेतु एमओपीएनजी ने मार्च 2000 में हाइड्रोकार्बन विज्ञान - 2025 बनाया। विज्ञान में ऊर्जा सुरक्षा, वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग, तकनीकी की अंतर-परिवर्तनीयता को शामिल किया गया जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त ऊर्जा स्रोतों का मिश्रण अधिकतम और सतत है तथा भारतीय ग्राहकों को सस्ते मूल्य पर साफ और हरित ईंधन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जा सके। अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञान का उद्देश्य है:

- हाइड्रोकार्बन क्षमता के दोहन हेतु भारतीय तलछट बेसिन का सम्पूर्ण मूल्यांकन करना तथा सर्वाधिक दक्ष तरीके से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अधिकतम उत्पादन करना ताकि आरक्षित प्रतिस्थापन अनुपात (आरआरआर) 1 से अधिक रहे।
- तकनीकी उन्नयन और अनुप्रयोग की गति बनाए रखना तथा वैश्विक अन्वेषण और उत्पादन जगत में तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी रहना।
- जहां तक सम्भव हो पर्यावरण पर बिल्कुल भी प्रभाव न पड़ने देना या न के बराबर प्रभाव।

ओआईएल ने अपने लिए नीतिगत एवं निगम योजना बनाने के लिए एक आंतरिक बहु अनुशासनिक कार्यबल का गठन किया (नवम्बर 2009)। इसी प्रकार ओआईएल ने एक ड्राफ्ट नीतिगत एवं निगम योजना 2011-2020 तैयार किया था जिस पर मार्च 2012 में आयोजित नीतिगत बैठक में चर्चा की गई थी। हालांकि उक्त योजना अनुमोदन हेतु बोर्ड को नहीं प्रस्तुत की गई।

ओआईएल की ड्राफ्ट नीतिगत और निगम योजना 2011-2020 में हाइड्रोकार्बन विज्ञान 2025 को ध्यान में रखा गया जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.2 - हाइड्रोकार्बन विज्ञान 2025 की तुलना में ओआईएल की ड्राफ्ट नीतिगत और निगम योजना 2011-2020**

| हाइड्रोकार्बन विज्ञान 2025   | ओआईएल की ड्राफ्ट नीतिगत और निगम योजना 2011-2020  |
|--|--|
| स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से आत्म निर्भरता प्राप्त करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। | परिणाम में सुधार करके एनई परिसम्पत्तियों से उत्पादन और रिजर्व में वृद्धि एवं अनुरक्षण और इस प्रकार एनई परिसम्पत्तियों की क्षमता का दोहन करके तेल की लाभकारिता में वृद्धि करना। |
| हाइड्रोकार्बन क्षमता के दोहन हेतु भारतीय तलछट बेसिन का सम्पूर्ण मूल्यांकन करना तथा सर्वाधिक      | महत्वपूर्ण क्षेत्रों भू-प्रतिरूपण और अन्वेषण, असम - अरकन बेसिन का क्षेत्रीय बेसिन  |

|  |  |
|--|--|
| दक्ष तरीके से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अधिकतम उत्पादन करना ताकि आरक्षित प्रतिस्थापन अनुपात (आरआरआर) 1 से अधिक रहे।        | प्रतिरूपण करना। स्ट्रैटीगैफिक/संयोजन रिजर्व का अन्वेषण। परिपक्व क्षेत्र में अज़ैर चारो ओर इकोसीन्स का अन्वेषण।   |
| विदेशों में तेल इक्विटी में निवेश के माध्यम से आत्म निर्भरता प्राप्त करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।                        | विदेशों में अजैविक वृद्धि संभावनायें तलाशना  |
| खोजे गए/परिपक्व क्षेत्रों से अधिकतम निकासी   | सभी क्षेत्रों के लिए गतिमान प्रतिरूप का निर्माण करना और क्षेत्रीय पुनर्विकास योजना/विकास योजना बनाना। मौजूदा तेल एवं गैस क्षेत्रों का जलाशय-वार प्रेषणता स्थापित करना। पूर्वी और पश्चिमी सुदूर क्षेत्रों को फिर से देखना। जोरहान-जयपुर क्षेत्र को अधिकतम अनुकूल बनाना। |
| स्वदेशी आरण्डडी के विकास के साथ-साथ निरंतर तकनीकी अधिग्रहण एवं अवशोषण  | जलाशय मॉनीटरिंग हेतु 4-डी सिस्मिक। आईओआर/ईओआर पद्धतियाँ और जल धारा प्रवाह लागू करना तथा निकासी कारक (आरएफ) को 45 प्रतिशत तक लाना। प्रचालनों में प्रणालीगत कार्यों में वृद्धि करना। वाटर फ्रंट मॉनीटरिंग एवं मौजूदा जल निकासी प्रणाली की समीक्षा एवं सुधार।             |
| गहरे समुद्री अपतटीय क्षेत्रों सहित नई खोजों और ज्ञान संवर्धन हेतु सीमांत बेसिन और गैर उत्पादन में आक्रामक तरीके से गहन अन्वेषण | सीमांत क्षेत्रों में अन्वेषण।  |
| अन्वेषण के साथ-साथ उत्पादन हेतु विदेशों तक क्षेत्र अधिग्रहण  | भारत और विदेशों में प्रमाणित/उत्पादक परिसंपत्तियों वाली कंपनियों या प्रमाणित/उत्पादक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण   |

#### 1.4 अन्वेषण हेतु निष्पादन जवाबदेही व्यवस्थायें

समझौता ज्ञापन (एमओयू), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसईज़) के प्रबंधन और भारत सरकार के बीच एक समझौता करार है। एमओयू प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पीएसई के लिए निजी निगम क्षेत्र के रूबरू समतल कार्यक्षेत्र अर्थात् सुनिश्चित करना है। सीपीएसई प्रबंधन को निष्पादन करार वचन के माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। सरकार वर्ष के दौरान और उसकी समाप्ति पर निष्पादन मूल्यांकन के माध्यम से और

एमओयू लक्ष्य निर्धारित करने में लगातार नियंत्रण करती है। एमओयू के लिए निष्पादन लक्ष्य पाँच बिन्दु पैमाने पर निर्धारित किए जाते हैं (अर्थात् उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, स्पष्ट और घटिया)।

एमओयू निष्पादन का मूल्यांकन वित्तीय और गैर-वित्तीय मापदण्डों में प्रत्येक को 50 प्रतिशत महत्व देते हुए विभाजित किया जाता है। वित्तीय मापदण्ड लाभ, आकार और उत्पादकता से संबंधित हैं। गैर-वित्तीय मापदण्ड गत्यात्मकता, उपक्रम-विशेष (अर्थात् सुरक्षा एवं प्रदूषण) और क्षेत्र-विशेष (अर्थात् माँग और आपूर्ति में परिवर्तन, मूल्य अस्थिरता, ब्याज दरों में अंतर आदि) मापदण्डों में विभाजित किया जाता है। तत्पश्चात् सीएसआर, आरएण्डडी और सतत विकास को प्रत्येक को 5 प्रतिशत महत्व देते हुए गैर वित्तीय मापदण्डों में विभाजित किया गया था। व्यक्तिगत गैर-वित्तीय मापदण्ड का विकल्प सीपीएसई, प्रशासनिक मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के संयुक्त विवेक पर निर्भर करता है।

एमओयू का मूल्यांकन एमओयू लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धि के आधार पर एक कार्यबल के माध्यम से एमओपीएनजी और डीपीई द्वारा वर्ष के अंत में किया जाता है। पूरे एमओयू का समेकित अंक सभी मापदण्डों का महत्व जोड़ते हुए निकाला जाता है।

अन्वेषण गतिविधियों (भूकम्पीय सर्वेक्षण और खुदाई), निकासीयोग्य रिजर्व के संचयन, कच्चे पदार्थों के उत्पादन, प्राप्य लागत, कच्चे पदार्थ के उत्पादन की लागत को दिए गए महत्व का वर्षवार विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है:

**तालिका 1.3 - अन्वेषण गतिविधियों के लिए एमओयू में दिए गए महत्व**


| विवरण                                   | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| भूकम्पीय सर्वेक्षण (2डी एवं 3डी)        | 1       | 2       | 0       | 0       | 0       |
| एनईएलपी में ड्रिलिंग किए जाने वाले कुएँ | 1       | 1       | 2       | 0       | 0       |
| वसूली योग्य रिजर्व के लिए अभिवृद्धि     | 8       | 8       | 7       | 4       | 5       |
| निष्कर्ष लागत                           | 5       | 4       | 1       | 1       | 2       |
| कच्चे तेल के उत्पादन की लागत            | 5       | 4       | 1       | 2       | 2       |

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान ओआईएल के निष्पादन के आधार पर डीपीई ने ओआईएल को पाँच वर्षों में से चार में “उत्कृष्ट” और 2010-11 में “बहुत अच्छा” ग्रेड प्रदान किया।

### 1.5 ओआईएल में संगठनात्मक व्यवस्थायें

ओआईएल का प्रबंधन, निदेशक मंडल के पास होता है जिसमें दो सरकारी नामित निदेशक और पाँच स्वतंत्र निदेशक सहित 12 निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) कंपनी का मुख्य कार्यकारी होता है जो निदेशक (अन्वेषण एवं विकास), निदेशक (मानव संसाधन एवं व्यापार विकास), निदेशक (प्रचालन), निदेशक (वित्त) और निगम कार्यालय के कंपनी सचिव, दुलियाजन, असम के पंजीकृत कार्यालयों के आवासीय मुख्य कार्यकारी (आरसीई) और परियोजना कार्यालयों के समूह महाप्रबंधकों की सहायता से ओआईएल के दैनिक मामलों की देखभाल करता है। निदेशक (अन्वेषण और विकास) की निगम कार्यालय स्तर पर महाप्रबंधकों और क्षेत्रीय स्तर पर महाप्रबंधकों द्वारा सहायता की जाती है और वह तेल एवं गैस अन्वेषण गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित ओआईएल का संगठनात्मक चार्ट चित्र 1.3 में दिया गया है:

चित्र 1.3 - ओआईएल की अन्वेषण गतिविधियों का संगठनात्मक चार्ट




बोर्ड ने ₹ 120 करोड़ तक की सभी खरीद और संविदाओं (सेवा संविदाओं, कंसल्टेंसी और टर्नकी संविदाओं (सहित) के अनुमोदन हेतु सभी कार्यकारी निदेशकों के साथ निगम कारोबार समिति (सीबीसी) का गठन किया (अगस्त 1993)। सीबीसी क्षमता के बाहर की खरीद और संविदाओं की मंजूरी की शक्ति निदेशक मंडल के पास होती है।

## 1.6 भारत एवं विदेशों में ओआईएल के अन्वेषण ब्लॉक

31 मार्च 2014 तक भारत में ओआईएल के अन्वेषण ब्लॉक चित्र 1.4 में दर्शाए गए हैं:

चित्र 1.4 - ओआईएल के घरेलू ब्लॉक



देश में ओआईएल की गतिविधियाँ असम, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु, अंडमान, महाराष्ट्र, ओडिसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हैं। नामांकन के अंतर्गत ओआईएल का कुल प्रचालन क्षेत्र 6234 वर्ग किमी और एनईएलपी के अंतर्गत 18463 वर्ग किमी है।

ओआईएल वर्तमान में नामांकन व्यवस्था<sup>6</sup> के तहत आवंटित 5 नामांकित पीईएल क्षेत्रों और 22 नामांकित पीएमएल में प्रचालन कर रही है। ओआईएल के पास एनईएलपी IX राउंड की समाप्ति तक प्रचालक एवं गैर-प्रचालक दोनों रूप में कुल 30 एनईएलपी ब्लॉकों में भागीदारी हित (पीआई) है। ये ब्लॉक दस<sup>7</sup> तलछट बेसिन में स्थित है। ओआईएल के पास 15 ब्लॉकों में गैर-प्रचालक के रूप में पीआईएज, 2 जेवीसी और 1 सीबीएम ब्लॉक हैं।


<sup>6</sup> 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति आने से पूर्व राष्ट्रीय तेल कंपनियाँ (एनओसी) अर्थात् ओएनजीसी और ओआईएल को नामांकन आधार पर अन्वेषण हेतु ब्लॉक दिए गए थे और इसे 'नामांकन ब्लॉक' के रूप में जाना जाता है।

<sup>7</sup> असम, असम-अरकान, राजस्थान, कृष्णा-गोदावरी, कावेरी, अंडमान, मुंबई, महानदी (गैर-प्रचालक), प. बंगाल (गैर-प्रचालक) और गुजरात - कुछ (गैर-प्रचालक)

ओआईएल 11 ब्लाकों वाले छः बेसिन में प्रचालक और 1 ब्लॉक वाले एक बेसिन में संयुक्त प्रचालक है। इनमें से 9 ब्लॉक चार बेसिन में हैं अर्थात् असम, असम-अरकन, कृष्णा-गोदावरी और राजस्थान। शेष 3 ब्लॉक कावेरी, मुंबई और अण्डमान बेसिन में है जो अभी प्रचालन के शुरूआती चरण में है जहां जून 2010 अगस्त 2012 के बीच एनईएलपी राउंड-VIII से IX में ब्लॉक दिए गए थे।

31 मार्च 2014 तक विदेशों में ओआईएल के अन्वेषण ब्लॉक चित्र 1.5 में दर्शाए गए हैं:

चित्र 1.5 ओआईएल के विदेशी ब्लॉक



ओआईएल की विदेशी ईएण्डपी गतिविधियों में 13 ब्लॉक शामिल हैं और लीबिया, गैबन, नाइजीरिया, यमन, म्यांमार, बांग्लादेश, वेनेजुएला, यूएसए, मोजाम्बिक और रूस सहित 10 देशों में फैले हैं। ओआईएल के विदेशी प्रचालन के तहत कुल क्षेत्र 74721 वर्ग किमी है।

### 1.6.1 नामांकन ब्लाक

मार्च 2014 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के लिए धारित क्षेत्रों के साथ ओआईएल के नामांकन ब्लाकों का वर्षवार विवरण तालिका 1.4 में दी गई है:



तालिका 1.4 नामांकन ब्लॉकों की वर्षवार स्थिति

| वर्ष    | पीईएल ब्लॉकों की वर्षवार स्थिति | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | एमएल ब्लॉकों की वर्षवार स्थिति | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) |
|---------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 2009-10 | 16                              | 5367.750               | 19                             | 4811.006               |
| 2010-11 | 7                               | 1760.500               | 21                             | 5028.500               |
| 2011-12 | 8                               | 1783.750               | 20                             | 4916.010               |
| 2012-13 | 8                               | 1894.000               | 21                             | 5095.000               |
| 2013-14 | 5                               | 1230.000               | 22                             | 5004.000               |

स्रोत: ओआईएल की वार्षिक योजना

### 1.6.2 एनईएलपी ब्लॉक

मार्च 2014 को समाप्त पिछले पाँच वर्ष के लिए धारित क्षेत्रफल के साथ-साथ ओआईएल के एनईएलपी ब्लॉकों का वर्षवार विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है:

तालिका 1.5 - एनईएलपी ब्लॉकों की वर्षवार स्थिति

| विवरण                         | 2009-10 |                        | 2010-11 |                        | 2011-12 |                        | 2012-13 |                        | 2013-14 |                        |
|-------------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|
|                               | सं.     | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | सं.     | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | सं.     | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | सं.     | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | सं.     | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) |
| तटीय                          | 10      | 11802                  | 10      | 10987                  | 10      | 10621                  | 10      | 9513                   | 9       | 9439                   |
| अपतटीय - छिछला पानी           | 0       | 0                      | 1       | 1621                   | 1       | 1621                   | 2       | 5032                   | 2       | 5032                   |
| अपतटीय-गहरा पानी <sup>8</sup> | 0       | 0                      | 1       | 3992                   | 1       | 4040                   | 1       | 3992                   | 1       | 3992                   |
| कुल                           | 10      | 11802                  | 12      | 16600                  | 12      | 16282                  | 13      | 18537                  | 12      | 18463                  |

स्रोत: ओआईएल की वार्षिक योजना

### 1.7 ओआईएल की अन्वेषण गतिविधियों हेतु वित्तीय मानदण्ड

31 मार्च 2014 के समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान ओआईएल की वर्षवार वित्तीय स्थिति तालिका 1.6 में दी गई है:

<sup>8</sup> संयुक्त रूप से प्रचालित ब्लॉक

तालिका 1.6 - ओआईएल की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

| देयतायें                           | 2009-10         | 2010-11         | 2011-12         | 2012-13         | 2013-14         | परिसंपत्तियाँ                       | 2009-10         | 2010-11         | 2011-12         | 2012-13         | 2013-14         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| दत्तमत पूँजी                       | 240.45          | 240.45          | 240.45          | 601.14          | 601.14          | शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ             | 4018.90         | 4248.29         | 4493.53         | 4994.87         | 5478.73         |
| आरक्षित एवं अधिशेष                 | 13523.34        | 15361.42        | 17480.89        | 18610.34        | 20107.04        | सीडब्ल्यू आईपी                      | 927.11          | 1324.05         | 1131.50         | 1769.01         | 2077.16         |
| उधारियाँ                           | 37.50           | 1026.79         | 10.13           | 1057.81         | 9782.69         | निवेश                               | 859.44          | 890.41          | 783.09          | 857.90          | 11256.61        |
| अन्य दीर्घावधि देयतायें            | 1022.79         | 1313.53         | 1480.49         | 1666.76         | 2069.32         | अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ         | --              | --              | 324.65          | 630.77          | 620.11          |
| बकाया ट्रेड एवं अन्य चालू देयतायें | 3269.29         | 3321.61         | 3469.31         | 3244.80         | 2314.26         | वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम | 12287.92        | 14801.05        | 15948.50        | 16928.30        | 15441.84        |
| <b>कुल</b>                         | <b>18093.37</b> | <b>21263.80</b> | <b>22681.27</b> | <b>25180.85</b> | <b>34874.45</b> | <b>कुल</b>                          | <b>18093.37</b> | <b>21263.80</b> | <b>22681.27</b> | <b>25180.85</b> | <b>34874.45</b> |

मार्च 2014 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान ओआईएल का वर्षवार बजटीय प्राक्कलन संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक व्यय अनुबंध I में दिया गया है।

## अध्याय 2

### लेखापरीक्षा ढाँचा

#### 2.1 हमने यह विषय क्यों चुना

भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के नाजुक चरण पर है। जबकि देश की ऊर्जा आवश्यकतायें लगातार बढ़ रही हैं, तेल और गैस की सीमित घरेलू उपलब्धता के साथ देश प्रतिवर्ष अपनी घरेलू आवश्यकताओं के 75 प्रतिशत से अधिक का आयात करने के लिए मजबूर है। देश में बढ़ती हुए ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र कंपनियों को शामिल करके कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हेतु नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति व्यवस्था के दौरान कई कदम उठाते हुए देश में अन्वेषण और उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए बहु-आयामी नीति अपनायी है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण में ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। तलछटी बेसिन का अन्वेषण, ओआईएल के मुख्य उद्देश्यों में से एक होने के कारण राष्ट्र की हाइड्रोकार्बन आवश्यकता पूरी करने में मदद करता है। इसीलिए राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा और तेल-गैस क्षेत्र में अन्वेषण के महत्व को देखते हुए ऑयल इंडिया लिमिटेड के अन्वेषण प्रयासों पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

#### 2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा में ओआईएल के अन्वेषण निष्पादन को समग्र रूप से देखने का प्रयास किया जाता है। इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या ओआईएल का अन्वेषण प्रयास समुचित योजना के साथ किया गया था और राष्ट्र के परिकल्पित हाइड्रोकार्बन लक्ष्य तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दक्षता और प्रभावकारिता के साथ इसका निष्पादन किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि किस सीमा तक:

- ओआईएल ने अन्वेषण प्रयासों के माध्यम से हाइड्रोकार्बन रिजर्व अभिवृद्धि कर लिया था;
- सर्वेक्षण करने में दक्षता और मितव्ययिता प्राप्त की गई थी;

- ड्रिलिंग करने में दक्षता और मितव्ययिता प्राप्त की गई थी;
- नामांकन और एनईएलपी व्यवस्था के अंतर्गत ओआईएल के अन्वेषण प्रयास प्रभावकारी थे; और
- वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधनों के उपयोग और अन्वेषण प्रयासों के प्रति ओआईएल के निदेशक मण्डल, एमओपीएनजी और डीजीएच की निगरानी भूमिका के प्रति ओआईएल प्रभावकारी था।

### 2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में चार प्रचालन बेसिन अर्थात् असम, असम-अराकन<sup>9</sup>, कृष्णा-गोदावरी और राजस्थान में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के प्रति प्रचालक के रूप में 2009-10 से 2013-14 अवधि में ओआईएल के प्रमुख प्रचालन प्रयासों की समीक्षा शामिल है जो क्रमशः दुलियाजन, असम के पंजीकृत कार्यालयों, काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश के परियोजना कार्यालय, जोधपुर राजस्थान के परियोजना कार्यालय और उत्तर प्रदेश के निगम कार्यालय में किए गए थे। महानदी बेसिन में गतिविधियों की समीक्षा भी नोएडा के निगम कार्यालय से की गई थी और इसके लिए लेखापरीक्षा ने एमओपीएनजी एवं डीजीएच का भी दौरा किया था।

### 2.4 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु प्रयुक्त सामान्य दृष्टिकोण और कार्यपद्धति इस प्रकार है:

- उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यपद्धति को समझाने के क्रम में 16 सितम्बर 2014 को ओआईएल के साथ एक एंटी कांफ्रेंस की गई थी।
- हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ भी क्रमशः 20 नवम्बर 2014 तथा 4 दिसम्बर 2014 को एंटी कांफ्रेंस की गई थी।
- क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान (सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2014) ओआईएल के नोएडा (यूपी) स्थित निगम कार्यालय, दुलियाजन (असम) के पंजीकृत कार्यालय और जोधपुर (राजस्थान) के परियोजना कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों की भी समीक्षा की गई थी। एमओपीएनजी एवं डीजीएच से संबंधित अनुरक्षित अभिलेखों की भी समीक्षा की गई थी। अभिलेखों की संवीक्षा के आधार पर क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान प्राथमिक लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जारी की गई थी।
- ओआईएल को ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया था (फरवरी 2015)। ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंधित भाग को भी एमओपीएनजी/डीजीएच को जारी किया

<sup>9</sup> संयुक्त उद्यम के तहत 2 ब्लॉकों और एक कोल बेड मीथेन ब्लॉक को छोड़कर

गया था, (फरवरी 2015), हालांकि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। ड्रॉफ्ट प्रतिवेदन पर ओआईएल का उत्तर अप्रैल 2015 में प्राप्त हुआ जिसे वर्तमान प्रतिवेदन में यथोचित शामिल किया गया है। 15 मई 2015 को एक्जिट कांफ्रेंस में ओआईएल प्रबंधन के साथ प्रतिवेदन पर चर्चा की गई थी। बैठक में ओआईएल से प्राप्त प्रतिक्रिया को वर्तमान प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

- 18 जून 2015 को डीजीएच को एक प्रति के साथ एमओपीएनजी को ड्रॉफ्ट प्रतिवेदन जारी की गई थी। एमओपीएनजी का उत्तर 22 जुलाई 2015 को प्राप्त हुआ।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मानक प्रथा के अनुसार, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने और अपना मत व्यक्त करने के लिए लेखापरीक्षित सत्त्वों (एमओपीएनजी, डीजीएच और ओआईएल) को अवसर प्रदान करने के लिए 22 जुलाई 2015 को एक एक्जिट कांफ्रेंस किया गया। एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान व्यक्त किए गए विचारों और एमओपीएनजी से प्राप्त उत्तर पर प्रतिवेदन तैयार करते समय पूर्ण रूप से विचार किया।
- एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान व्यक्त किए गए विचारों को सम्मिलित करने के पश्चात 8 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षित इकाइयों को ड्रॉफ्ट अंतिम प्रतिवेदन जारी किया गया जिसमें उनसे 1 सप्ताह के अंदर उत्तर मांगा गया। एमओपीएनजी ने 5 अक्टूबर 2015 को बताया कि इस विषय में उनकी कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं है।

## 2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्रोत

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए हैं:

- एमओपीएनजी द्वारा जारी इंडिया हाइड्रोकार्बन विज़न 2025;
- मंत्रालय के साथ ओआईएल द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू;
- सीवीसी दिशा-निर्देश/एमओपीएनजी के निर्देश;

### अन्य ओआईएल दस्तावेज:

- ओआईएल नीतिगत एवं निगम योजना 2011-20;
- योजनावधि के लिए प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्यक्रम;
- वार्षिक योजना;
- वार्षिक निष्पादन बजट;
- वार्षिक वित्तीय बजट;
- सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रासंगिक नियम/दिशा-निर्देश;

- संविदा नियमावली और आंतरिक नियम;
- प्रबंधन सूचना प्रणाली/आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित नीतियाँ और दिशा-निर्देश।

## 2.6 लेखापरीक्षा नमूना

लेखापरीक्षा ने असम, असम-अरकान, कृष्णा-गोदावरी, राजस्थान और महानदी बेसिन में सम्पूर्णता में छब्बीस नामित और एनईएलपी ब्लॉकों का चयन किया जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान छोड़े गए सात एनईएलपी ब्लॉकों सहित ओआईएल प्रचालन करती है। नामित और एनईएलपी ब्लॉकों और अन्वेषण ठेके का चयन तथा अध्ययन तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1- लेखापरीक्षा में नमूना चयन का आधार

| ब्लॉकों/ठेके का चयन            | कुल              | चयनित संख्या | कवर की गई प्रतिशतता | आधार                             |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|
| नामित ब्लॉक (पीईएल)            | 16               | 5            | 31                  | परिचालनों की मात्रा/जोखिम अवबोधन |
| नामित ब्लॉक (पीएमएल)           | 22               | 7            | 32                  |                                  |
| एनईएलपी ब्लॉक-परिचालन          | 11 <sup>10</sup> | 7            | 64                  | महत्वपूर्ण कार्यकलाप             |
| एनईएलपी ब्लॉक-परित्यक्त        | 7                | 7            | 100                 | जोखिम अवबोधन                     |
| अन्वेषण तथा श्रम -प्रबंधन ठेके | 73               | 33           | 45                  | भौतिकता तथा जोखिम अवबोधन         |

लेखापरीक्षा ने ओआईएल की अन्वेषण गतिविधियों की सम्पूर्ण समीक्षा की थी। नामित व्यवस्था में ओआईएल की गतिविधियों की समीक्षा में, लेखापरीक्षा ने ओआईएल द्वारा परित्यक्त (3 पीईएल) के संदर्भ में परिचालनों/जोखिम अवधारणा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए 5 पीईएल तथा 7 पीएमएल ब्लॉको का चयन किया था। 7 परिचालन एनईएलपी ब्लॉको का चयन किया गया जहां लेखापरीक्षा की तिथि तक महत्वपूर्ण गतिविधियां की गई थी। इसके अतिरिक्त, सभी 7 परित्यक्त एनईएलपी ब्लॉको का चयन किया गया। अन्य 33 अन्वेषण तथा श्रम प्रबंधन ठेके को सम्मिलित भौतिकता तथा जोखिम कारको के आधार में न्युअल रूप से 73 ठेके में से चयनित किया गया था।

<sup>10</sup> एक संयुक्त रूप से परिचालित ब्लॉक को छोड़कर।

## अध्याय 3

### हाइड्रोकार्बन रिजर्व अभिवृद्धि की ओर ओआईएल के प्रयास

ओआईएल हाइड्रोकार्बन रिजर्व अभिवृद्धि<sup>11</sup> के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कितनी प्रभावी है, इसका निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा ने रिजर्व प्राक्कलन प्रक्रिया, रिजर्व अभिवृद्धि की कुशलता, एकसमान ऑनशोर अपस्ट्रीम तेल कम्पनियों के बीच हाइड्रोकार्बन खाजों में ओआईएल की सफलता, आरआरआर के माध्यम से प्रतिस्थापन उत्पादन में खोजो तथा उनकी दक्षता के मुद्रीकरण की समीक्षा की।

#### 3.1 रिजर्व प्राक्कलन तथा अभिवृद्धि

ओआईएल ने मै. डेगोलर एवं मेकनागटन, एक सलाहकार के माध्यम से वर्ष 1956 में पहली बार अपना वार्षिक रिजर्व प्राक्कलन किया। रिजर्व प्राक्कलन का कार्य 1966 से ओआईएल के घरेलू दल द्वारा किया गया। रिजर्व प्राक्कलन विभिन्न अन्वेषण तथा विकास गतिविधियों अर्थात् ड्रिलिंग, वर्क-ओवर जांच परिणामों, भूविज्ञानी तथा इंजीनियरिंग समीक्षाएं तथा संग्रहो के दाब उत्पादन संव्यवहार आदि से एकत्रित साक्ष्य को सम्मिलित करके किया जाता है।

2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के लिए ओआईएल की भिन्न प्राक्कलन पद्धतियों अर्थात् 1पी<sup>12</sup>, 2पी<sup>13</sup> तथा 3पी<sup>14</sup> श्रेणियों के तहत तेल तथा गैस रिजर्वों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को तालिका 3.1 तथा चित्र 3.1 और 3.2 में दिया गया है:

<sup>11</sup> वसूलीयोग्य हाइड्रोकार्बन रिजर्वों में वृद्धि।

<sup>12</sup> प्रमाणित रिजर्वों के समान।

<sup>13</sup> प्रमाणित जमा संभावित रिजर्वों के जोड़ के समान।


<sup>14</sup> प्रमाणित जमा संभावित जमा संभव रिजर्वों के जोड़ के समान।

तालिका 3.1 – ओआईएल के तेल तथा गैस रिजर्व


| प्राक्कलन पद्धति की श्रेणी | रिजर्व का प्रकार               | वर्ष    |         |         |         |         |
|----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |                                | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| 1पी                        | तेल रिजर्व<br>(एमएमएसके<br>एल) | 44.8    | 44.5    | 43.6    | 41.4    | 38.9    |
| 2पी                        |                                | 92.1    | 92.8    | 95.4    | 95.1    | 97.3    |
| 3पी                        |                                | 145.4   | 137.9   | 139.7   | 135.1   | 138     |
| 1पी                        | गैस रिजर्व<br>(बीसीएम)         | 36      | 33.9    | 30      | 27.3    | 24.6    |
| 2पी                        |                                | 56.2    | 53.7    | 50.7    | 47.3    | 45.18   |
| 3पी                        |                                | 76.5    | 74      | 71.1    | 67.7    | 66.36   |

स्रोत: रिजर्व मूल्यांकन टिप्पणी

चित्र 3.1 – तेल रिजर्व



चित्र 3.2 – गैस रिजर्व





लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि :

- जब 2पी श्रेणी के तहत तेल रिजर्व बढ़ता है तो यह 1पी (अर्थात प्रमाणित) श्रेणी के तहत कम होता है अतः रिजर्वों की निवल वृद्धि केवल संभावित श्रेणी के तहत थी। 2पी श्रेणी में वृद्धि क्षेत्रीय विकास गतिविधियों पर आधारित भूविज्ञानी तथा इंजीनियरिंग समीक्षाओं के कारण हो सकती है;
- 3पी (अर्थात संभावित) श्रेणी के तहत तेल रिजर्व में कमी अन्वेषण गतिविधियों के माध्यम से नए क्षेत्रों का समावेश न होना दर्शाती है;
- सभी श्रेणियों के तहत गैस रिजर्व 2009-10 से 2013-14 के दौरान कम हुआ। ओआईएल ने वर्ष 2013-14 की अपनी रिजर्व मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा कि 2008-09 के बाद से गैस रिजर्व में कमी की प्रवृत्ति देखी गई जैसाकि हाल ही के वर्षों में कोई मुख्य एमओयू/गैस बिक्री ठेका नहीं किया गया।
- यद्यपि ओआईएल अपने डिगबोर्ड तथा कुमचाय क्षेत्रों से गैस उत्पादन क्रमशः 1889 तथा 1987 से कर रहा था तथापि, ऐसी गैस की आपूर्ति के लिए किसी ठेके के अभाव में इसे फैलाना था तथा रिजर्व प्राक्कलन में नहीं समझना था।

चूंकि, ओआईएल ने उन रिजर्वों को प्रमाणित करने में आशा से कम सफलता प्राप्त की जो 1पी श्रेणी में कमी प्रवृत्ति से स्पष्ट रूप में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के आगामी पोषणीय विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि 1पी हाइड्रोकार्बन के प्रमाणित रिजर्वों को दर्शाती है।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि 1पी रिजर्व में वृद्धि न होना मौजूदा नीचली श्रेणी रिजर्वों से उत्पादन तथा गैर-अनुपातिक अद्यतन की वजह से रिजर्व की कमी के कारण था। इसी प्रकार, 3पी रिजर्वों में महत्वपूर्ण वृद्धि के अभाव ने संभावित श्रेणी के गैर-अनुपातिक अद्यतन तथा अन्वेषण के माध्यम से नई रिजर्व अभिवृद्धि को दर्शाया। 2पी श्रेणी में वृद्धि जांच के माध्यम से अधिक विश्वास की वजह से संभव श्रेणी के संभावित श्रेणी रिजर्व में उन्नयन के कारण थी। इसके अलावा, राजस्थान का गैस बिक्री करार 31 मार्च 2015 तक मान्य था तथा इसके नवीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन था। ईपीए डिगबोर्ड से उत्पादित गैस को फैलाने के संदर्भ में इसे मुख्य रूप से बाधजन तथा मकुम में किया जा रहा था जिसमें से मुख्य गैस फ्लैरिंग बाधजन से थी। ओआईएल गैस रिक्तीकरण तथा हापजन में बूस्टर कम्प्रेसर के संस्थापन के लिए बाधजन से दुलियाजन तक एक 16 इंच की गैस पाइपलाइन बिछा रहा था जो प्रगति पर था। कुमचाय क्षेत्र से उत्पादित गैस को अधिकतर ग्राहकों की अनुपलब्धता के लिए फैलाया गया था। ओआईएल कुमचाय गैस का उपयोग करने के लिए 5 से 10 एमडब्ल्यू क्षमता की कुमचाय विद्युत संयंत्र परियोजना की स्थापना के लिए योजना बना रहा था।

तथ्य यह है कि एक प्रमुख एनओसी होने के नाते, ओआईएल को 3पी से 2पी तथा 2पी से 1पी तक उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण करना चाहिए। नवीनतम क्षेत्रों को जोड़ना एक ईएवपी कम्पनी के निष्पादन की जांच करने के लिए प्रमुख मानदण्ड होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन रिजर्वों के नए क्षेत्रों के लिए देश की बढ़ती हुई आवश्यकता के संदर्भ में, यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

एक्जिट सम्मेलन (जुलाई 2015) में, एमओपीएनजी/ओआईएल ने कहा कि ऊपरी असम नदी घाटी जो ओआईएल का प्रमुख परिचालन क्षेत्र था, में अन्वेषण परिपक्वता के कारण रिजर्वों की खोजों तथा अभिवृद्धि का विस्तार धीरे-धीरे कम हो रहा था। इन वर्षों के दौरान 1पी रिजर्वों में कमी तेल तथा गैस उत्पादन की मात्रा तथा 2पी रिजर्वों के गैर-अनुपातिक उन्नयन की वजह से कमी के कारण थी। 2पी रिजर्वों में वृद्धि 2पी श्रेणी में वार्षिक रिजर्व अभिवृद्धि के कारण थी। 3पी रिजर्वों में कमी मूल्यांकन तथा विकासक गतिविधियों की वजह से 3पी के घटक के 2पी श्रेणी में उन्नयन परन्तु अन्वेषण प्रयासों द्वारा 3पी श्रेणी में नए रिजर्वों की सीमित अभिवृद्धि के कारण थी।

इस प्रकार, ओआईएल को वहनीय तेल तथा गैस उत्पादन के लिए 3पी श्रेणी में नए रिजर्वों की अभिवृद्धि और 3पी के 2पी तथा 2पी के 1पी श्रेणी में उन्नयन प्रारम्भ करने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

### 3.2 रिजर्व अभिवृद्धि में दक्षता

रिजर्व अभिवृद्धि लक्ष्यों को एक वर्ष के दौरान ड्रिलिंग के लिए योजनित अन्वेषणात्मक कुओं की कुल संख्या तथा पिछले वर्ष की अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग सफलता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। भारत में, ओआईएल की मुख्य अन्वेषण तथा उत्पादन गतिविधियों को असम एवं असम-अरकन (ए एवं एए) तथा राजस्थान (आरजे) में किया जाता है। 2009-10 से 2013-14 तक के पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार लक्ष्यों तथा वास्तविक रिजर्व अभिवृद्धि को तालिका 3.2 तथा आकृति 3.3 में दर्शाया गया है:


## तालिका: 3.2 – लक्ष्य तथा वास्तविक रिजर्व अभिवृद्धि

(एमएमटाय में)

| वर्ष                           | असम एवं असम-अरकन |         |         |         |         |       | राजस्थान |         |         |         |          |         |
|--------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
|                                | 2009-10          | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | कुल   | 2009-10  | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14  | कुल     |
| लक्ष्य (एमओयू)                 | 10               | 8.4     | 8.7     | 8.8     | 8.8     | 44.7  | उ.न.     | उ.न.    | उ.न.    | उ.न.    | उ.न.     | उ.न.    |
| लक्ष्य (बीई)                   | 9.5              | 8       | 8.4     | 8       | 8       | 41.9  | -        | 0.25    | 0.25    | 0.15    | 0.15     | 0.8     |
| लक्ष्य(आरई)                    | -                | -       | -       | 8.5     | 6       | 14.5  | -        | 0.05    | 0.05    | 0.15    | 0.07     | 0.32    |
| उपलब्धि <sup>15</sup>          | 10.06            | 8.43    | 8.41    | 8.2     | 7.31    | 42.41 | 0        | 0       | 0       | 0.464   | 0.007    | 0.471   |
| अधिशेष /एमओयू लक्ष्यो मे (कमी) | 0.06             | 0.03    | -0.29   | -0.6    | -1.49   | -2.29 | -        | (0.25)  | (0.25)  | 0.314   | (0.143)3 | (0.329) |

टिप्पणी: ए एवं एए में 2011-12 तक कोई आरई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। आरजे में 2009-10 के लिए कोई बीई एवं आरई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। चूंकि आरजे के लिए कोई एमओयू लक्ष्य निर्धारित नहीं था अतः कमी को बीई लक्ष्य के आधार पर संगणित किया गया।

## चित्र 3.3 – लक्ष्य (एमओयू) की तुलना में ए एवं एए की उपलब्धि



लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- असम एवं असम-अरकन में 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के दौरान अधिशेष नीचे आया तथा 2011-12 से 2013-14 तक के तीन लगातार वर्षों के लिए कमी में वृद्धि हुई। इस प्रकार, रिजर्व अभिवृद्धि के संदर्भ में एक समग्र कमी प्रवृत्ति थी।

<sup>15</sup> संयुक्त उद्यम ब्लॉको की रिजर्व अभिवृद्धि को छोड़कर

- एमओपीएनजी द्वारा ओआईएल के साथ विचार विमर्श करके असम तथा असम-अरकन के लिए प्रत्येक वर्ष एमओयू लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। राजस्थान के लिए कोई एमओयू लक्ष्य निर्धारित नहीं था।
- ओआईएल ने असम एवं असम-अरकन में 2011-12 के बाद से अपने एमओयू में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया तथा बजटीय लक्ष्य और संशोधित लक्ष्य सभी वर्षों के दौरान एमओयू से बहुत कम तक निर्धारित किया।
- यद्यपि ओआईएल ने 2013-14 में आरई लक्ष्य को प्राप्त किया अतः इस पर ध्यान देना प्रासंगिक है कि असम एवं असम-अरकन में, ओआईएल ने बीई लक्ष्य के 75 प्रतिशत तथा एमओयू लक्ष्य के 65 प्रतिशत पर आरई लक्ष्य को निर्धारित किया। ऐसे संशोधन के लिए कारण दर्ज नहीं थे।
- राजस्थान में, 2010-11 से 2013-14 तक की समयावधि के दौरान, 0.80 एमएमटॉय का औसत बीई लक्ष्य किसी दर्ज कारण के बिना आरई लक्ष्य में 60 प्रतिशत तक कम हुआ;
- ओआईएल ने पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में रिजर्व अभिवृद्धि का अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। कुल रिजर्व अभिवृद्धि लक्षित मात्रा का केवल 59 प्रतिशत था।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि आरई संशोधित योजना का निर्णय लेने के लिए प्रत्यक्ष गतिविधियों की अर्द्ध-वार्षिक प्रवृत्ति पर आधारित था। केवल बीई लक्ष्य निष्पादन मूल्यांकन तथा सरकारी रिपोर्टिंग के लिए उद्धृत किया जाता है। रिजर्व अभिवृद्धि के बीई लक्ष्य योजनित ड्रिलिंग, वर्क ओवर तथा अन्य मूल्यांकन प्रयासों से संभव योगदान के वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आधारित थे, जबकि उत्पादन के एमओयू लक्ष्य को समान्य तौर पर उत्पादन क्षेत्रों से कोर रेवेन्यू अर्जन के लिए सीमित वृद्धि परिप्रेक्ष्य से एक द्विपक्षीय वार्तालाप के तहत सरकार द्वारा नियुक्त कार्य दल द्वारा बातचीत के दौरान उच्च स्तर पर तय किया गया था। परिणामस्वरूप, अभिवृद्धि आंकड़ों को 1(एक) से ऊपर आरआरआर रखने के लिए बढ़ाया गया था। इस प्रकार, बीई एमओयू लक्ष्य से कम हो गया। ओआईएल ने आगे कहा कि यद्यपि राजस्थान में सभी वर्षों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की गई थी तथापि, रिजर्व अभिवृद्धि को केवल वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में स्थापित किया गया। अन्य एनईएलपी ब्लॉकों में खराब हाइड्रोकार्बन परिप्रेक्ष्य के कारण अन्य वर्षों में कोई रिजर्व अभिवृद्धि नहीं थी। यह भी कहा गया (मई 2015) कि उन्होंने अपने लक्ष्य का निर्धारण करते समय एमओयू तथा सर्वेक्षण तथा ड्रिलिंग से संबंधित योजना आयोग के लक्ष्य के बीच कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ओआईएल ने स्वयं स्वीकार किया है कि राजस्थान में रिजर्व अभिवृद्धि नए क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के माध्यम से नहीं अपितु विकासक ड्रिलिंग पर आधारित भूविज्ञानी तथा इंजीनियरिंग समीक्षाओं के कारण थी।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति (2010-11, 15वीं लोक सभा) ने अनुदानों के लिए मांग पर अपनी आठवीं रिपोर्ट में चर्चा की (अगस्त 2011) कि तेल पीएसयू के लिए निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को सभी संबंधित कारकों पर ध्यान देकर विशेषज्ञों वाले कार्य दल, मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा तेल कम्पनियों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के पश्चात, तेल पीएसयू तथा मंत्रालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। हालांकि, इन लक्ष्यों जिन्हें व्यवहार के साथ बहुत समझौता करके निर्धारित किया जाता है, का कम्पनियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित अधिकतर लक्ष्य उन कारणों की वजह से प्राप्त नहीं किए गए जो प्रायः पुनरावृत्तीय प्रकृति के हैं। समिति का मत था कि एमओयू पर हस्ताक्षर करके, इन लक्ष्यों का अनुपालन करने के लिए कम्पनी की ओर से प्रतिबद्धता बन जाती है। किसी भी कम उपलब्धि को मंत्रालय द्वारा गंभीर रूप से समीक्षा किए जाने तथा कमी से बचने के लिए आवधिक रूप से उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता थी।

### 3.3 रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात में कमी

रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात (आरआरआर)<sup>16</sup> अभिवृद्धित नए रिजर्वों तथा उत्पादित तेल के बीच सम्बंध का पता लगाता है जो यह दर्शाता है कि एक तेल कम्पनी अपने उत्पादन का प्रतिस्थापन कितनी अच्छी तरह से करती है। ईएवंपी क्षेत्र में दीर्घावधि स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, ओआईएल को अपने उन रिजर्वों जिससे वे तेल तथा गैस उत्पादित करते हैं, को फिर से भरना अनिवार्य है।


असम एवं असम-अरकन के ओआईएल के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों के वर्ष 2013-14 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन, अल्टीमेट रिजर्व (यूआर) तथा आरआरआर को तालिका 3.3 तथा चित्र 3.4 और 3.5 में दिया गया है तथा राजस्थान के संदर्भ में इसे तालिका 3.4 में दिया गया है:

<sup>16</sup> आरआरआर-एक वर्ष के दौरान अभिवृद्धित अंतिम रिजर्व/वर्ष के दौरान हाइड्रोकार्बन का कुल उत्पादन

तालिका 3.3 – असम एवं असम-अकरम में रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात का उपयोग  
(मात्रा एमएमटॉय में)


| क्रम सं.                          | विवरण                         | वर्ष    |         |         |         |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|                                   |                               | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14            |
| 1                                 | प्रारंभिक हाइड्रोकार्बन       | 1054.25 | 1055.43 | 1072.70 | 1088.09 | 1097.16            |
| 2                                 | अन्तिम रिजर्व<br>अभिवृद्धि    | 10.06   | 8.43    | 8.41    | 8.20    | 7.31 <sup>17</sup> |
| 3                                 | तेल उत्पादन                   | 3.54    | 3.56    | 3.82    | 3.64    | 3.44               |
| 4                                 | गैस उत्पादन                   | 1.94    | 1.93    | 2.12    | 2.16    | 2.15               |
| 5.                                | कुल उत्पादन (क्रम<br>सं. 3+4) | 5.48    | 5.49    | 5.94    | 5.80    | 5.59               |
| आरआरआर( क्रम सं. 2/क्रम<br>सं. 5) |                               | 1.84    | 1.54    | 1.42    | 1.41    | 1.31               |

चित्र 3.4 – असम तथा असम-अरकन में अंतिम रिजर्व अभिवृद्धि तथा कुल उत्पादन



<sup>17</sup> संयुक्त उद्यम ब्लॉको से रिजर्व अभिवृद्धि को छोड़कर

चित्र 3.5 – असम तथा असम-अरकन में रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात



व्याख्या: यद्यपि कुल उत्पादन पाँच वर्षों में एक समान रहा है तथापि, पाँच वर्षों की अवधि में रिजर्व प्रतिस्थापन एवं अंतिम रिजर्व अभिवृद्धि लगातार नीचे जा रहा है।

तालिका 3.4 – राजस्थान में रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात की संगणना

(मात्रा एमएमटॉय में)

| क्रम सं. | विवरण                                      | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | प्रारंभ में गैस                            | 3.739   | 3.739   | 3.739   | 4.355   | 4.371   |
| 2        | आर्थिक रूप से अंतिम वसूली योग्य गैस रिजर्व | 2.771   | 2.771   | 2.771   | 3.235   | 3.243   |
| 3        | ईयूआर में अभिवृद्धि                        | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.464   | 0.007   |
| 4        | गैस उत्पादन                                | 0.079   | 0.061   | 0.086   | 0.075   | 0.076   |
|          | आरआरआर (क्रम सं. 3/क्रम सं. 4)             | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 6.187   | 0.092   |

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- यद्यपि ओआईएल ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान असम एवं असम-अरकन में निर्धारित रूप में 1 से अधिक आरआरआर प्राप्त किया, तथापि यूआर ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की। फलस्वरूप, आरआरआर में 2009-10 में 1.84 से 2013-14 में 1.31 तक की कमी प्रवृत्ति है।
- राजस्थान परियोजना ने केवल 2012-13 में 1 से अधिक आरआरआर दर्ज किया। राजस्थान में 2012-13 में आसामान्य रूप से अधिक आरआरआर के लिए कारण 2011-12 तक रिजर्व अभिवृद्धि का अभाव पाया गया। हालांकि, 2012-13 में रिजर्व अभिवृद्धि मुख्य रूप से भूविज्ञानी तथा इंजीनियरिंग समीक्षा के कारण थी।
- एमओपीएनजी ओआईएल के एमओयू लक्ष्यों का निर्धारण करने में नियंत्रण का प्रयोग करता है तथा वर्ष के दौरान तथा अन्त में निष्पादन मूल्यांकन करता है।

विभिन्न पैरामीटरों जिसके लिए वेटेज दी जाती है जबकि अन्वेषण ओआईएल का मूल कार्य है, में से 'वसूली योग्य रिजर्वों की अभिवृद्धि' को दी गई वेटेज 2009-10 में आठ प्रतिशत से 2013-14 में पांच प्रतिशत तक कम हुई। इसका तात्पर्य है कि ओआईएल का अपने मूल कार्य के अलावा वित्तीय तथा गैर वित्तीय पैरामीटरों पर अधिक मूल्यांकन हो रहा था।

ओआईएल ने अपने राजस्थान परिचालनों के संबंध में लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए कहा (अप्रैल 2015) कि ऊपरी असम में ब्लॉको का विस्तृत रूप से अन्वेषण किया जा रहा था तथा वर्षों में महत्वपूर्ण खोजे हुई थी। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से की गई खोजे काफी चुनौतियों को दिखाते हुए तुलनात्मक रूप से कम थी। इन खोजों की पहचान तथा ड्रिलिंग करना तकनीकी तथा आर्थिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण था। जैसाकि इन खोजों से अभिवृद्धित रिजर्वों ने ऊपरी असम पेट्रोलियम युक्त बेसिन में पहले ही किए जा चुके अन्वेषण की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए कमी प्रवृत्ति दर्शाई।

यह उत्तर ज्ञात तथ्यों तथा चुनौतियों की पुनरावृत्ति है। ओआईएल को वर्षों में अर्जित अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके इन समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा रिजर्व अभिवृद्धि प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए एक सुरक्षात्मक नीति बनाने की आवश्यकता है।

### 3.4 पिअर्स के बीच हाइड्रोकार्बन खोजों में ओआईएल की सफलता

#### नामांकित ब्लॉक

ओआईएल ने चार खोजों<sup>18</sup> जिनका अभी मुद्रिकरण करना था, को शामिल करते हुए 2009-10 से 2013-14 के दौरान नामांकित क्षेत्र के तहत असम एवं असम-अरकन में 33 हाइड्रोकार्बन खोजे की। मुद्रिकरण के लिए लम्बित चार खोजों में से तीन खोजे क्षेत्रीय विकास के लिए वर्तमान रूप से तकनीकी-आर्थिक रूप में अरुचिकर थी तथा एक खोज प्रोत्साहन की प्रतीक्षा में है।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि मधकली - 1 कुएं के संदर्भ में, ओआईएल के पास इन-हाउस विशेषज्ञता तथा तकनीक नहीं थी तथा इसे बाहर से लिया गया था। इसी प्रकार, इसके पास दीरॉय -5 से अधिक तेल उत्पादित करने के लिए पर्याप्त तकनीक नहीं थी। इसके अलावा, दीसॉयजन ने पहले ही वर्कओवर

<sup>18</sup> मधकली-1, दीरॉय-5, दीसॉयजन-1 तथा महाकली-1



के लिए व्यवस्था की थी तथा 2015-16 के पूर्व भाग में परिणाम अपेक्षित थे। एमओपीएनजी ने कहा (जुलाई 2015) कि तकनीकी का अधिष्ठापन करके कुछ उत्पादन को मधकली -1 से अप्रैल 2015 में स्थापित किया गया। इसके अलावा, मधकली से उत्पादन कम क्षमता तथा अलग-थलग क्षेत्र के कारण विलम्बित था जिसे 2015-16 में पूरा होने के लिए वर्कओवर हेतु व्यवस्थित किया गया था।

इस संदर्भ में, ओआईएल का तर्क कि इसमें अधिक तेल उत्पादन करने के लिए विशेषज्ञता का अभाव था, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एक प्रतिकूल एनओसी होने के नाते, इसे ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए नई तकनीक के प्रति सचेत होना है।

### एनईएलपी ब्लॉक

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस स्थाई समिति (2014-15, 16वीं लोकसभा) ने अपनी पहली रिपोर्ट में वर्णित किया कि एनईएलपी के तहत, अन्वेषण ब्लॉको को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया जहां एनओसी अर्थात ओएनजीसी और ओआईएल भी समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, के माध्यम से भारतीय निजी तथा विदेशी कम्पनियों को दिया गया था।

एनईएलपी क्षेत्र (चरण I से IX) के दौरान दिए गए 254 ब्लॉको<sup>19</sup> में से परिचालको के रूप में निजी/विदेशी कम्पनियों द्वारा 66 खोजे की गई हैं तथा 64 खोजे एनओसी तथा राज्य पीएसयू (जीएसपीसीएल) द्वारा की गई हैं। हालांकि, ओआईएल ने सभी एनईएलपी चरणों में दिए गए एनईएलपी ब्लॉको से केवल एक खोज (ब्लॉक आरजे-ओएनएन-2004/2) की।

लेखापरीक्षा ने अपने पीअर्स के बीच हाईड्रोकार्बन खोजों में ओआईएल की सफलता की तुलना करने का प्रयास किया जिसे तालिका 3.5 तथा चित्र 3.6 में दर्शाया गया है:

<sup>19</sup> विभिन्न कम्पनियों को दिए गए 254 ब्लॉको में से 198 ब्लॉक उन कम्पनियों से संबंधित हैं जिन्होंने खोजे की हैं।


तालिका 3.5-एनईएलपी के तहत हाईड्रोकार्बन खोजे

(31.03.2014 तक)

| क्र. सं. | कम्पनी (परिचालक)                      | आवंटित ब्लॉक | तेल खोज | गैस खोज | कुल खोज |
|----------|---------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 1        | ओएनजीसी                               | 111          | 10      | 29      | 39      |
| 2        | ऑयल इंडिया लिमिटेड                    | 19           | 1       | -       | 1       |
| 3        | गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. | 8            | 15      | 9       | 24      |
| 4        | रिलॉयस इंडस्ट्रीज लि.                 | 38           | 14      | 37      | 51      |
| 5        | जुबिलेंट ऑयल एंड गैस प्रा.लि.         | 6            | 2       | 4       | 6       |
| 6        | फोकस एनर्जी लि.                       | 3            | -       | 1       | 1       |
| 7        | कैरन इंडिया लि.                       | 8            | 4       | 1       | 5       |
| 8        | नीको रिसोर्सिज लि.                    | 2            | -       | 2       | 2       |
| 9        | नफ्तोगज                               | 3            | 1       | -       | 1       |
|          | कुल                                   | 198          | 47      | 83      | 130     |

स्रोत: डीजीएच रिपोर्ट

चित्र 3.6 – एनईएलपी के तहत हाईड्रोकार्बन खोजे



लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि ई एवं पी क्षेत्र में वित्तीय स्रोत तथा तकनीकी अनुभव दोनो रखने वाली एक एनओसी होने के बावजूद, ओआईएल का निष्पादन उद्योग में अपने

पीअर्स से पीछे रह गया। एनईएलपी अवधि के दौरान कुल खोजों में से ओआईएल ने राजस्थान में पूनम कुएं में केवल एक खोज की जिसका अभी मुद्रीकरण होना है (अप्रैल 2015) हालांकि, खोज जुलाई 2012 में हो गई थी।

ओआईएल ने डीजीएच को सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि उसके पास पूनम-1 से अधिक तेल उत्पादन करने के लिए पर्याप्त तकनीक नहीं है। खोज क्षमतात्मक वाणिज्यिक हित तथा विशेषता मूल्यांकन की थी। हालांकि, ओआईएल ने किसी मूल्य निर्धारण कुएं की ड्रिलिंग के बिना डीजीएच को वाणिज्यिकता (डीओसी) की प्रमाणिकता प्रस्तुत की। डीओसी को अभी डीजीएच द्वारा स्वीकृत होना था (दिसम्बर 2014), जिसके परिणामस्वरूप खोज के मुद्रीकरण में विलम्ब हुआ।

ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि 40 ब्लॉकों में से ओआईएल 19 ब्लॉकों में परिचालक था। इन 19 ब्लॉकों में से 3 ब्लॉकों को रसद, एमओडी स्वीकृति आदि जो ओआईएल के नियंत्रण से परे थी, के कारण जांच सम्बंधी अन्वेषण ड्रिलिंग के बिना छोड़ दिया गया। शेष 16 ब्लॉकों में से 8 ब्लॉकों की अन्वेषण ड्रिलिंग द्वारा जांच की गई तथा 2013-14 तक केवल 1 खोज की गई थी। शेष ब्लॉकों में अन्वेषण कार्य चल रहे थे तथा उनकी अभी जांच नहीं हुई थी।

तथ्य यह है कि ओआईएल ने अभी तक केवल दो खोजें की थीं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस स्थाई समिति (2012-13, 15वीं लोकसभा) ने सिफारिश की कि देश हाइड्रोकार्बन आवश्यकता को पूरा करने में सफलता प्राप्त करने के लिए एनओसी पर विचार करती है। अतः एनओसी को अधिक प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए तथा सराहनीय परिणाम प्राप्त करने चाहिए और उन पर की गई अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि एमओपीएनजी/डीजीएच को विभिन्न कार्यों की समय पर प्राप्ति की जांच करने के लिए विभिन्न अन्वेषण ब्लॉकों में प्रगति को मॉनीटर करना चाहिए।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस में (जुलाई 2015) एमओपीएनजी ने कहा कि निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां ओआईएल के अन्वेषण प्रयासों को मॉनीटर करने के लिए उनके तंत्र को मजबूत बनाने में उपयोगी होगी।

## अध्याय 4

### सर्वेक्षण प्रक्रिया में दक्षता और मितव्ययिता

ओआईएल की सर्वेक्षण प्रक्रिया जिसमें अधिग्रहण, प्रसंस्करण और डॉटा की व्याख्यात्मकता (एपीआई) शामिल हैं की दक्षता और मितव्ययिता की जाँच करने के लिए लेखापरीक्षा ने सर्वेक्षण के दौरान ओआईएल द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जिसे अन्वेषण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। चूंकि ओआईएल द्वारा भूकम्पीय डॉटा 2डी/3डी सर्वेक्षण के माध्यम से अपने स्वयं के सर्वेक्षण उपकरण (इन हाऊस) के साथ साथ ठेकागत भाड़े पर लेने के द्वारा संग्रहित किया जाता है, लेखापरीक्षा ने सर्वेक्षण ठेकों की समीक्षा, ठेकों के प्रबंधन में कमियां, जिनके कारण नामांकन ब्लकों में विलम्ब और कमियां और एनईएलपी ब्लकों में एमडब्ल्यूपी की कम प्राप्ति हुई, बताने के लिए की।

#### 4.1 अधिग्रहण, प्रसंस्करण और भूकम्पीय डॉटा की व्याख्या में गिरावट

ओआईएल एपीआई के लिए अपने बीई और आरई लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान बीई और आरई लक्ष्य और एपीआई के वास्तविक तालिका 4.1 में और बाद के आंकड़े 4.1 और 4.2 में दिए गए हैं।

तालिका 4.1 - 2डी और 3डी एपीआई लक्ष्य और वास्तविक


| वर्ष        | 2डी                                  |                        |                      |  | 3डी                               |                         |                             |  |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
|             | बीई लक्ष्य<br>(एलकेएम) <sup>20</sup> | आरई लक्ष्य<br>(एलकेएम) | वास्तविक<br>(एलकेएम) | आई लक्ष्य<br>के प्रति<br>आधिक्य/<br>(गिरावट)<br>(एलकेएम) | बीई (वर्ग<br>किमी.) <sup>21</sup> | आर ई<br>(वर्ग<br>किमी.) | वास्तविक<br>(वर्ग<br>किमी.) | आधिक्य/कमी<br>(गिरावट) (वर्ग<br>किमी.) |
| 2009-10     | 2325                                 | 1715                   | 1308                 | (407)  | 2065                              | 1002                    | 984                         | (18)                                   |
| 2010-11     | 1260                                 | 1182                   | 1149                 | (33)   | 1698                              | 661                     | 619                         | (43)                                   |
| 2011-12     | 2090                                 | 1317                   | 1397                 | 80   | 1767                              | 1767                    | 1838                        | 71                                     |
| 2012-13     | 470                                  | 500                    | 224                  | (276)  | 1570                              | 1925                    | 1795                        | (130)                                  |
| 2013-14     | 200                                  | 490                    | 499                  | 9  | 500                               | 718                     | 928                         | 210                                    |
| <b>जोड़</b> | <b>6345</b>                          | <b>5204</b>            | <b>4577</b>          | <b>(627)</b>   | <b>7600</b>                       | <b>6073</b>             | <b>6164</b>                 | <b>91</b>                              |

स्रोत: 2009-10 से 2013-14 के लिए आईओएल की वार्षिक योजना


<sup>20</sup> लाइन किलोमीटर

<sup>21</sup> वर्ग किलोमीटर

चित्र 4.1 – भूकम्पीय सर्वेक्षण का वर्ष वार लक्ष्य और वास्तविक



चित्र 4.2 – 3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण का वर्ष वार लक्ष्य और वास्तविक



लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- आईओएल ने वर्ष 2011-12 और 2013-14 को छोड़कर संशोधित योजना लक्ष्य के संबंध में 2 डी सर्वेक्षण के अपने स्वयं के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए थे। इसी प्रकार, इसने 2009-10, 2010-11 और 2012-13 के लिए 3 डी में अपने स्वयं के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए थे।
- 2009-10 से 2013-14 में 2 डी के प्रति गिरावट 3 से 55 प्रतिशत थी और इसी अवधि के दौरान 3 डी में गिरावट 2 से 7 प्रतिशत के बीच थी।
- आईओएल ने 2009 - 10 में प्रबल रूप से अपने 2 डी और 3 डी संशोधित योजना लक्ष्य अपने योजना लक्ष्यों से कम कर दिए थे। इसके अतिरिक्त आईओएल ने 2011-12 में 2 डी लक्ष्य और 2010-11 में 3 डी लक्ष्य तेजी से कम कर दिए थे।

- 11 वें और 12 वें पंचवर्षीय योजना के लिए 2 डी और 3 डी के लिए योजना आयोग के लक्ष्यों की तुलना करते समय लेखापरीक्षा ने देखा कि ओआईएल के 2 डी/3 डी लक्ष्य लगभग 11 वीं पंच वर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के लक्ष्यों के अनुरूप थे। तथापि, ओआईएल ने 12 वीं पंच वर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में 2 डी और 3 डी दोनों के लक्ष्यों में प्रबल रूप से कमी कर दी थी (योजना आयोग के लक्ष्यों से क्रमशः 2954 एलकेएम और 1521 वर्ग कि.मी. तक कमी जो क्रमशः 25 प्रतिशत और 63 प्रतिशत थी) और
- विभिन्न वर्षों में 2 डी और 3 डी के अन्तर्गत सर्वेक्षण में लगातार गिरावट के लिए बोर्ड के समक्ष मूल्यांकन और उपचारात्मक उपाय करने के लिए कारण अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि राजस्थान में, 2009-10 से 2013-14 के दौरान 2 डी सर्वेक्षण नहीं किया गया था और 3डी सर्वेक्षण के लिए निर्धारित योजना लक्ष्य के प्रति 59 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। कृष्णा - गोदावरी में मार्च 2014 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान 2 डी और 3 डी सर्वेक्षणों के लिए योजना लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी क्रमशः 49 और 64 प्रतिशत थी। कावेरी में, ओआईएल 2 डी सर्वेक्षण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करने में विफल रहा जिसके प्रति 2009 -10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 2 डी सर्वेक्षण 511 एलकेएम किया गया था। ओआईएल ने बताया (जनवरी 2015) कि कावेरी के लिए निर्धारित लक्ष्यों को वार्षिक योजना में अनजाने में छोड़ दिया गया था।

लेखापरीक्षा तर्क स्वीकार करते समय आईओएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि बीई लक्ष्य के संदर्भ में 2 डी/3 डी डाटा अधिग्रहण में गिरावट मुख्यतः केजी और राजस्थान बेसिनों में थी। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना में निर्धारित 2 डी/3 डी भूकम्पीय लक्ष्य बीई/आरई लक्ष्यों की तुलना में व्यापक लक्ष्य थे। नामांकित ब्लॉकों में वास्तविक सर्वेक्षण विभिन्न प्रतिद्धताओं और आवश्यकताओं पर निर्भर करता हैं। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष बोर्ड को लक्ष्यों/उपलब्धियों के बारे में सूचित किया गया था। ओआईएल ने आगे बताया कि राजस्थान बेसिन में कमी 2 डी ठेकों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण थी। केजी बेसिन में विलम्ब मुख्यतः पुदुचेरी सरकार से पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस और आरक्षित वन क्षेत्र के लिए वन अनुमति की प्राप्ति में विलम्ब के कारण था। ओआईएल ने आगे कहा (मई 2015) कि उन्होंने अपना स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करते समय सर्वेक्षण और ड्रिलिंग लक्ष्य के संबंध में एओयू और योजना आयोग के बीच कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया था।

ओआईएल का उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि आईओएल को राष्ट्रीय हाइड्रोकार्बन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना आयोग के लक्ष्य के साथ अपने स्वयं के लक्ष्य को समकालिक बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एमओपीएनजी द्वारा ओआईएल के लिए निर्धारित लक्ष्य 12 वीं योजना अवधि के दौरान योजना आयोग के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है।

जबकि योजना आयोग के लक्ष्य 5 वर्ष के स्केल पर व्यापक है, उन्हें समग्र हाइड्रोकार्बन परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एमओपीएनजी और ओआईएल के साथ परामर्श से निर्धारित किया गया था। यद्यपि लक्ष्यों और उपलब्धियों के सांख्यिकीय आंकड़े बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किए गए थे किन्तु सर्वेक्षण में लगातार कमी के कारण मूल्यांकन और उपचारात्मक उपाय हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2 डी और 3 डी भूकम्पीय सर्वेक्षणों में कमी एपीआई चक्र में लिए गए अत्यधिक समय और संविदात्मक प्रबंधन में अन्य कमियों के कारण थी जैसा कि आगामी पेराग्राफों में विस्तृत विवरण दिया गया है।

## 4.2 एपीआई चक्र के लिए लिया गया अधिक समय

योजना के अनुसार अन्वेषण कार्यकलाप की पूर्णता के लिए आन्तरिक सर्वेक्षण उपकरण/संविदात्मक भाड़े पर लेने के माध्यम से डाटा का समय पर अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या आवश्यक है। एपीआई चक्र में विलम्ब का ई एवं पी कम्पनी के पास उपलब्ध कुल आन्तरिक अन्वेषण अवधि पर प्रपाति प्रभाव पड़ा।

### 4.2.1 आन्तरिक सर्वेक्षण

आन्तरिक सर्वेक्षण कार्य डाँटा के अधिग्रहण और प्रसंस्करण के लिए ओआईएल के भूभैतिकी विभाग द्वारा किया जाता है जबकि डाँटा की व्याख्या का कार्य भूवैज्ञानिक और रिजरवायर (जी एवं आर) विभाग द्वारा किया जाता है। अधिग्रहण कार्य के लिए फील्ड दिनों में मोबिलाइजेशन सर्वेक्षण कार्य, प्रायोगात्मक कार्य, उत्पादन कार्य, गैर उत्पादन कार्य और डीमोबिलाइजेशन दिन शामिल हैं।

2009-10 से 2013-14 के दौरान किए गए 26 आन्तरिक सर्वेक्षणों में से लेखापरीक्षा ने 23 सर्वेक्षण कार्यों की जांच की। 23 सर्वेक्षण कार्यों में से, 10 सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए गए थे और 13 सर्वेक्षण कार्य नवम्बर 2014 तक प्रगति में थे (अनुबंध - II)। सर्वेक्षण में लिए गए समय के विश्लेषण से निम्न का पता चला:

- आन्तरिक सर्वेक्षण कार्य करने के लिए ओआईएल द्वारा कोई प्रतिमान निर्धारित/नियत नहीं किए गए थे। पूर्ण किए गए 10 सर्वेक्षण कार्यों में, एपीआई चक्र पूर्ण करने में लिया गया समय 472 और 2005 दिनों के बीच का था।
- प्रगति पर 13 सर्वेक्षण कार्यों के संबंध में डाटा के अधिग्रहण/प्रसंस्करण की समाप्ति के बाद भी कार्य 330 दिन से 2069 दिनों तक अपूर्ण पड़े रहे। प्रगति पर दो सर्वेक्षण कार्यों अर्थात् जगन-दिगबोर्ड-2डी और नमसाई-3डी के संबंध में लेखापरीक्षा को डाटा की व्याख्या की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

- आन्तरिक रूप से किए गए छः सर्वेक्षणों के संबंध में, भूभौतिक विभागने डाटा अधिग्रहण कार्य की समाप्ति के बाद प्रसंस्करण कार्य प्रारंभ करने में 25 से 464 दिन लगाए।
- भूभौतिकी विभाग द्वारा अधिग्रहण और प्रसंस्करण कार्य की समाप्ति और जी एवं आर विभाग द्वारा डाटा की व्याख्या को प्रारंभ करने के मध्य 135 से 1362 दिनों का व्यापक अन्तराल भी था।
- जबकि ओआईएल ठेकेदार के लिए समय सीमा निर्धारित कर रहा था, उसने अपने आन्तरिक सर्वेक्षणों के लिए कोई लक्ष्य तिथियां निर्धारित नहीं की थीं। किसी प्रतिमान के अभाव में सर्वेक्षण कार्य की समय अनुसूची पर ओआईएल का कोई नियंत्रण नहीं था।

लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार करते हुए ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि 10 पूर्ण कार्यों के संबंध में विभिन्न सर्वेक्षणों के एपीआई चक्र में व्यापक भिन्नताएं प्राथमिक रूप से आन्तरिक क्षमता की कमी के कारण थीं। इसके परिणामस्वरूप कतिपय मामलों में एपीआई चक्र कार्यों में अन्तराल आ गए और उन्हें मानकीकृत करना काफी कठिन हो गया यद्यपि व्यापक प्रतिमान मौजूद थे। तथापि भूकम्पीय डाटा प्रसंस्करण में आन्तरिक समर्थता को हाल ही में उन्नत किया गया था।

व्यापक प्रतिमानों की मौजूदगी के संबंध में तर्क संतोषजनक नहीं है क्योंकि ओआईएल ने अपने विचारों के समर्थन में कोई समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। एपीआई प्रसंस्करण की आन्तरिक समर्थता के उन्नयन की अपनी अक्षमता के कारण ओआईएल अधिक से अधिक आउटसोर्स सर्वेक्षण पर निर्भर करता रहा जिसके बारे में अनुवर्ती पैराग्राफों में टिप्पणी की गई है।

#### 4.2.2. आउटसोर्सड सर्वेक्षण

असम एवं असम अराकन बेसिन में विभिन्न ब्लकों से संबंधित एपीआई चक्र के लिए बारह ठेके आउटसोर्स किए गए थे। इनमेंसे आठ ठेके अधिग्रहण/अधिग्रहण और प्रसंस्करण कार्य के लिए थे और बकाया चार ठेके प्रसंस्करण के लिए थे जिनमें डाटा की व्याख्या शामिल थी। सभी 12 आउटसोर्स ठेको के संबंध में एपीआई चक्र के लिए, लिए गए समय का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है:



तालिका 4.2 – एपीआई की पूर्णता में विलम्ब

| ब्लाक का नाम               | कार्य का प्रकार             | ठेका सं. | ठेकेदार को दिया गया समय (महिनों में) | एपीआई पूर्ण करने में लिया गया वास्तविक समय (महिनों में) | लिया गया अधिक समय (महिनों में) |
|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| मिजोरम                     | 2डी अधिग्रहण                | 6102311  | 22.5                                 | 29.9  | 7.4                            |
|                            | 2डी प्रसंस्करण एवं व्याख्या | 6102869  | 18                                   | 37.9  | 19.9                           |
|                            | 3डी अधिग्रहण                | 6204629  | 11                                   | 12.7  | 1.7                            |
| कर्बी अंगलोग               | 2डी अधिग्रहण                | 6103105  | 15                                   | 24.3  | 9.3                            |
| अमगुरी एवं डिबरूगढ         | 3डी अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण | 6102308  | 15                                   | 10.5  | कोई विलम्ब नहीं                |
| अमगुरी                     | 3डी व्याख्या                | 6102789  | 1.5                                  | 5.1   | 3.6                            |
| डिबरूगढ                    | 3डी व्याख्या                | 6102789  | 2                                    | 4   | 2                              |
| सदिया                      | 3डी अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण | 6102875  | 11                                   | 12  | 1                              |
|                            | 3डी व्याख्या                | 6102789  | उन*                                  | उन *  | उन *                           |
| नमचिक पीईएल एवं निन्गु एमल | 2डी भूकम्पीय डॉटा अधिग्रहण  | 6102866  | 24.5                                 | 27.6  | 3.1                            |
| देओमाली एवं नमचिक पीईएल    | 2डी डॉटा अधिग्रहण           | 6102495  | 13.5                                 | 18.8  | 5.3                            |
| खरसंग/शौंगकिंग             | 2डी डॉटा अधिग्रहण           | 6102582  | 54                                   | 53  | कोई विलम्ब नहीं                |

टिप्पणी: \*उपलब्ध नहीं

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- 12 ठेकों में से नौ ठेकों (75 प्रतिशत) में लिया गया अधिक समय एक महीने और 20 महीने के बीच था यद्यपि केवल पांच ठेकों के मामले में पाया गया कि ठेकेदार क्षति निवारण हर्जाना (एलडी) पर लगाई गई थी।
- भूकम्पीय डॉटा के अधिग्रहण के लिए फील्ड अवधि सामान्यतया अक्टूबर से प्रारंभ होती है और अगले वर्ष मई तक चलती है जिन्हें परिचालन महीने कहा जाता है। मानसून विराम जून से सितम्बर के महीने कवर करता है जिसके दौरान अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों के कारण कार्य रोक दिया जाता है। तथापि ओआईएल ने कोई प्रतिमान या दिशानिर्देश नहीं बनाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सर्वेक्षण कार्य

का कार्यक्रम तैयार किया जाए और ठेके सामयिक तरीके से दिए जाएं, ताकि मानसून विराम के कारण सर्वेक्षण कार्य के निष्पादन में रुकावट न आए।

- असम एवं असम अराकन में, 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 2डी/3डी भूकम्पीय डाटा के अधिग्रहण के लिए आठ<sup>22</sup> सर्वेक्षण ठेके निष्पादित किए गए थे, जिनमें से अक्टूबर में फील्ड मौसम की शुरुआत के प्रति दो सर्वेक्षण ठेके<sup>23</sup> क्रमशः फरवरी 2009 और नवम्बर 2008 में जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः पांच महीने और एक महीने की हानि हुई।

ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि कुछ ब्लाकों में पीईएल विलेख मई - जून के महीने में हस्ताक्षर की गई थी जिसके कारण नवम्बर और फरवरी में ठेके दिए गए थे और ऐसे मामलों में समय प्रबंधन ओआईएल के हाथ में नहीं था।

ओआईएल का उत्तर इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि सादिया और कर्बी अंगलॉग के लिए दिए गए सर्वेक्षण ठेको के मामले में पीईएल के हस्ताक्षर करने की तिथि क्रमशः सितम्बर 2005 और फरवरी 2004 थी जबकि ठेके देने की तिथि फरवरी 2009 और नवम्बर 2008 थी। इस प्रकार मानसून विराम से बचने की पर्याप्त गुंजाइश थी।

#### 4.3 सर्वेक्षण प्रक्रिया में उदाहरणात्मक मामले

##### (i) ठेकागत खण्ड में कमी जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया

ओआईएल ने एनईएलपी - IX के अन्तर्गत सादिया ब्लाक (एए-ऑएनएन-2010/3) के 3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए ₹ 3.10 करोड़ की कुल लागत से मै. नरेन सोनोवाल एंड संस (एनएसएस) को श्रमबल आपूर्ति ठेका<sup>24</sup> दिया (अक्टूबर 2013)। ठेकागत बाध्यता के अननुपालन के कारण, उपरोक्त ठेके को समाप्त कर दिया गया था। इसके बदले में, ओआईएल ने बाकि कार्य करने के लिए ₹ 4.98 करोड़ (सेवा कर सहित) की लागत से मै. आर. सी. दास एंड संस (आरसीडीएस) के साथ दूसरे ठेके<sup>25</sup> को अन्तिम रूप दिया।

<sup>22</sup> खरसंक/शोकंग्किंग (2डी), मिजोरम (2डी), मिजोरम (3डी), कर्बी-अंगलॉग (2डी), अमगुरी एवं डिब्रूगढ़ (3डी), सादिया (3डी), नामचिक (2डी), पीईएल एवं निगुं एमएल, दयोमाली एवं नामचिक पीईएल (2डी)

<sup>23</sup> सादिया (3डी) और कर्बी अंगलॉग (2डी)

<sup>24</sup> ठेका सं. सीडीआई 6107584

<sup>25</sup> सीडीआई 6205280

ठेका की विशेष शर्तों (एससीसी) के खण्ड 19.01 के अनुसार यदि एक ठेकेदार समय के अन्दर अपनी ठेकागत बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ओआईएल स्वयं या अपनी पसंद की किसी तीसरी पार्टी द्वारा कार्य पूरा करवाएगा और ठेकेदार सम्भलाई प्रभारों के प्रति 'वास्तव' जमा 10 प्रतिशत के अनुसार लागत की प्रतिपूर्ति करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एनएसएस के साथ ठेका की समाप्ति (फरवरी 2014) के बाद, ओआईएल ने निर्णय लिया (अगस्त 2014) कि ठेका के गैर निष्पादन में शामिल अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जानी थी, वह भी केवल आरसीडीएस द्वारा कार्य के पूर्ण करने के बाद, जो कि लम्बित था (अप्रैल 2015)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि यद्यपि प्रतिपूर्ति 'वास्तविक लागत' जमा 10 प्रतिशत के बजाय सम्भलाई प्रभारों के प्रति विभेदक राशि जमा 10 प्रतिशत पर होनी थी, फिर भी आईओएल एनएसएस के साथ निष्पादित ठेके में ऐसे खण्ड को समाविष्ट नहीं करने के कारण इसे लागू नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, आईओएल चूककर्त्ता ठेकेदार के प्रति कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा विभेदक राशि (10 प्रतिशत सम्भलाई प्रभारों के अतिरिक्त) होने के नाते ₹ 1.88 करोड़ (₹ 4.98 करोड़ - ₹ 3.10 करोड़) की राशि की वसूली करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं कर सका। यह भी देखा गया कि ठेको की सामान्य शर्तों(जी सी सी) के खण्ड 25 के अनुसार वसूली योग्य राशि को ठेकेदार को देय या भुगतान योग्य किसी राशि के प्रति इस ठेका या किसी अन्य ठेके के अन्तर्गत (उन्हें वापिस करने वाले सुरक्षा प्रतिभूति सहित) समयोजित किया जा सकता है। तथापि जी सी सी के खण्ड 25 के प्रावधान का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए, ओआईएल आज तक (अप्रैल 2015) न तो उसी पार्टी द्वारा किसी अन्य ठेके के प्रति वसूली योग्य राशि का समायोजन कर सका और न ही निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) को जब्त कर सका। तथापि, ओआईएल ने भविष्य की सभी निविदाओं के लिए उचित रूप से खण्ड में संशोधन करने का निर्णय लिया।

अतः दोषपूर्ण ठेका खण्ड समाविष्ट करने के कारण ओआईएल ठेकेदार के प्रति सम्भलाई प्रभारों के अलावा ₹ 1.88 करोड़ की वसूली करने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं कर सका और इसके खण्ड लागू करने के लिए भविष्य में मुकदमबाजी भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकारते समय, ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि केवल एक अन्य समाप्त हुए ठेके<sup>26</sup> की प्रति ठेकेदार का प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा ओआईएल

<sup>26</sup> ठेका सं. 6107586

के पास उपलब्ध थी। चूंकि सादिया में बाकि भूकम्पीय डाटा के अधिग्रहण का कार्य अभी भी आरसीडीएस<sup>27</sup>, द्वारा किया जा रहा था, इसलिए एनएसएस से काटी जाने वाली निश्चित राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं था। अतः सही विभेदक राशि का पता लगाने के लिए प्रतिस्थापन ठेके की समाप्ति की प्रतीक्षा करना समझदारी थी और तदनुसार एनएसएस से लागत की वसूली हेतु आवश्यक सलाह दी जाएगी।

तथापि तथ्य यह रह जाता है कि सम्भलाई प्रभारों के अलावा चूककर्ता ठेकेदार से वसूली योग्य ₹ 1.88 करोड़ में से सभी समाप्त और मौजूदा ठेकों में से ₹ 36.72 लाख की प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा ओआईएल के पास उपलब्ध थी।

**(ii) ठेकागत खण्ड में कमी के परिणामस्वरूप शास्ति का भुगतान**

सादिया (एनईएलपी - V के अन्तर्गत एए - ओएनएन - 2003/3) ब्लाक नवम्बर 2006 से मई 2010 से अन्वेषण की वैधता के साथ छः महीनों के विस्तारण सहित ओआईएल को दिया गया था। ओआईएल ने 3 डी भूकम्पीय डाटा के 275 वर्ग कि.मि. के अधिग्रहण और प्रसंस्करण के लिए दिसम्बर 2006 में, केसीएस, कजाकिस्तान को ठेका दिया। ठेका अत्यधिक खराब निष्पादन ओर मैसर्स केसीएस द्वारा किसी उपयोग योग्य 3 डी डाँटा के अधिग्रहण न करने कारण बाद में समाप्त कर दिया गया था।

अक्टूबर 2008 में एक नया ठेका मार्च 2010 तक कार्य के पूरा होने की नियत तारीख सहित 3 डी भूकम्पीय डाँटा के 275 कि.मी. के अधिग्रहण और प्रसंस्करण के लिए मैसर्स जी टी पोलेंड को दिया गया था। चूंकि कार्य की पूर्णता प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण थी और ठेकेदार कार्य पूरा नहीं कर सका इसलिए ठेका अवधि को जुलाई 2010 तक चार महीने के लिए विस्तारित किया गया था। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना उचित होगा कि ब्लाक की वैधता मई 2010 में समाप्त हो गई थी। तथापि ठेकेदार विस्तारित अवधि ( जुलाई 2010) तक 275 वर्ग कि.मि. के 3 डी भूकम्पीय डाटा के प्रति केवल 217.536 वर्ग कि.मी. ही अधिग्रहित कर सका था।

ओआईएल ने डीजीएच/एमओपीएनजी को अन्वेषण कार्य जारी रखने के लिए विशेष छूट के अन्तर्गत 42 महीन का विस्तार प्रदान करने हेतु निवेदन किया (मई 2010) जिसे सितम्बर 2010 में एमओपीएनजी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। एमडब्ल्यूपी के पूरा न होने के

<sup>27</sup> सादिया में प्रतिस्थापन ठेका सीडीआई 6205280

कारण,ओआईएल को एमओपीएनजी को अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत के लिए ₹ 19.79 करोड़ की राशि का भुगतान करना पड़ा था। (85 प्रतिशत ओआईएल पीआई शेयर)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मै. जी टी पोलैंड के साथ ठेके को अन्तिम रूप देते समय, ओआईएल ने ठेकेदार से निर्धारित समय के अन्दर ठेका कार्य के पूरा न करने के लिए किसी राशि रोकने/वसूली प्रभावित करने के लिए कोई वैध ठेका खण्ड नहीं बनाया था। यद्यपि ठेके में मोबीलाइजेशन में विलम्ब के लिए निर्णित हर्जाने (एल डी) लगाने के लिए प्रावधान था, किन्तु अधिग्रहण और प्रसंस्करण कार्य की पूर्णता में विलम्ब के लिए एलडी लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, ठेके के भाग। के खण्ड 12.1 के अनुसार, यह उल्लेख किया गया था कि अधिग्रहण और प्रसंस्करण की समाप्ति या ठेके की अवधि की समाप्ति या विस्तारण, यदि कोई हो तो, जो भी पहले हो पर ठेके को स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। अतः उपरोक्त खण्ड के अनुसार, ठेका ठेकेदार द्वारा कार्य की पूर्णता से पहले ही समाप्त माना जाना था।

यद्यपि, ओआईएल ने एमओपीएनजी को अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत के प्रति ₹ 19.79 करोड़ का भुगतान कर दिया था, फिर भी ओआईएल के हित की रक्षा के लिए ठेके में अधिग्रहण और प्रसंस्करण कार्य की पूर्णता में विलम्ब के लिए एलडी लगाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

ओआईएल ने लेखा तर्क को स्वीकार किया।

### (iii) मूल्य संवर्धन के बिना भूकम्पीय सर्वेक्षण पर व्यय

असम में 84 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करने वाला एए - ओएनएन- 2009/4 (टोडक) ब्लाक एनईएलपी-VIII में ओआईएल (50 प्रतिशत) और ओएनजीसी (50 प्रतिशत) के संघ को दिया गया था जिसमें ओआईएल एक प्रचालक था। एमडब्ल्यूपी के अनुसार, प्रचालक को चरण-। के दौरान सात कुओं की ड्रिलिंग के साथ 45 एलकेएम और 201 एलकेएम के 2 डी एपीआई और 3 डी एपीआई के 84 वर्ग कि.मी. की ड्रिलिंग अनिवार्य रूप से करनी थी। ओआईएल ने डीजीएच को पीएससी<sup>28</sup>/(एनईएलपी-IX) के खण्ड 5.2<sup>29</sup> के अनुसार अनिवार्य 2 डी एपीआई के

<sup>28</sup> उत्पादन भगीदारी ठेका

<sup>29</sup> यदि 3 डी भूकम्पीय एपीआई का कार्य कार्यक्रम ठेका क्षेत्र के आकार के बराबर है तो ठेकेदार को 2 डी भूकम्पीय अनिवार्य कार्य कार्यक्रम करने के लिए छूट दी जाएगी।

कार्य करने से छूट के लिए निवेदन किया क्योंकि समस्त 84 वर्ग कि.मि. का ब्लाक क्षेत्र 3 डी भूकम्पीय सर्वेक्षणके तहत कवर होगा।

तथापि, डीजीएच द्वारा ओआईएल का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया (जनवरी 2013) क्योंकि ब्लाक एनईएलपी - VIII के अन्तर्गत दिया गया था। एनईएलपी - VIII - पीएससी प्रावधान के अनुसार, यदि ओआईएल अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट ग्रिड आकार के 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण द्वारा ठेका क्षेत्र के किसी भाग को कवर करने में समर्थ नहीं था फिर भी ओआईएल को प्रबंधन समिति को अनिवार्य कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) में कमी के प्रतिस्थापन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। तथापि ओआईएल ने एमडब्ल्यूपी में कमी के प्रतिस्थापन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया और प्रतिबद्ध एमडब्ल्यूपी के अनुसार 2 डी एपीआई कार्य किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमडब्ल्यूपी में कमी के प्रतिस्थापन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कारण, एक प्रचालक के रूप में ओआईएल को 2 डी एपीआई के प्रति ₹ 29 करोड़ को व्यय करना किसी मूल्य संवर्धन के बिना पड़ा था।

ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि एमडब्ल्यूपी प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में उसने अन्य कार्य योजनाओं सहित 201 एलकेएम 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण और 45 एलकेएम अनिवार्य 2डी सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था। ताकि उसी ठेके का उपयोग करते हुए एक ही बार में कार्य पूरा हो सके जिसके परिणामस्वरूप समय और लागत की बचत हो इसलिए इसने अनिवार्य 246 एलकेएम 2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण को जोड़ने का फैसला किया। ओआईएल ने ब्लाक में अनिवार्य 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण की जगह प्रतिस्थापित कार्य कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं दिया।

ओआईएल का तर्क इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि ओआईएल ने स्वयं डीजीएच को प्रस्ताव दिया था कि जब समस्त ब्लाक क्षेत्र 3 डी एपीआई द्वारा कवर था तो 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण करते हुए कोई मूल्य संवर्धन नहीं होगा।

एनईएलपी - VIII के पीएससी प्रावधान के अनुसार, ओआईएल को एमडब्ल्यूपी के अनुसार 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण में कमी के प्रतिस्थापन के लिए डी जी एच को नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

एमओपीएनजी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2015)।

## अध्याय 5

### ड्रिलिंग प्रचालन में दक्षता और मितव्ययिता

ओआईएल के ड्रिलिंग प्रचालनों की दक्षता का अवधारण और उसने अपने ड्रिलिंग ठेका प्रबन्धन में कितनी मितव्ययित प्राप्त की है की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा ने ड्रिलिंग मीटरेज, ड्रिलिंग गति, गैर उत्पादक समय (एनपीटी), रिगो का पुराना होना इत्यादि के साथ साथ वर्कओवर रिगो के निष्पादन सहित विकास ड्रिलिंग की तुलना में अन्वेषण ड्रिलिंग देखते समय उसकी स्वयं की और भाड़े पर ली गई रिगो की परिचालन क्षमता की समीक्षा की। लेखापरीक्षा ने स्वयं के रिगो के साथ साथ भाड़े पर लिए गए चार्टर रिगो के अधिग्रहण और नवीनीकरण के लिए ठेको के प्रबन्ध को भी देखा।

#### 5.1 ड्रिलिंग की परिचालन दक्षता

ड्रिलिंग प्रचालन की सफलता मुख्य रूप से रिगो की दक्षता पर निर्भर करती है। ओआईएल अपने ड्रिलिंग परिचालनों के लिए स्वयं के साथ साथ भाड़े पर लिए गए रिगों का उपयोग करता है।

##### 5.1.1 स्वयं और भाड़े पर लिए गए रिगों की परिचालन दक्षता

स्वयं और भाड़े पर लिए गए रिगो के माध्यम से ड्रिलिंग प्रचालनों के निष्पादन की चर्चा अनुवर्ती पेराग्राफों में की गई है।

##### 5.1.1.1 विकास ड्रिलिंग की तुलना में अन्वेषण ड्रिलिंग

ओआईएल हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए अन्वेषण और विकास ड्रिलिंग करता है। ओआईएल का लक्ष्य और 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षों के लिए अन्वेषण ड्रिलिंग और विकास ड्रिलिंग की वास्तविकता क्रमशः तालिका 5.1 और 5.2 में विस्तृत रूप से दी गई है:

तालिका 5.1 – अन्वेषण ड्रिलिंग का लक्ष्य और वास्तविक

| वर्ष    | बी.ई. लक्ष्य  |            | आर.ई. लक्ष्य  |            | वास्तविक आकड़े |           | बी ई लक्ष्य का आधिक्य (कमी) |             | आर ई लक्ष्य का आधिक्य (कमी) |             |
|---------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
|         | मीटरज         | कुएं       | मीटरज         | कुएं       | मीटरज          | कुएं      | मीटरज                       | कुएं        | मीटरज                       | कुएं        |
| 2009-10 | 71920         | 22         | 72957         | 20         | 58375          | 16        | (13545)                     | (6)         | (14582)                     | (4)         |
| 2010-11 | 103050        | 31         | 63650         | 20         | 45875          | 13        | (57175)                     | (18)        | (17775)                     | (7)         |
| 2011-12 | 101900        | 33         | 91642         | 24         | 56568          | 16        | (45332)                     | (17)        | (35074)                     | (8)         |
| 2012-13 | 114040        | 33         | 77044         | 25         | 66435          | 19        | (47605)                     | (14)        | (10609)                     | (6)         |
| 2013-14 | 100750        | 31         | 52404         | 17         | 35699          | 9         | (65051)                     | (22)        | (16705)                     | (8)         |
| जोड़    | <b>491660</b> | <b>150</b> | <b>357697</b> | <b>106</b> | <b>262952</b>  | <b>73</b> | <b>(228708)</b>             | <b>(77)</b> | <b>(94745)</b>              | <b>(33)</b> |

स्त्रोत : रिगो का टूर रजिस्टर

तालिका 5.2 – विकास ड्रिलिंग का लक्ष्य और वास्तविकता

| वर्ष    | बी.ई. लक्ष्य  |            | आर.ई. लक्ष्य  |            | वास्तविक आकड़े |            | बी ई लक्ष्य में आधिक्य (कमी) |             | आर ई लक्ष्य में आधिक्य (कमी) |             |
|---------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|         | मीटरज         | कुएं       | मीटरज         | कुएं       | मीटरज          | कुएं       | मीटरज                        | कुएं        | मीटरज                        | कुएं        |
| 2009-10 | 121680        | 44         | 109350        | 39         | 84076          | 30         | (37604)                      | (14)        | (25274)                      | (9)         |
| 2010-11 | 117000        | 46         | 70700         | 26         | 71253          | 24         | (45747)                      | (22)        | 553                          | (2)         |
| 2011-12 | 92600         | 34         | 67529         | 28         | 71426          | 22         | (21174)                      | (12)        | 3897                         | (6)         |
| 2012-13 | 91375         | 27         | 69051         | 29         | 62478          | 19         | (28897)                      | (8)         | (6573)                       | (10)        |
| 2013-14 | 105110        | 38         | 94042         | 33         | 69412          | 25         | (35698)                      | (13)        | (24630)                      | (8)         |
| जोड़    | <b>527765</b> | <b>189</b> | <b>410672</b> | <b>155</b> | <b>358645</b>  | <b>120</b> | <b>(169120)</b>              | <b>(69)</b> | <b>(52027)</b>               | <b>(35)</b> |

स्रोत: रिगो का टूर रजिस्टर

### लेखापरीक्षा ने देखा कि:

अन्वेषण ड्रिलिंग में 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग में महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। मीटरज के अनुसार, 2010-11 से 2013-14 के दौरान अन्वेषण ड्रिलिंग के आरई लक्ष्य बीई लक्ष्यों से 10 और 48 प्रतिशत के बीच कम हो गए थे। अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए बीई लक्ष्यो की कमी के बाद भी, सभी वर्षों में मीटरज प्राप्ति में 14 और 38 प्रतिशत के बीच कमी आई थी। कुओं में 2009-10 से 2013-14 के दौरान अन्वेषण ड्रिलिंग के आरई लक्ष्य बीई लक्ष्यों से 9 और 45 प्रतिशत के बीच कम हुए थे। अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए बीई लक्ष्यों में कमी के बाद भी सभी वर्षों में कई कुओं में प्राप्ति में 20 और 47 प्रतिशत के बीच कमी आई थी।



विकास ड्रिलिंग में 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान विकास कुओं की ड्रिलिंग में महत्वपूर्ण संचयी गिरावट हुई थी। यद्यपि ओआईएल ने 2010-11 और 2011-12 के दौरान मीटरेज के अनुसार विकास ड्रिलिंग के लिए अपने आरई लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे, फिर भी उपरोक्त अवधि में 8 कुओं की कमी थी। मीटरेज के संबंध में ओआईएल ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान बिना किसी अभिलेखित कारण के विकास ड्रिलिंग के लिए अपने आर ई लक्ष्य बी ई लक्ष्य से 11 और 40 प्रतिशत के बीच कम कर दिए थे। बीई लक्ष्यों की कमी के बाद भी, वास्तविक ड्रिलिंग में 2009-10, 2012-13 और 2013-14 में 10 और 26 प्रतिशत के बीच कमी आई थी। कुओं के संबंध में ओआईएल ने 2012-13 को छोड़कर 2009-10 से 2013-14 के दौरान विकास ड्रिलिंग के लिए अपने बीई लक्ष्यों को 11 प्रतिशत और 43 प्रतिशत के बीच कम कर दिया था। आरई लक्ष्यों में कमी के बाद भी, सभी वर्षों में गिरावट 8 और 34 प्रतिशत के बीच थी।


यद्यपि ओआईएल कई वर्षों से अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका फिर भी वह एक भाड़े के चार्टर रिग के लिए ठेका निष्पादित करने में विफल रहा जो दिसम्बर 2012 में समाप्त हो गया था।

लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान मीटरेज तथा कुओं के संबंध में ड्रिल किए गए विकास कुओं की तुलना में अन्वेषण कुओं की विवरणों की भी तुलना की। लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणाम तालिका 5.3 तथा चित्र 5.1 तथा 5.2 में दिए गए हैं:


तालिका 5.3 – अन्वेषण ड्रिलिंग एवं विकास ड्रिलिंग की प्रतिशतता

| वर्ष        | अन्वेषण ड्रिलिंग |           | विकास ड्रिलिंग |            | कुल मीटरज     | कुल कुँए      | कुल ड्रिलिंग पर अन्वेषण ड्रिलिंग की प्रतिशतता | कुल कुँओं पर अन्वेषण कुँओं की प्रतिशतता | कुल ड्रिलिंग पर विकास ड्रिलिंग की प्रतिशतता | कुल कुँओं पर विकास कुँओं की प्रतिशतता |
|-------------|------------------|-----------|----------------|------------|---------------|---------------|---|---|---|---------------------------------------|
|             | मीटरज            | कुँए      | मीटरज          | कुँए       |               |               |   |   |   |                                       |
| (I)         | (II)             | (III)     | (IV)           | (V)        | (VI = II+IV)  | (VII = III+V) | (VIII)  | (IX)                                    | (X)   | (XI)                                  |
| 2009-10     | 58375            | 16        | 84076          | 30         | 142451        | 46            | 41  | 35                                      | 59  | 65                                    |
| 2010-11     | 45875            | 13        | 71253          | 24         | 117128        | 37            | 39  | 35                                      | 61  | 65                                    |
| 2011-12     | 56568            | 16        | 71426          | 22         | 127994        | 38            | 44  | 42                                      | 56  | 58                                    |
| 2012-13     | 66435            | 19        | 62478          | 19         | 128913        | 38            | 52  | 50                                      | 48  | 50                                    |
| 2013-14     | 35699            | 9         | 69412          | 25         | 105111        | 34            | 34  | 26                                      | 66  | 74                                    |
| <b>जोड़</b> | <b>262952</b>    | <b>73</b> | <b>358645</b>  | <b>120</b> | <b>621597</b> | <b>193</b>    | <b>42</b>                                     | <b>38</b>                               | <b>58</b>                                   | <b>62</b>                             |

चित्र 5.1 – अन्वेषण ड्रिलिंग और विकास ड्रिलिंग (मीटरज में)



चित्र 5.2 – अन्वेषण ड्रिलिंग और विकास ड्रिलिंग (कुओं की संख्या में)



यह देखा गया था कि

- 2012-13 को छोड़कर, जब अनुपात लगभग 50:50, का था, अन्य वर्षों में, 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान विकास ड्रिलिंग गतिविधियों को अन्वेषण ड्रिलिंग से अधिक प्राथमिकता दी गई थी।
- ओआईएल विकास ड्रिलिंग पर अधिक (48 से 66 प्रतिशत तक) तथा अन्वेषण ड्रिलिंग पर कम (34 से 52 प्रतिशत तक) निर्भर था जिसके परिणामस्वरूप विकास ड्रिलिंग की तुलना में अन्वेषण ड्रिलिंग में गिरावट आई।
- विकास हेतु अधिक प्रमाणित क्षेत्र जोड़ने के लिए तथा बेहतर रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात रखने के लिए, अन्वेषण ड्रिलिंग के माध्यम से अधिक से अधिक नये क्षेत्रों की खोज किये जाने की आवश्यकता थी। अन्वेषण प्रयासों को कम प्राथमिकता देने से हाइड्रोकार्बन के नये क्षेत्रों को जोड़ने का समग्र उद्देश्य कमजोर हो गया जैसा कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 में अभिकल्पना की गई थी।

ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि 12 वीं पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों के साथ ड्रिलिंग योजनाओं की भिन्नता मुख्यतः भूमि के अधिग्रहण, वन मंजूरी, रक्षा मंजूरी, मुकद्दमेंबाजी, लम्बी उत्पादन जाँच, कठिन डाऊनहोल समस्याएँ इत्यादि के लिए लम्बी समय-सीमा के कारण थी। जिसकी वजह से क्षेत्रीय समस्याएँ हुईं और रिग वर्षों की हानि हुई। ओआईएल ने आगे बताया कि ड्रिलिंग रिग को चार्टर भाड़े पर लेने के लिए प्रतिस्थापन संविदा प्रदान की गई थी परन्तु ठेकेदार रिग को जुटाने में विफल हुआ जो बाद में रद्द हो गया था।

विकास ड्रिलिंग पर अधिक तथा अन्वेषण ड्रिलिंग पर कम भरोसे के संबंध में लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते समय, ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि 2010-11 से 2013-14 तक अन्वेषण ड्रिलिंग प्रयास थोड़े कम थे, जो उत्पादन लक्ष्य पूरा करने की ओआईएल की वचनबद्धता तथा कई संभावित अन्वेषण क्षेत्रों के आरक्षित वनों/वन्य जीवन अभयारण्यों के अन्तर्गत आने के कारण भी थे।

ओआईएल का उत्तर (अप्रैल 2015) सतोषजनक नहीं है क्योंकि दर्शाये गए कारकों में से कोई भी ओआईएल के लिए नया नहीं था तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि उपरोक्त सभी बाधाओं पर विचार करते हुए ओआईएल द्वारा लक्ष्य निर्धारित किये गए थे, आने वाली कमियों को दूर करने के लिए इनका समाधान किया जाना चाहिए था। भाड़े पर लिए गए चार्टर रिग के नियोजन के संबंध में, तथ्य यह रह जाता है कि अन्वेषण गतिविधियों के लिए जनवरी 2013 से भाड़े पर लिया गया कोई चार्टर रिग प्रतिस्थापन के रूप में उपलब्ध नहीं था। ओआईएल ने अपने आरई लक्ष्यों में बीई लक्ष्यों के प्रति प्रबल रूप से कमी की थी तथा ऐसी

कमी के पश्चात भी उपलब्धि में महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। यद्यपि, ओआईएल ने बीओडी तथा एमओपीएनजी को नियमित रूप से अपने विकास तथा अन्वेषण ड्रिलिंग के निष्पादन की सूचना दी थी, फिर भी ऐसी कमियों के कारण तथा आरई लक्ष्यों के अधोमुखी संशोधन के कारण का कोई विशिष्ट विश्लेषण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था।

उत्पादन लक्ष्य पूरा करने की इसकी वचनबद्धता तथा परिणामस्वरूप अन्वेषण ड्रिलिंग पर कम बल देने का ओआईएल का तर्क संतोषजनक नहीं है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ई एवं पी क्षेत्र में एक एनओसी होने के नाते ओआईएल अपनी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं पर विचार करके अन्वेषण ड्रिलिंग लक्ष्य निर्धारित करता है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पर स्थाई समिति (2013-14, 15 वीं लोक सभा) ने अपनी 21वीं रिपोर्ट में टिप्पणी की कि एनओसीज के ड्रिलिंग लक्ष्यों की कम प्राप्ति मुख्यतः भौगोलिक स्थितियों के कारण सामने आई कठिनाईयों/एमओडी तथा एमओईएफ, डी आर डी ओ इत्यादि से अपेक्षित अनुमतियों तथा मंजूरीयों के न मिलने के कारण थी। समिति ने सिफारिश की कि एमओपीएनजी/ओआईएल को अन्वेषण लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति के लिए जल्द कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमतियाँ/मंजूरीयाँ प्राप्त करने के मामले को सख्ती के साथ जारी रखना चाहिए। हाबड्रोकार्बन विजन 2025 में भी व्यापक अन्वेषण हेतु आक्रामक प्रोत्साहन तथा अन्वेषण प्रयासों के तीव्रीकरण के माध्यम से तेल सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने एवं तेल एवं गैस की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक समयबद्ध ढंग से अनन्वेषित बेसिनों की 100 प्रतिशत कवरेज की प्राप्ति पर जोर दिया गया। समिति ने यह सिफारिश भी की कि ड्रिलिंग लक्ष्यों में कमी को ध्यान में रखते हुए, एमओपीएनजी को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि एनओसीज उन्हें दिए गए अन्वेषण लक्ष्यों का पालन करें। इसी समिति ने 2012-13 में बताया कि अधिक घरेलू हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पता लगानेकी आवश्यकता के मद्देनजर अन्वेषण एवं विकास ड्रिलिंग लक्ष्यों में गिरावट कार्यक्रम को गंभीरता से प्रभावित करेगी।

एक्जिट कान्फ्रेंस में (जुलाई 2015) एमओपीएनजी/ओआईएल ने लेखापरीक्षा के विचारों को स्वीकार किया।

#### 5.1.1.2 ड्रिलिंग की गहराई एवं ड्रिलिंग के समय में निष्पादन

ओआईएल वार्षिक एवं त्रिवार्षिक प्रायोगिक ड्रिलिंग कार्यक्रम तैयार करता है, जिसमें यह ड्रिल किए जाने वाले कुँओं की संख्या, इनकी गहराई तथा प्रत्येक कुँए के लिए अपेक्षित नियोजित दिनों की संख्या की योजना बनाता है। 2013-14 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों के

दौरान ड्रिल किए गए कुल 193 कुँओं में से 142 कुँओं के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि:

- 31 कुँओं में नियोजित गहराई तथा वास्तविक गहराई में अन्तर के कारण ओआईएल ने योजना से 1714 मीटर कम ड्रिल की थी। तथापि, इन कुँओं के लिए इसने कुल 2084 अतिरिक्त दिन लिए थे। कुँओं की ड्रिलिंग के लिए विलम्ब 6 से 277 दिनों के बीच था;
- 6 कुँओं में, लिया गया वास्तविक ड्रिलिंग समय नियोजित दिनों से कहीं अधिक था जबकि वास्तविक एवं नियोजित गहराई बराबर थी। ओआईएल ने इन कुँओं के लिए कुल 637 दिन अधिक लिए थे। कुँओं की ड्रिलिंग के लिए विलम्ब 19 से 276 दिनों के बीच तक था।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते समय, ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि लिए गए अतिरिक्त समय के लिए कारण मुख्यतः गहरे विकास कुँओं की ड्रिलिंग के दौरान डाउनहोल जटिलताओं, जे बेन्ड/समस्तरीय/एस बेन्ड कुँओं की ड्रिलिंग, स्थानीय समस्याओं तथा भूमि अधिग्रहण में कठिनाई थी।

ओआईएल का तर्क इस तथ्य के मद्देनजर संतोषजनक नहीं है कि दर्शाये गये कारण विशिष्ट मुद्दे के लिए उचित है। तथापि, लेखापरीक्षा ने अधिकतर कुँओं में लिए गए अतिरिक्त ड्रिलिंग समय की यथाक्रम कमी को दर्शाया है। इसी तरह ओआईएल दर्शाये गए मुद्दों से सुपरिचित है तथा विलम्बों को नियंत्रित करने के लिए उचित योजना की सहायता ली जानी चाहिए थी।

#### 5.1.1.3 निजी तथा भाड़े पर लिए गए रिगो की चक्र गति तथा वाणिज्यिक गति

ड्रिलिंग रिगो की दक्षता का निर्णय वाणिज्यिक गति<sup>30</sup> तथा चक्र गति<sup>31</sup> के आधार पर किया जाता है। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए निजी रिगो तथा भाड़े पर

<sup>30</sup> वाणिज्यिक गति ड्रिलिंग चरण के दौरान संचालनों की दक्षता है तथा मीटरेज/रिग मास के अनुसार गिनी जाती है। इसमें उस तिथि से लेकर जब से रिग स्थान पर है तथा संचालन पुनः प्रारंभ करने के लिए तैयार है अन्तिम चरण तक जहाँ उत्पादन आवरण की जाँच की गई है कि तिथि शामिल है। इसमें केवल वास्तविक ड्रिलिंग समय शामिल है।

<sup>31</sup> चक्र गति रिग परिनियोजन के समस्त चक्र के दौरान लिया गया समय है तथा रिग मास के अनुसार गिनी जाती है। इसमें रिग इसके पिछले स्थान से विमुक्त किये जाने से लेकर कुँए की ड्रिलिंग के पश्चात वर्तमान स्थान से विमुक्त करने तक का समय शामिल है। इसमें रिग प्रचालन समय, ड्रिलिंग समय, उत्पादन जाँच समय तथा पूर्णता/रूकावट समय शामिल है।

लिए गए रिगो की वाणिज्यिक गति एवं चक्र गति को तालिका 5.4 में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 5.4 – निजी एवं भाड़े पर लिए गए रिगो की वाणिज्यिक गति एवं चक्र गति

(मीटर प्रति माह)

| ड्रिलिंग निष्पादन सूचक |                     | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| वाणिज्यिक गति          | निजी रिग            | 1259.42 | 1405.95 | 1241.64 | 1886.21 | 1532.49 |
|                        | भाड़े पर लिए गए रिग | 1068.03 | 1293.48 | 1640.07 | 1885.74 | 976.70  |
| चक्र गति               | निजी रिग            | 834.61  | 487.44  | 573.40  | 1091.30 | 708.59  |
|                        | भाड़े पर लिए गए रिग | 650.13  | 696.22  | 856.50  | 1579.15 | 578.19  |

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान निजी रिगो एवं भाड़े पर लिए गए रिगो की वाणिज्यिक गति तथा चक्र गति में असामान्य उतार-चढ़ाव थे, जबकि रिगो की संख्या समान रही थी।
- भाड़े पर लिए गए रिगो की वाणिज्यिक गति एवं चक्र गति 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में क्रमशः 52 तथा 37 प्रतिशत तक घट गई थी। तथापि, ओआईएल ने भाड़े पर लिए गए रिगो की निष्फलता को नियंत्रित करने के लिए रिगो को चार्टर भाड़े पर लेने हेतु अनुबन्ध में कोई खण्ड शामिल नहीं किया था।
- ओआईएल ने इसके निजी रिगो के लिए वाणिज्यिक गति एवं चक्र गति हेतु प्रतिमान निर्धारित नहीं किये थे तथा इसे भाड़े पर लिए गए रिगो के लिए संविदा में भी शामिल नहीं किया था। लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते समय, ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि वाणिज्यिक गति तथा चक्र गति प्रत्येक रिग के लिए तथा प्रत्येक विशिष्ट ड्रिलिंग स्थान के लिए समान नहीं होगी तथा यह उप-सतह समस्या, विभन्न उप-सतह भूविज्ञान, लक्षित गहराई, उपस्कर के साथ साथ प्रचालनों की दक्षता, अंश चयन तथा स्थानीय पर्यावरणीय समस्या के कारण निजी रिगो तथा चार्टर भाड़े पर लिए रिगो दोनों के लिए अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगी। उपरोक्त के मद्देनजर सामान्य नियम के रूप में वाणिज्यिक एवं चक्र गति की तुलना करना अनुचित था। इसके अतिरिक्त, ओआईएल की नियोजित वाणिज्यिक गति तथा चक्र गति के लिए प्रतिमान वार्षिक प्रायोगिक ड्रिलिंग कार्यक्रम (टीडीपी) द्वारा निर्देशित होती है। प्रत्येक रिग के प्रति वार्षिक टीडीपी में प्रत्येक कुँए के

लिए रिग गतिविधि तथा प्रारंभ<sup>32</sup> करने की तिथि से पूर्णता तिथि हेतु अपेक्षित समय चिन्हित किया जाता है जिसका उपयोग नियोजित वाणिज्यिक गति तथा चक्र गति की गणना के आधार के रूप में किया गया था। यह समय सीमा आन्तरिक एवं चार्टर भाड़े पर लिए गए रिग दोनो पर लागू थी। चार्टर भाड़े पर लिए गए रिगो की दक्षता के लिए शास्ति शून्य दर पर लगाई जा रही थी जहाँ संविदा के खण्डों के अनुसार लागू थी।

ओआईएल का तर्क इस तथ्य के मद्देनजर देखने की आवश्यकता है कि बेशक स्थिति स्थान स्थान पर भिन्न थी, उतार - चढाव एक यथोचित सीमा में होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने असामान्य उतार - चढाव तथा गति की असमान/विषम प्रवृत्ति बताई थी जिसके लिए अभिलेख पर कोई उचित विश्लेषण नहीं था।

इसके अतिरिक्त, चार्टर भाड़े पर लिए गए रिग के संबंध में न्यूनतर वाणिज्यिक एवं चक्र गति के लिए शास्ति लगाने से संबंधित उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ओआईएल ने ठेकेदार को ठेकेदार की चूक के कारण निष्क्रिय पड़े रहे रिग के मामले में ही दण्डित किया था न कि न्यूनतर वाणिज्यिक अथवा चक्र गति के कारण।

#### 5.1.1.4 रिगो का गैर उत्पादक समय

31 मार्च 2014 को ओआईएल के पास विभिन्न क्षमताओं के 9 आन्तरिक ड्रिलिंग रिग तथा 13 वर्कओवर रिग थे। अपने बेड़े के अतिरिक्त, ओआईएल ने ड्रिलिंग गतिविधियों के लिए 5 चार्टर भाड़े पर लिए गए ड्रिलिंग रिग तथा 4 चार्टर भाड़े पर लिए गए वर्कओवर रिग भी प्रयोग किये थे।

#### क) निजी एवं भाड़े पर लिए गए ड्रिलिंग रिग

रिगो के रसद एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच सक्रिय समन्वय के साथ गैर-उत्पादक समय (एनपीटी) को कम करके अधिक दक्षता प्राप्त की जा सकती है। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए निजी ड्रिलिंग रिगो तथा चार्टर भाड़े पर लिए गए ड्रिलिंग रिगो के संबंध में एनपीटी के वर्ष-वार ब्यौरे तालिका 5.5 में दिया गया है:

<sup>32</sup> एक कुँए की ड्रिल प्रारंभ करने की प्रक्रिया

तालिका 5.5 – निजी तथा भाड़े पर लिए गए ड्रिलिंग रिगो का एनपीटी

(ऑकड़े घण्टों में)

| वर्ष    | निजी ड्रिलिंग रिग |               |        | चार्टर भाड़े पर लिए गए ड्रिलिंग रिग |               |        |
|---------|-------------------|---------------|--------|-------------------------------------|---------------|--------|
|         | कुल घण्टे         | उत्पादक घण्टे | एनपीटी | कुल घण्टे                           | उत्पादक घण्टे | एनपीटी |
| 2009-10 | 63528             | 43550         | 19978  | 35064                               | 28408         | 6656   |
| 2010-11 | 61320             | 34144         | 27176  | 36528                               | 26842         | 9686   |
| 2011-12 | 68664             | 41980         | 26684  | 43800                               | 22468         | 21332  |
| 2012-13 | 64272             | 41956         | 22316  | 43104                               | 27488         | 15616  |
| 2013-14 | 40344             | 24676         | 15668  | 25680                               | 14072         | 11608  |

स्रोत : रिगो का दौरा रजिस्टर

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- निजी ड्रिलिंग रिगो के मामले में एनपीटी की प्रतिशतता 2009-10 में 31 प्रतिशत से 2013-14 में 39 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।
- चार्टर भाड़े पर लिए गए ड्रिलिंग रिगो के मामले में, एनपीटी की प्रतिशतता 2009-10 में 19 प्रतिशत से 2013-14 में 45 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।
- यद्यपि एनपीटी हेतु ओएनजीसी प्रतिमान 10 प्रतिशत से कम है तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमान 5 प्रतिशत से कम है, फिर भी ओआईएल के निजी ड्रिलिंग रिगो का एनपीटी औसत 38 प्रतिशत था तथा चार्टर भाड़े पर लिए गए रिगो का 35 प्रतिशत था। ओआईएल द्वारा ड्रिलिंग रिगो के एनपीटी हेतु प्रतिमान अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
- चार्टर भाड़े पर लिए गए तीन ड्रिलिंग रिगो के मामले में, समय पर उपस्कर एवं सामग्रियां उपलब्ध कराने में ओआईएल की विफलता के कारण ओआईएल को ठेकेदार को एवजी प्रभारों के प्रति ₹ 5.34 करोड़ का भुगतान करना पड़ा था।
- 2009-10 एवं 2013-14 की अवधि के दौरान असम एवं असम - अरकन में ड्रिल किए गए 142 कुँओं में से, 33 कुँओं में ड्रिलिंग रिगो को जुटाने में विलम्ब हुए थे जो वर्तमान स्थान पर रिग-डाउन के दिन से अगले स्थान पर रिग-अप तक परिकल्पित किए गए थे। ये विलम्ब 8 से 205 दिनों के बीच थे।
- उपरोक्त के अलावा, 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, चार्टर भाड़े पर लिए गए 6 ड्रिलिंग रिग 108 माह की कुल अवधि तक उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि एनपीटी की उच्च दर के कारण दर्शायी गई अवधि के लिए अन्वेषण ड्रिलिंग लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका जो मुख्यतः स्थानीय समस्याओं, बन्द, घेराबन्दी तथा ठेकेदार की चार्टर भाड़े पर लिए गए रिग से संबंधित समस्या इत्यादि थी। ओआईएल ने आगे बताया (मई 2015) कि



एनपीटी की गणना के लिए डीजीएच प्रतिमान पर विचार करते हुए सतही तथा उप सतह समस्याओं तथा अन्यत्रवासिता के विषय के अतिरिक्त एनपीटी 2009-10 से 2013-14 के दौरान 5 से 13 प्रतिशत के मध्य था।

ओआईएल का तर्क संतोषजनक नहीं है क्योंकि ई एवं पी कारोबार में इसके प्रचालनों के दौरान लम्बी समयावधि में प्राप्त किये गए अनुभव से एनपीटी के विभिन्न कारणों का समाधान किया जाना चाहिए था। अवरोध तथा समस्याएँ भी ओआईएल के लिए नई नहीं थीं।

यह ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पर स्थाई समिति (2014 - 15, सोलहवीं लोक सभा) ने अपनी चौथी रिपोर्ट में टिप्पणी की थी कि रिग अन्वेषण तथा उत्पादन गतिविधियों के लिए मुख्य उपस्कर थे। समिति ने यह भी नोट किया कि कुछ परिहार्य तथा प्रबन्धनीय बाधों जैसे लॉजिस्टिक्स की प्रतीक्षा करते रिगो तथा तैयार स्थलों पर स्थापन पर प्रतीक्षा जिसने रिगो की उत्पादक अवधि को प्रभावित किया, के कारण चार्टर भाड़े पर लिए गए रिगो का निष्क्रिय समय एनओसी हेतु काफी उच्च था। समिति ने सिफारिश की कि एनओसीज को अन्वेषण कार्यक्रमों के प्रभावी नियोजन एवं प्रबन्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि रिगो का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने यह इच्छा भी जताई कि एनओसीज को अन्तर्राष्ट्रीय बेन्चमार्क के अनुरूप रिगो के उत्पादकता स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

एक्जिट कान्फ्रेंस (जुलाई 2015) में एमओपीएनजी/ओआईएल ने बताया कि लेखा परीक्षा आपत्ति तथ्यों पर आधारित थी।

### ख) वर्क ओवर रिग

वर्कओवर गतिविधियों में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन कर रहे कुँए पर एक अथवा अधिक उपचारात्मक प्रचालन शामिल है। यह आक्रामक तकनीको जैसे वायरलाईन, कोईल्ड ट्यूबिंग अथवा स्नूबिंग वाले तेल कुँए मध्यवर्तन के किसी प्रकार से भी संदर्भित है। वर्कओवर गतिविधियाँ करने के लिए, ओआईएल ने वर्ष 2011-12 को छोड़कर जहाँ केवल 2 चार्टर भाड़े पर लिए गए रिग परिनियोजित किये गए थे, 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 13<sup>33</sup> आन्तरिक वर्क ओवर रिग तथा 4 चार्टर भाड़े पर लिए गए रिग लगाए थे। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए निजी वर्कओवर रिगो तथा चार्टर भाड़े पर लिए गए वर्कओवर रिगो के एनपीटी के वर्ष वार ब्यौरे 5.6 में दिए गए हैं :

<sup>33</sup> वर्ष 2011-12 में प्रशिक्षण उद्देश्य से चिन्हित किए गए एक वर्कओवर रिग सहित

तालिका 5.6 – निजी तथा चार्टर भाड़े पर लिए गए वर्कओवर रिगो का एनपीटी

(ऑकड़े घण्टों में)

| वर्ष    | निजी वर्कओवर रिग |             |        |   | चार्टर भाड़े पर लिए गए वर्कओवर रिग |             |        |   |
|---------|------------------|-------------|--------|---|------------------------------------|-------------|--------|---|
|         | कुल घण्टे        | उत्पादक समय | एनपीटी | कुल घण्टों के प्रति एनपीटी की प्रतिशतता | कुल घण्टे                          | उत्पादक समय | एनपीटी | कुल घण्टों के प्रति एनपीटी की प्रतिशतता |
| 2009-10 | 32776            | 29632       | 3144   | 10                                      | 25920                              | 24524       | 1397   | 5                                       |
| 2010-11 | 50512            | 45906       | 4606   | 9                                       | 28632                              | 25588       | 3044   | 11                                      |
| 2011-12 | 49600            | 46325       | 3275   | 7                                       | 17288                              | 15264       | 2024   | 12                                      |
| 2012-13 | 51936            | 44935       | 7001   | 13                                      | 28968                              | 25287       | 3681   | 13                                      |
| 2013-14 | 50528            | 44371       | 6158   | 12                                      | 35928                              | 29436       | 6493   | 18                                      |

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान निजी वर्कओवर रिगो का एनपीटी 7 से 13 प्रतिशत के मध्य तथा चार्टर भाड़े पर लिए गए वर्कओवर रिगो का 5 से 18 प्रतिशत के मध्य था।
- 2009-10 से 2013-14 तक निजी तथा चार्टर भाड़े पर लिए गए वर्कओवर रिगो के लिए एनपीटी ने एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्ज की।
- चार्टर भाड़े पर लिए गए वर्कओवर रिगो के एनपीटी की प्रतिशतता अपने वर्कओवर रिगो से काफी उच्चतर थी।

इस संबंध में, यह दर्शाना उपयुक्त है कि अभी तक ओआईएल द्वारा वर्कओवर रिगो के संबंध में एनपीटी हेतु प्रतिमान निर्धारित नहीं किए गए हैं।

लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करते समय ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि इसके पास कुल 12 अपने वर्कओवर रिग थे जिनमें से सात रिग लगभग 30 वर्ष पुराने थे जहाँ एनपीटी रखरखाव के कारण अधिक था तथा इसलिए एनपीटी प्रवृत्ति को बढ़ा रहा था। चार्टर भाड़े पर लिए गए वर्कओवर रिगो के संबंध में एनपीटी मुख्यतः रिग प्रंचालकों द्वारा परिचालन क्षेत्रों में सामने आई बाहरी समस्याओं के कारण था।

तथ्य यह रहता है कि ओआईएल ने पुराने वर्कओवर रिगो को बदलने के लिए समय पर अपनी खरीद योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया था। चार्टर भाड़े पर लिए गए वर्कओवर रिगों के संबंध में समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए ओआईएल को बढ़ते एनपीटी के लिए कारण का पता था।

एक्जिट कान्फ्रेंस (जुलाई 2015) में एमओपीएनजी/ओआईएल ने बताया कि लेखापरीक्षा आपत्ति तथ्यों पर आधारित थी।

### 5.1.1.5 कुँओं की उत्पादन जाँच

जलाशय की विशिष्ट स्थितियों तथा प्रवाह दबाव पर तेल कुँओं की प्रवाह क्षमता सुनिश्चित करने के लिए इनमें उत्पादन जाँच की जाती है। ओआईएल ने उत्पादन जाँच पूरी करने के लिए लक्ष्य दिवस निर्धारित किये हैं जो एक अन्वेषण कुँए के मामले में 15 दिन तथा विकास कुँए के लिए 10 दिन हैं।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान ड्रिल किए गए 193 कुँओं में से महत्व के आधार पर चयनित 142 कुँओं (92 कुँए अपने रिगों से तथा 50 कुँए चार्टर भाड़े पर लिए गए रिगों से) के संबंध में उत्पादन जाँच हेतु लिए गए समय की नमूना जाँच की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- 59 कुँओं (30 कुँए अपने रिगों द्वारा तथा 29 कुँए चार्टर भाड़े पर लिए गए रिगों द्वारा) में ओआईएल योजना के अनुसार उत्पादन जाँच पूरी करने में विफल हुआ था। उत्पादन जाँच की पूर्णता में विलम्ब 6 से 94 दिनों के बीच तक था।
- 31 मार्च 2014 को कुँओं की प्रास्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 8 कुँओं में एक महीने से चार महीने बीत जाने के बाद भी उत्पादन जाँच अधूरी रही थी।
- 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान उत्पादन जाँच के लिए कुल विलम्ब अपने रिगों के मामले में 1005 दिन था तथा चार्टर भाड़े पर लिए गए रिगों के मामले में 980 दिन था।
- उत्पादन जाँच में विलम्ब के कारण, ओआईएल ने 29 मामलों में स्टैण्डबाई प्रभागों के प्रति ठेकेदारों को चार्टर भाड़े पर लिए गए रिगों के प्रति ₹ 88.02 करोड़ का भुगतान किया।

उत्पादन जाँच में विलम्ब के परिणामस्वरूप रिगों का कम उपयोग तथा मीटरेज की हानि हुई जिसके परिणामस्वरूप एनपीटी में वृद्धि हुई।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि सामान्य तौर पर उत्पादन जाँच हेतु अपेक्षित समय विभिन्न कारकों जैसे जाँच हेतु चिन्हित क्षेत्रों की संख्या, डाउनहोल चुनौतियों इत्यादि पर निर्भर था। ओआईएल ने उत्पादन जाँच में विलम्ब के लिए कुँए वार कारण प्रस्तुत किये हैं जिनमें एकल/बहु रेत में किये गए अतिरिक्त छिद्रों के अलावा ड्रिलिंग कर्मियों की अनुपलब्धता, सड़क टूटना, आईसोलेशन खराबी की मरम्मत, स्थानीय समस्या, खराब सीमेन्ट सक्वीजिंग कार्य, आन्तरिक मुद्दे, ट्यूबिंग फिश की वसूली, वाल्वों में निस्सरण इत्यादि शामिल हैं।

ओआईएल का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर देखने की आवश्यकता है कि उच्चतर उत्पादन जाँच समय के लिए ओआईएल द्वारा बताए गए अधिकतर कारकों पर उचित योजना के

द्वारा नियंत्रण पाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, ओआईएल द्वारा उत्पादन जाँच के दौरान सामने आने वाली सभी संभावित डाउन होल चुनौतियों पर उचित रूप से विचार करके ही अन्वेषण एवं विकास कुंओं के लिए उत्पादन जाँच हेतू प्रतिमान अपनाए गए थे।

#### 5.1.1.6 अपने रिगों का पुराना होना

ओआईएल के पास ड्रिलिंग संचालन के माध्यम से हाइड्रोकार्बन रिजर्वों को अभिवर्धित करने के लिए एक समर्पित ड्रिलिंग विभाग है। ड्रिलिंग विभाग आन्तरिक रिगों के साथ साथ चार्टर भाड़े पर लिए गए रिगों का उपयोग करता है। 31.03.2014 को ड्रिलिंग विभाग के पास 9 आन्तरिक ड्रिलिंग रिगों तथा 5 चार्टर भाड़े पर लिए गए ड्रिलिंग रिगों का बेड़ा था।

नामांकित ब्लॉकों में अन्वेषण तथा विकास ड्रिलिंग हेतू रिगों की आवश्यकता का निर्धारण पंचवर्षीय योजना में ओआईएल की ड्रिलिंग प्रतिबद्धताओं तथा त्रिवर्षीय प्रायोगिक ड्रिलिंग कार्यक्रम के अनुसार परिनियोजन प्रतिमान के आधार पर किया जाता है। एनईएलपी ब्लॉको के मामले में, रिगों की आवश्यकता की गणना न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एनडब्ल्यूपी) के आधार पर ब्लॉक से संबंधित परियोजना द्वारा की गई है। कुंओं की प्रकृति एवं प्रकार के अनुरूप, रिगों के प्रकार/क्षमता का निर्धारण किया जाता है तथा अन्वेषण प्रयास हेतू अतिरिक्त रिगों की आवश्यकता की गणना आन्तरिक एवं वर्तमान में लगाए गए भाड़े के रिगों की उपलब्धता पर विचार करके की जाती है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 31 मार्च 2014 को आन्तरिक ड्रिलिंग रिगों का पुराना होना 9 से 36 वर्षों के बीच था। इसी प्रकार, विद्यमान 13 आन्तरिक वर्कओवर रिगों में से, 8 वर्कओवर रिगों का पुराना होना 25 से 35 वर्षों तक था तथा 5 वर्कओवर रिग जुलाई/दिसम्बर 2008 में शुरू किये गए थे।

एक ड्रिलिंग रिग का आदर्श जीवन काल 20 से 25 वर्ष के बीच होता है जो विभिन्न कारकों तथा उपयोग, अनुरक्षण इत्यादि पर निर्भर करता है। चूँकि ओआईएल बहुत पुराने उपकरणों के बेड़े से साथ संचालन कर रहा था। इसलिए इसने उच्च एनपीटी के कारण ओआईएल की अन्वेषण ड्रिलिंग को प्रभावित किया।

ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि दो रिगों को छोड़कर इसके अपने रिगों का 2009 से नवीकरण किया गया था। पुराने वर्कओवर ड्रिलिंग रिगों को हटाने के लिए, 9 नये वर्कओवर ड्रिलिंग रिगों की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर थी।

ओआईएल ने स्वयं स्वीकार किया कि इसके अपने कुल 12 वर्कओवर रिगों में से, 7 रिग लगभग 30 वर्ष पुराने हैं जहाँ अनुरक्षण के कारण एनपीटी अधिक था जो एनपीटी प्रवृत्ति में वृद्धि का कारण है।

एक्जिट कान्फ्रेंस में एमओपीएनजी/ओआईएल ने बताया (जुलाई 2015) कि काफी संख्या में नये रिग खरीद के अन्तर्गत थे तथा पुराने हो रहे रिगों को धीरे धीरे बदला जाएगा।

## 5.2 संविदाओं का प्रबन्धन

### रिगों की खरीद

लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान की गई रिग की सभी 4 खरीद संविदाओं की समीक्षा की। संविदाओं के प्रबन्धन में देखी गई कुछ कमियों को अनुबन्ध III में सूचीबद्ध किया गया है।

### चार्टर भाड़े पर लिए गए रिग

रिगों को चार्टर भाड़े पर लेने के लिए निष्पादित की गई 20 संविदाओं में से, लेखापरीक्षा ने महत्व के आधार पर चयनित 8 संविदाओं की समीक्षा की। संविदाओं के प्रबन्धन में देखी गई कुछ कमियों को अनुबन्ध IV में सूचीबद्ध किया गया है।

#### 5.2.1 चार्टर भाड़े के रिगों पर निर्भरता

ओआईएल द्वारा 2004 से अपने परिचालन क्षेत्र में चार्टर भाड़े पर लिए गए रिगों को लगाया था तथा उसके बाद इसके अपने ड्रिलिंग बेड़े की कमी को पूरा करने के लिए यह प्रक्रिया चलती रही। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, ओआईएल ने पाँच ड्रिलिंग रिग चार्टर भाड़े पर लेकर लगाए। इसी प्रकार, इसने इन सभी वर्षों में दो से चार चार्टर भाड़े पर लिए गए वर्कओवर रिग भी युक्त किये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ओआईएल ने भाड़े पर लिए गए रिगों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ड्रिलिंग रिग खरीदने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी क्योंकि पुराने ड्रिलिंग रिगों को बदलने के लिए ओआईएल ने 2005 में खरीद की थी। ओआईएल द्वारा की गई ड्रिलिंग रिगों की पिछली खरीद/प्रारंभ करने के लिए अप्रैल 2010 में ओआईएल की अनुवर्ती कार्यवाही को विधिक विवाद तथा रिग ले जाने वाले वाहन की दुर्घटना के कारण मूर्तरूप नहीं दिया गया। इस प्रकार ओआईएल भाड़े के रिगों को लगाने पर निर्भर था।

ओआईएल ने अपने उत्तर (अप्रैल 2015) में बताया कि इसने 2004 से निरन्तर रूप से अपने परिचालन क्षेत्रों में चार्टर भाड़े पर लिए गए रिग लगाए थे तथा उसके बाद ड्रिलिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह प्रक्रिया चलती रही जैसा त्रिवर्षीय ड्रिलिंग योजना में अभिकल्पित था। चार्टर भाड़े पर लिए गए रिगों पर निर्भरता को कम करने के लिए चार 2000 एचपी खुदाई रिगों की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर थी। तथापि, आसान परिनियोजन के कारण, कुछ क्षेत्रों में चार्टर भाड़े पर लिए गए रिगों को अपने रिगों से अधिक प्राथमिकता दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, यदि स्वयं के और रिग प्रयोग किये गये तो ड्रिलिंग के कार्य न करने के कारण रिग मालसूची बेकार हो सकती हो।

ओआईएल का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि वहां ड्रिलिंग रिग्स की निरंतर आवश्यकता थी चूंकि पिछले कुछ वर्षों में अन्वेषण लक्ष्य को पूर्ण करने में विफल रहा। ओआईएल के ड्रिलिंग रिग का सफलतापूर्वक कार्य करने का समय 9 और 36 वर्षों के बीच का था और अधिक काम के लिये यह 5 और 35 वर्षों के बीच था। ओआईएल ने स्वीकार किया कि अधिक काम करने वाले रिग के सफलतापूर्वक कार्य करने के समय में रखरखाव के कारण अनुत्पादक समय में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, चार 2000 एचपी ड्रिलिंग रिग के लिये खरीद प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई थी (अप्रैल 2015)।

### 5.2.2 विशेष मुद्दे

#### (i) रिगों की खरीद

ओआईएल ने चार 600 एचपी मोबाइल कार्य/ड्रिलिंग रिग्स की आपूर्ति के लिये रिग विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से बोली आमंत्रित की (जनवरी 2006)। निविदा के उत्तर में, अलग-अलग विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं<sup>34</sup> से चार बोलियां प्राप्त हुई थी।

तकनीकी संवीक्षा के दौरान (अप्रैल 2006), ओआईएल ने 25 मई 2006 के अंदर अन्य रूप से पात्र दो बोलीदाताओं अर्थात् मैसर्स चायना पेट्रोलियम तकनीकी विकास कॉरपोरेशन, चायना (सीपीटीडीसी) और मैसर्स एससी टीसी यूपीईटी एसआरएल, रोमानिया (एससीटीसी) से अतिरिक्त जानकारी मांगी।

सीपीटीडीसी प्रस्ताव और अनुवर्ती स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुये, तकनीकी समिति ने निष्कर्ष निकाला (जुलाई 2006) कि सीपीटीडीसी के प्रस्ताव में गंभीर सीमाएं हैं। तथापि, जीएम (ओडी और आरएस) ने सुझाव दिया कि सीपीटीडीसी की बोली ड्रिलिंग विभाग द्वारा तकनीकी रूप से योग्य है और सीपीटीडीसी की सिद्ध स्रोत के रूप में सिफारिश की क्योंकि पूर्व में सीपीटीडीसी द्वारा आपूर्ति किया गया 1000 एचपी मोबाइल रिग राजस्थान में संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा था। उन्होंने यह भी नोट किया कि मैसर्स एससीटीपी यूपीईटी एसआरएल, रोमानिया (एससीटीसी) द्वारा प्रस्तुत रिग भले ही तकनीकी रूप से स्वीकृत है का निष्पादन खराब था।

मांगे गये स्पष्टीकरण के उत्तर में सीपीटीडीसी ने कहा कि (सितम्बर 2006) 600 एचपी रिग की विशेषताएं 2005 में उनके द्वारा आपूर्ति किये गये 1000 एचपी रिग के जैसी थीं।

<sup>34</sup> 1. मैसर्स नेशनल ऑयल वेल वार्को, यूएसए,  
2. मैसर्स चायना पेट्रोलियम तकनीकी विकास कॉरपोरेशन, चायना,  
3. मैसर्स एससी टीसी यूपीईटी, एसआरएल, रोमानिया और  
4. मैसर्स पीएमपी, यूके/यूक्रेन

सीपीडीसी ने अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये चायना में उत्पादक कार्य स्थल पर टीम भेजने के लिये अनुमोदन दिया और निर्देश दिया कि उन्हें क्षेत्र का दौरा करना चाहिये जहां ऐसी रिग्स चायना में प्रयोग की जा रही हैं। तदनुसार, टीम चायना गई और रिपोर्ट किया (अक्टूबर 2006) कि रिग का निष्पादन संतोषजनक था और पार्टी का प्रस्ताव तकनीकी रूप से स्वीकार्य था।

ओआईएल ने केवल सीपीडीसी का बोली मूल्य खोलने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2006)। ओआईएल ने एससीटीसी की प्रस्तुति अस्वीकृत कर दी (नवम्बर 2006), और निष्कर्ष निकाला कि एससीटीसी द्वारा प्रस्तावित रिग मॉडल तकनीकी रूप से उचित नहीं था।

सीपीटीडीसी का बोली मूल्य जनवरी 2007 में खोला गया था और सीपीटीडीसी को ₹ 28.15 करोड़ के कुल मूल्य पर चार 600 एचपी स्वचालित मोबाइल वर्कओवर/ड्रिलिंग रिग की आपूर्ति के लिये क्रय आदेश दिया गया था जिसमें उनके भारतीय एजेंट (अर्थात् मैसर्स कॉमेट एनर्जी सोल्यूशन इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली) को देय कमीशन के प्रति ₹ 0.07 करोड़ शामिल था।

इसके बाद, ओआईएल ने संशोधन आदेश जारी करके क्रय आदेश को संशोधित किया (अगस्त 2007) जिसमें रिग्स की विभिन्न विशिष्टताओं<sup>35</sup> में परिवर्तन शामिल था। ओआईएल ने ₹ 6.20 करोड़ के कुल मूल्य पर समान विशिष्टता वाली एक और रिग की आपूर्ति के लिये एक और संशोधन जारी किया (अगस्त 2007) जिसमें नई निविदा किये बिना भारतीय एजेंट को देय एजेंसी कमीशन के प्रति ₹ 0.02 करोड़ शामिल था। ठेकेदार ने जुलाई-दिसम्बर 2008 में रिग दी। ओआईएल ने देखा कि रिग विशिष्टता के अनुसार नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि ओआईएल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कई मायनों में पारदर्शिता की कमी थी:-

- ओआईएल ने एससीटीसी के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुये वेट के मुद्दे और अन्य मुद्दों पर सीपीटीडीसी की तकनीकी बोली स्वीकृत की।
- ओआईएल ने एससीटीसी जो विनिर्माता था से अधिक सीपीटीडीसी रिग के आपूर्तिकता को वरीयता दी। रिग के आपूर्तिकर्ता से रिग की खरीद से भविष्य में अतिरिक्त पुर्जों की बढ़ी हुई कीमत और गैर-उपलब्धता का जोखिम था।
- ओआईएल ने मैसर्स कॉमेट एनर्जी सोल्यूशन्स इंडिया प्रा. लि. को एजेंसी कमीशन के प्रति ₹ 0.09 करोड़ का भुगतान किया यद्यपि यह बोली में शामिल नहीं था।
- सीपीटीडीसी ने विशिष्टता को सुनिश्चित न करने वाले रिग की आपूर्ति की। बिड रिजेक्शन कमेटी के अनुसार बोलीदाताओं को बोली वैधता की अवधि के दौरान उनकी

<sup>35</sup> रोटरी गति, कंपाउंड गियर बॉक्स का वजन, उच्च गियर बॉक्स का वजन, इंजन मॉडल और ट्रांसमिशन मॉडल

बोली में उनके द्वारा एकबार प्रस्तावित रिग बनावट/मॉडल/विशिष्टता को बदलने की अनुमति नहीं थी। तथापि, ओआईएल ने उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया।

ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि उसने व्यापक रूप से आंतरिक ठेके के दिशानिर्देश और खरीद मैनुअल का पालन किया है और इस प्रकार अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी थी। इसके अतिरिक्त, क्रय आदेश के प्रति अतिरिक्त आवश्यकता को जोड़ना मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार अनुमत था और यह परिचालन तात्कालिकता के अनुसार किया गया था। ओआईएल के ठेके मैनुअल में रिग ठेके को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। ओआईएल ने एससीटीसी से अधिक सीपीटीडीसी के तकनीकी चयन को भी उचित बताया।

ओआईएल का उत्तर ठेके को अंतिम रूप देने के बाद सीपीटीडीसी द्वारा विशिष्टताओं में बाद में परिवर्तन पर मौन था। जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है ओआईएल के कार्य में पारदर्शिता की कमी थी और सीवीसी दिशानिर्देशों के विरुद्ध थे।

#### (ii) निविदा प्रक्रिया के बिना चार्टर्ड किराया रिग ठेका प्रदान करना

ओआईएल को दो चार्टर्ड किराया रिग की आवश्यकता थी और अतिरिक्त रिग के लिये प्रावधान सहित अप्रैल 2010 में निविदा जारी की। उसने ₹ 51.67 करोड़ के कुल ठेका मूल्य पर, एल1 बोलीदाता के रूप में सिमप्लेक्स ईफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई (सिमप्लेक्स) को एक ड्रिलिंग रिग का ठेका दिया (मार्च 2012), और सिमप्लेक्स ने अपनी बोली में केवल एक रिग प्रस्तावित किया था। इसके बाद, ओआईएल ने एल1 के मूल्य पर समान निविदा के अंतर्गत जेबी एनर्जी प्रा.लि. (जेईपीएल) को दूसरी रिग के लिये ठेका<sup>36</sup> दिया (मई 2012)। जुलाई 2012 में, ओआईएल ने अक्टूबर 2012 तक तत्काल आधार पर तीसरी रिग लेने का निर्णय लिया।

नई निविदा जारी करने की बजाय, ओआईएल ने निविदा<sup>37</sup> में उपलब्ध अनुसार अतिरिक्त की आवश्यकता पूर्ण करने के लिये तीसरे रिग का विकल्प प्रयोग करने का निर्णय लिया जो मार्च 2012 में पूर्ण हुआ। ओआईएल ने दूसरी रिग (अर्थात ₹ 51.67 करोड़) की दर पर दो वर्ष की अवधि के लिये जेईपीएल को तीसरी रिग के लिये ठेका दिया (मार्च 2013)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- ओआईएल ने जून 2010 और दिसम्बर 2011 में क्रमशः तकनीकी और मूल्य बोली खोली। तथापि, ओआईएल ने अप्रैल 2010 में जेईपीएल द्वारा प्रस्तावित दर पर लगभग तीन वर्ष समाप्त होने के बाद, मार्च 2013 में तीसरी रिग देने का

<sup>36</sup> संख्या सीओएनटी/जीएल/डीआरएलजी/288/12

<sup>37</sup> संख्या सीओएनटी/जीएल/डीआरएलजी/259/10



निर्णय लिया। लेखापरीक्षा ने जून 2012 में पूर्ण दूसरे ठेके<sup>38</sup> में देखा कि किराये पर लिये गये रिग की दर में गिरावट की प्रवृत्ति थी।

- लेखापरीक्षा की राय में, ओआईएल ने तीसरी रिग के लिये नई निविदा न करने से 2013 मौजूद कम और प्रतिस्पर्धी दर पाने से स्वयं को वंचित किया। ओआईएल के कार्य में पारदर्शिता की कमी थी क्योंकि ओआईएल ने निविदा नहीं खोली।
- तीसरी रिग लेने के लिये प्रस्ताव नई निविदा किये बिना जुलाई 2012 में फास्ट ट्रैक आधार पर किये गये चूँकि कथित रिग की अक्टूबर 2012 तक आवश्यकता थी और ठेका जेईपीएल को दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एलओए मार्च 2013 में जारी किया गया था। अंततः इससे तीसरी रिग की शीघ्र उपलब्धता के लिये निविदा प्रक्रिया को दरकिनार करने का उद्देश्य परास्त हुआ चूँकि सितम्बर 2013 तक भी उपलब्ध नहीं थी यद्यपि ठेकेदार ने रिग समय पर (अर्थात ठेका देने की तिथि से 180 दिनों के तैयार करने के समय) तैयार कर ली थी।
- ठेका मूल्य में ₹ 0.54 करोड़ का तैयार करने का प्रभार शामिल था। चूँकि जेईपीएल द्वारा प्रस्तावित ड्रिलिंग रिग दूसरे ठेके<sup>39</sup> के अंतर्गत दुलियाजन में ओआईएल का कार्य कर रही थी, ₹ 0.54 करोड़ का तैयार करने का प्रभार संविदात्मक मूल्य से अलग होना चाहिये जैसा रिग ठेकों<sup>40</sup> के प्रतिस्थापन के मामले में किया गया था।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि ठेका आवश्यकता की तात्कालिकता पर विचार करने के बाद और किराये पर तीसरे रिग के लिये नई निविदा जारी करने के लिये अपेक्षित समय से बचने के लिये दिया गया था। तीसरी रिग देने का निर्णय निविदा के प्रावधानों के अंदर था जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली आधार पर और कानूनी राय के आधार पर भी जारी किया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ओआईएल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में न केवल पारदर्शिता की कमी थी बल्कि वह जुलाई 2007 में जारी सीवीसी दिशानिर्देशों के विरुद्ध भी है। इसके अतिरिक्त, बीओडी का कोई भी अनुमोदन नहीं लिया था यद्यपि ठेका मूल्य सीबीसी की शक्तियों के प्रत्यायोजन से अधिक था जिसके लिये बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित था।

<sup>38</sup> ठेका संख्या ओआईएल/सीडीजी4167/डीआरएलजी/12

<sup>39</sup> ठेका संख्या ओआईएल/सीसीओ/डीआरएलजी/204/2008

<sup>40</sup> संख्या ओआईएल/सीसीओ/डीआरएलजी/165/2007

## अध्याय 6

### अन्वेषण प्रयासों की प्रभावकारिता

नामांकन ब्लॉकों में अपने अन्वेषण प्रयासों में ओआईएल कितना प्रभावी था निर्धारित करने के लिये, लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान नामांकन व्यवस्था के अंतर्गत पीईएल ब्लॉक को छोड़ने और पीईएल ब्लॉक को पीएमएल ब्लॉक में बदलने की स्थिति की समीक्षा की। 16 पीईएल ब्लॉक और 22 पीएमएल ब्लॉक में से, लेखापरीक्षा ने क्रमशः 5 पीईएल और 7 पीएमएल ब्लॉकों की समीक्षा की।

लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान ब्लॉकों में एनईएलपी के विभिन्न स्तरों, एमडब्ल्यूपी की उपलब्धि की स्थिति और एनईएलपी ब्लॉकों में ओआईएल द्वारा निर्णीत हर्जाने के भुगतान के अंतर्गत ओआईएल द्वारा बोली की सफलता की भी समीक्षा की। ओआईएल द्वारा छोड़े गये ब्लॉकों की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त एमओपीएनजी और डीजीएच की भूमिका और ओआईएल के अन्वेषण प्रयासों से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों को भी उजागर किया गया है।

#### 6.1 नामांकन ब्लॉकों में निष्पादन

##### 6.1.1 पीईएल को पीएमएल ब्लॉकों में परिवर्तित करने की स्थिति

नामांकन व्यवस्था के अंतर्गत, ओआईएल को 1985 से 1999 की अवधि के दौरान 16 ब्लॉकों में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (पीईएल) दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त ब्लॉकों में से सात की स्थिति की समीक्षा की और देखा कि:

- 2013-14 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, ओआईएल ने केवल दो ब्लॉकों को भी आंशिक रूप से को पीईएल से पीएमएल में परिवर्तित किया था। आबंटित 1887 वर्ग किलो. (बोरहट के लिए 222 वर्ग किलोमीटर और तिनसुकिया के लिये 1665 वर्ग किलोमीटर) में से केवल 90 वर्ग किलोमीटर (बोरहाट पीईएल: 81 वर्ग किलोमीटर और तिनसुकिया पीईएल: 9 वर्ग किलोमीटर) परिवर्तित किया गया था।
- पांच क्रियाशील पीईएल में से, ओआईएल ने तीन ब्लॉकों (डिबरूगढ, तिनसुकिया और देवमाली) में विस्तार के लिये आवेदन किया, जिसके संबंध में डीजीएच का अनुमोदन प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)। शेष आबंटित (मई 1990 और अप्रैल 1999) दो पीईएल ब्लॉकों (जयरामपुर एक्सेटेशन और नामचिक पीईएल) में, ओआईएल ने केवल दो स्थानों<sup>41</sup> पर ड्रिल करने का कार्य किया।

<sup>41</sup> जेआरबी और एनसीके-1

### 6.1.1.1 पीईएल ब्लॉको के प्रबंधन में महत्वपूर्ण मुद्दे

ओआईएल को डिबरूगढ़ पीईएल नवम्बर 1987 में दिया गया था। डीआईबीएच स्थान पर सिविल कार्य शुरू नहीं किया जा सका चूँकि भूमि फरवरी 2009 में ही प्राप्त की जा सकी थी। भूमि प्राप्त होने के बाद भी, सिविल निर्माण शुरू नहीं किया जा सका चूँकि पीईएल मार्च 2009 में समाप्त हो गया था। ओआईएल ने अप्रैल 2009 में पीईएल समाप्त होने के बाद ही बढ़ाने के लिये आवेदन किया, जो फरवरी 2011 में दिया गया था और फरवरी 2013 तक वैध था। अप्रैल 2009 से फरवरी 2011 की अवधि के दौरान, पीईएल के लंबित विस्तार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, सिविल निर्माण स्थानीय किसानों द्वारा अधिक क्षतिपूर्ति की मांग और मुकदमेबाजी के कारण शुरू नहीं किया जा सका। यह 2012 से अनसुलझा रहा।

डीआईबीसी स्थान पर, ओआईएल ने नया सिविल कार्य किया चूँकि ₹ 1.17 करोड़ की लागत पर पहले किया गया निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गया था। ओआईएल को सिविल कार्य के पुनर्निर्माण के लिये ₹ 0.90 करोड़ की राशि खर्च करनी थी।

एमओपीएनजी ने फरवरी 2015 तक अतिरिक्त विस्तार दिया। पीईएल अभी भी पीएमएल (अप्रैल 2015) में परिवर्तित होना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ओआईएल ने मार्च 2009 से पूर्व पीईएल के विस्तार के लिये समय पर कार्यवाही नहीं की। इसके अतिरिक्त, एमओपीएनजी ने अतिरिक्त विस्तार देने में 22 महीनों का अत्यधिक समय लगाया उसके कारण नये सिविल निर्माण पर अतिरिक्त व्यय हुआ और साइट निष्क्रिय रही।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि डिबरूगढ़ पीईएल वर्तमान में खोज सहित परिचालन के अंतर्गत है। डीआईबीसी में की गई खोजों के आधार पर, डीआईबीएच में हाइड्रोकार्बन के साकारात्मक संकेत की मौजूदगी और 3डी भूकंप संबंधी अनुमान के आधार पर निर्धारित संभावनाओं की मौजूदगी, 168.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डिबरूगढ़ पीएमएल विस्तार को परिवर्तित करने के लिये फरवरी 2015 में प्रयोग किया गया था।

तथ्य रह जाता है कि ओआईएल के पास ब्लॉक 28 वर्ष तक रहा और अभी भी ब्लॉक को पीएमएल में परिवर्तित किया जाना है (अप्रैल 2015)।

### 6.1.2 पीईएल ब्लॉक को छोड़ने की स्थिति

16 पीईएल ब्लॉकों में से, ओआईएल ने ₹ 219.11 करोड़ (परिशिष्ट-V) का व्यय करने के बाद भी, बिना किसी प्रकटीकरण के 9 ब्लॉकों को 15 से 26 वर्ष तक रखने के बाद छोड़ दिया।

### 6.1.2.1 पीईएल ब्लॉकों को छोड़ने में महत्वपूर्ण मुद्दे

- लखीमपुर पीईएल को दिसम्बर 1995 में ओआईएल को दिया गया था। यद्यपि ओआईएल ने व्यापक सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया था और मध्यम प्रकार की संभावनाएँ भी निर्धारित कर ली गई थी, पीईएल ब्लॉक, पीईएल समाप्त होने के कारण मार्च 2009 में छोड़ा गया था क्योंकि एमओपीएनजी ने समयावधि अतिरिक्त विस्तार नहीं दिया।  
लेखापरीक्षा की राय में भौगोलिक बाधाओ (क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में होने से) के आधार पर ब्लॉक को छोड़ने का निर्णय सर्वेक्षण कार्य ₹ 169.15 करोड़ का व्यय किये बिना पहले लिया जा सकता था और ओआईएल की ओर से योजना में कमी का संकेत देता है।
- मरघेरिता पीईएल नवम्बर 1987 में ओआईएल को दिया गया था। ओआईएल ने ब्लॉक में ₹ 14.46 करोड़ का व्यय किया। जांच ने ब्लॉक के अंतर्गत क्षेत्र में गैस की मौजूदगी की पुष्टि की। प्राप्त नमूनों के आधार पर, क्षेत्र पर पुनः अनुमान लगाया गया और ओआईएल ने संगठन को अधिक काम देकर जांच न किये गये संभावित क्षेत्र की जांच की योजना बनाई। तथापि, ओआईएल ने पीईएल समाप्त होने के कारण ब्लॉक छोड़ दिया (अप्रैल 2009)।

लेखापरीक्षा की राय में यह ओआईएल द्वारा प्रयासों की कमी और योजना में कमी दर्शाता है क्योंकि उसके पास पीईएल ब्लॉक 22 वर्षों तक था और हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी के प्रारंभिक संकेत होने के बाद भी पीईएल ब्लॉक छोड़ दिया।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि लखीमपुर और मरघेरिता पीईएल को पहचान किए गए संरचनाओं में अन्वेषणात्मक रूप से ड्रिल किए गये कुओं में खराब हाइड्रोकार्बन के कारण छोड़ा गया था।

तथापि लखीमपुर और मरघेरिता ब्लॉक के बारे में ओआईएल का उत्तर ओआईएल के अभिलेखों में मौजूदा तथ्यों द्वारा साबित नहीं हुआ है, जो हाइड्रोकार्बन की साकारात्मक संभावनाओं का संकेत देता है।

### 6.1.3 पीएमएल ब्लॉक की स्थिति

ओआईएल के पास 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 22 पीएमएल ब्लॉक क्रियाशील थे, जिसमें छह ब्लॉक<sup>42</sup> पीएमएल में परिवर्तन के बाद 4 से 14 वर्षों तक निष्क्रिय रहे। ओआईएल ने छह ब्लॉकों के निष्क्रिय होने का कारण बताया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

<sup>42</sup> निंगरू एक्सटेंशन (खेरम), तिनसुखिया, बोरहापजन, धोलिया, मेचाकी और मेचाकी एक्सटेंशन।

- तिनसुकिया में, स्थानीय मुद्दों के कारण पीएमएल के अंदर खोज में से एक में नियमित उत्पादन नहीं हो सका और कुछ ढूँढे गये/बढ़ाये गये कुओं को अनिर्णायक उत्पादन व्यवहार के कारण बंद किया गया है।
- बोरहापजन में, डाउन-होल समस्या के कारण, अनिर्णायक उत्पादन व्यवहार और निकास सुविधा का अभाव, संरचना की विस्तृत जांच उस समय नहीं की जा सकी।
- घोलिया में, वर्तमान में एक कुएँ को निकासी की सुविधा की उपलब्धता के बाद कार्य के लिये लिया गया था।
- मेचाकी में, वाणिज्यिक उत्पादन स्रोत की समस्या के कारण संभव नहीं था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि छह ब्लॉक में से, पांच ब्लॉक में बताये गये कारण यथार्थपूर्ण नहीं थे। पीईएल को पीएमएल में परिवर्तित करना हाइड्रोकार्बन के खोजने का परिणाम है। वैसे तो इतने बाद में जमीनी वास्तविकता के अनिर्णायक उत्पादन व्यवहार जैसी समस्याओं को बताना उचित नहीं है। ओआईएल सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिये समय से कार्यवाही कर सकता था जैसा ऊपर कहा गया है क्योंकि ओआईएल ईएंडपी क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाता है और नकद समृद्ध इकाई है।

## 6.2 एनईएलपी ब्लॉकों में निष्पादन

### 6.2.1. बोली की सफलता

क्रम-IX तक, भारत सरकार ने 360 अन्वेषण ब्लॉक दिये, जिसमें से 254 ब्लॉक 31 मार्च 2014 तक दे दिये गये थे। ओआईएल ने सभी नौ एनईएलपी क्रमों में भाग लिया और 67 ब्लॉकों के लिये बोली प्रस्तुत की और या तो अकेले या सह-व्यवस्था के रूप में 40 ब्लॉक दिये गये। 40 ब्लॉकों में से, ओआईएल ने 11 ब्लॉकों में सक्रिय रूप से कार्य किया। दिये गये क्रम-वार ब्लॉकों, प्रस्तुत बोलियों और ओआईएल को दिये गये ब्लॉकों का विवरण अनुलग्नक VI में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- एनईएलपी क्रमों में भागीदारी की प्रतिशतता कम थी क्रम-IX को छोड़कर जहां ओआईएल ने दिये गये ब्लॉकों की 50 प्रतिशत के लिये बोली लगाई। भागीदारी 4 और 50 प्रतिशत के बीच रही।
- ओआईएल सभी ब्लॉकों के अधिग्रहण में सफल रहा जिसके लिये उसने चार एनईएलपी क्रमों (अर्थात् एनईएलपी-I, II, III और VI) में बोली प्रस्तुत की थी। तथापि, ओआईएल का निष्पादन, एनईएलपी क्रम-V और IX में अधिक उत्साहजनक नहीं था, जहां सफलता की प्रतिशतता क्रमशः 14 और 24 थी।

- 27 ब्लॉकों में, ओआईएल ने सफल बोलीदाता की तुलना में बोली प्रस्ताव में काम के प्रति कम प्रतिबद्धता/वित्तीय पैकेज/तकनीकी दक्षता के कारण एनईएलपी के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिये अवसर खो दिया।

ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि एनईएलपी में भागीदारी प्रबंधन द्वारा निर्णीत विभिन्न कारकों अर्थात् भविष्य रिजर्व संविभाग के विस्तार के लिये संभावित क्षेत्र के अधिग्रहण का शेष, विकास करने के लिये राजस्व उत्पन्न करने हेतु संचालन के मुख्य क्षेत्र में निवेश, आंतरिक/बाहरी विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित भौगोलिक और वाणिज्यिक संभावनाएँ, संसाधन उपलब्धता (श्रम, सामग्री और निधि), सहभागियों के साथ जोखिम बांटना, स्थान और रूपरेखा की उपयुक्तता आदि का कार्य है।

उत्तर को इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि ओआईएल ने एनईएलपी क्रम I से VII में 2 से 8 ब्लॉक के लिये अपनी बोली प्रस्तुत की थी, जो अत्यन्त कम है। तथापि, ओआईएल ने एनईएलपी के अगले दो क्रमों में 14 और 17 ब्लॉकों के लिये बोली प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक प्राप्त करने की सफलता दर एनईएलपी क्रम-V और IX में उत्साहजनक नहीं थी। उसने बोली प्रस्ताव में कार्य के प्रति कम प्रतिबद्धता/वित्तीय पैकेज/तकनीकी दक्षता के कारण ब्लॉक के अन्वेषण के लिये अवसर भी खो दिया। यद्यपि ओआईएल ने स्वयं उल्लिखित किया कि एनईएलपी के अंतर्गत प्रचालक को चार तरीकों अर्थात् (i) उसे बेहतर मूल्य मिलेगा चूँकि कच्चे तेल का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रक्रिया पर निर्धारित होगा, (ii) अन्वेषण उपकरण के आयात पर सीमा शुल्क पर छूट, (iii) अधिशुल्क की दर कम होगी, और (iv) उपकरण के भुगतान में छूट आदि से लाभ मिलता है। वो सभी प्रयासों के बावजूद बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाया जैसा ऊपर से स्पष्ट है।

### 6.2.2 एमडब्ल्यूपी के अनुपालन की स्थिति

ओआईएल 31 मार्च 2014 तक कार्यशील 27 ब्लॉक में या तो अकेले या कन्सोर्टियम के रूप में भाग लेना चाहता था। ओआईएल इन 27 ब्लॉकों में से 11 ब्लॉकों में प्रचालक है।

#### 6.2.2.1 एमडब्ल्यूपी को प्राप्त न करने में महत्वपूर्ण मुद्दे

लेखापरीक्षा ने 11 ब्लॉकों में से 7 ब्लॉकों की समीक्षा की जहाँ ओआईएल प्रचालक था और इन ब्लॉकों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार हैं:

- i) असम में कार्बी-अंगलॉग और नार्थ कछर हिल जिला में एनईएलपी-IV के अंतर्गत ब्लॉक एए-ओएनएन-2002/3 ओआईएल (पीI:30 प्रतिशत) के कन्सोर्टियम और ओएनजीसी (पीI:70 प्रतिशत) को दिया गया था (अप्रैल 2004), जहाँ ओआईएल प्रचालक था। पीईएल फरवरी 2005 में असम सरकार से प्राप्त हुआ था।

ओआईएल ने ₹ 11.95 करोड़ के ठेके मूल्य पर मैसर्स शिव-वाणी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली (शिव-वाणी) को 100 भू-रसायन नमूनों के साथ 2डी भूकंप संबंधी सर्वेक्षण 300 ग्राउंड लाईन किलोमीटर (जीएलकेएम) के अधिग्रहण के लिये ठेका दिया (अक्टूबर 2005)। चूँकि शिव-वाणी ने ठेके के अनुसार भूकंप संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया; ओआईएल ने वास्तविक ठेके को रद्द कर दिया (जुलाई 2007)। इसके बाद, ओआईएल ने केवल 150 जीएलकेएम के लिये मैसर्स इंडियन ऑयल टैकिंग लिमिटेड (आईओटीएल) को 2डी भूकंप संबंधी सर्वेक्षण के लिये ठेका दिया (नवम्बर 2008)। ओआईएल ने आईओटीएल को फिर से अक्टूबर 2010 में 100 जीएलकेएम और सितम्बर 2011 में 50 जीएलकेएम दिया। आईओटीएल ने जनवरी 2012 में कार्य पूर्ण किया।

लेखापरीक्षा ने ठेके प्रक्रिया की योजना में मुख्य अभाव देखा जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

- जबकि समाप्ति नोटिस ठेकेदार को जनवरी 2007 में दिया गया था, ठेका जुलाई 2007 में रद्द हुआ था। इसप्रकार, ओआईएल ने एमडब्ल्यूपी के छह महत्वपूर्ण माह बर्बाद किये।
- तीन ठेकों को 300 जीएलकेएम के प्रारंभिक कार्य में विभाजित करने के बजाय, ओआईएल ने एक ठेकेदार अर्थात् आईओटीएल को कार्य सौंपा और इस प्रकार प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण का अवसर खो गया।
- फलस्वरूप, ओआईएल ने समान कार्य के लिये आईओटीएल को ₹ 41.79 करोड़ पर ठेका दिया, जो वास्तविक रूप से केवल ₹ 11.95 करोड़ के ठेके मूल्य पर शिव-वाणी को दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप सह-व्यवस्था द्वारा ₹ 29.84 करोड़ की राशि का अतिरिक्त भुगतान हुआ जहां ओआईएल का ₹ 8.95 करोड़ का हिस्सा था।
- चरण-II को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण, ₹ 31.78 लाख (सितम्बर 2014 तक) का जुर्माना डीजीएच द्वारा लगाया गया था जिसमें ओआईएल का ₹ 9.53 लाख का शेयर था।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि 150 जीएलकेएम 2डी भूकंप संबंधित डाटा के शुरूआती तौर पर अधिग्रहण के अनुमान के माध्यम से क्षेत्र की हाईड्रो कार्बन संभावना को सुनिश्चित करने के बाद, दोनों जेवी भागीदार (ओआईएल और ओएनजीसी) एक साथ 2डी भूकंप संबंधित डाटा (250 जीएलकेएम के लिये किया गया ठेका संशोधन) के अतिरिक्त 100 जीएलकेएम अधिग्रहण के लिये सहमत हुये और बाद में अध्ययन क्षेत्र में पूर्वानुमान को कम करने के लिये और अतिरिक्त 50 जीएलकेएम (300 जीएलकेएम के लिये किया गया ठेका संशोधन) के लिये अतिरिक्त विस्तार, कुछ भौगोलिक पूर्वानुमानों के विवरण करने के लिये आवश्यक था जिनका मूल्यांकन शुरू में 150 जीएलकेएम ब्रॉड ग्रिड भूकंप संबंधित डाटा अधिग्रहण के आधार पर ऑयल और गैस के लिये उचित ड्रिलिंग स्थान प्रदान करने के लिये किया गया था।

ओआईएल का उत्तर इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि यह केवल दीर्घदर्श में बाद की घटना में ठेके को विभाजित करते समय 2डी सर्वेक्षण के 300 जीएलकेएम पर कार्य का क्षेत्र और मात्रा को बनाये रखा। यदि ओआईएल प्रारंभ में ऐसे विभाजन में उचित होता, वो विलम्ब और वृद्धि से बच सकता था। यह ओआईएल की ओर से ब्लॉक की व्यावहारिकता के निर्धारण में दीर्घकालिक योजना में त्रुटि दर्शाता है।

ii) राजस्थान में तटवर्ती ब्लॉक **आरजे-ओएनएन-2004/2** ओआईएल के कन्सोर्टियम (75 प्रतिशत पी1) और मैसर्स जीओ ग्लोबल रिसोर्स (बार्बाडोस) इन कार्पोरेट जीजीआर (25 प्रतिशत पी1) को बोलियों के एनईएलपी-VI क्रम में दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- अक्टूबर 2008 में, ओआईएल ने 3डी भूकंप संबंधित एपीआई पूर्ण करने और अक्टूबर 2011 तक 12 अन्वेषण कुएं बनाने की योजना बनाई। तथापि, एपीआई में विलम्ब के कारण और ड्रिलिंग स्थानों को छोड़ने के कारण, वास्तविक उपलब्धि में मूल चरण I अवधि में 10 अन्वेषण कुओं की कमी रिकॉर्ड की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.35 करोड़ के एलडी का परिहार्य भुगतान हुआ।
- चरण I (जनवरी 2012 से जुलाई 2013) की विस्तारित अवधि के दौरान एक और कुआं ड्रिल किया गया था।
- जीजीआर ने कहा कि प्रबंधन समिति के निर्देशों के अंतर्गत, उन्होंने ओआईएल के ब्लॉक में पीआई के स्थानांतरण के लिये परिचालन समिति (ओसी) प्रस्ताव हस्ताक्षर किया और इसलिये वो ओआईएल था जिसे ब्लॉक में जीजीआर के शेयर के प्रति भी एलडी राशि का भुगतान करना पड़ा। वर्तमान में, मध्यस्थता का मामला प्रगति पर है।
- जुलाई 2012 में पूनम-1 कुएं में अत्याधिक चिपचिपा काफी तेल देखा गया। तथापि, दो वर्षों से अधिक समाप्त होने के बाद भी वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) अभी तक (दिसम्बर 2014) प्रस्तुत नहीं की गई है।
- चरण-II, इस चरण में एक भी कुएं की ड्रिलिंग के बिना जनवरी 2015 में समाप्त हो गया।

इस प्रकार, एपीआई और अन्वेषण ड्रिलिंग में काफी विलम्ब वाले ड्रिलिंग स्थानों को छोड़ने में ओआईएल की ओर से विलम्ब के कारण अभी तक ब्लॉक में खोज का गैर-मुद्रीकरण हुआ।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि 3डी भूकंप संबंधित डाटा नवम्बर 2008 में प्राप्त हुआ था और प्रक्रिया मई 2009 में पूर्ण हुई थी। पूर्वानुमान अप्रैल 2010 में पूर्ण हुआ था। इसके अतिरिक्त, एकीकृत आंतरिक पूर्वानुमान ओआईएल के पूर्वानुमान केन्द्र में भी किया गया था जिससे छह स्थान निर्धारित किये गये थे। इस प्रकार, ड्रिलिंग स्थानों को



अंतिम रूप देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था। पहले चरण में, अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011 के दौरान सर्वोच्च स्थानों में ड्रिलिंग की गई थी। दोनों कुएँ खराब हाइड्रोकार्बन संभावनाओं के कारण छोड़ दिये गये थे। पूनम-1 कुआं ब्लॉक का अन्वेषण कुआं था। इस प्रकार, अंतिम रूप देने और ड्रिलिंग स्थान छोड़ने में कोई भी अनुचित विलम्ब नहीं हुआ था। इसलिये 10 प्रतिशत एलडी का भुगतान अपरिहार्य था।

जीजीआर के ठेका-भंग मामले को स्वीकार करते समय ओआईएल ने जोड़ा कि वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) जून 2014 तक प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। तथापि, उचित तकनीक की उपलब्धता न होना और मूल्यांकन कार्य योजना को पूर्ण करने के लिये ड्रिलिंग रिग को ध्यान में रखते हुये डीओसी की स्थिति और जीएंडजी समीक्षा शामिल नोट जून 2014 में डीजीएच को प्रस्तुत किया गया था। ओआईएल के प्रयास जारी थे और वो ओआईएल के गैस क्षेत्र से संघनन कोल्ड उत्पादन तकनीक के प्रयोग से पूनम-1 कुएँ में प्रयोगात्मक उत्पादन जांच कर रहा था। ओआईएल ने मूल्यांकन कार्य पूर्ण करने और अधिक चिपचिपे काफी तेल के अन्वेषण से संबंधित डीओसी के लिये जून 2014 से 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि देने के लिये डीजीएच/एमओपीएनजी को आवेदन किया। ओआईएल के प्रयास इस प्रकार के कच्चे तेल के उत्पादन के लिये जारी थे और वर्तमान में कुआं जाइलीन उपचार के बाद कुएँ के तरल पदार्थ के करीब 8 बीबीएलएस की दर पर खाली हो रहा था। यद्यपि ब्लॉक का चरण II जनवरी 2015 में समाप्त हो गया था, कुआं, ड्रिलिंग रिग की आवश्यकता के लिये ड्रिलिंग नहीं की जा सकी।

तथ्य रह जाता है कि, सबसे पहले, ओआईएल लंबित प्रयोग और पूर्वानुमान कार्य में विलम्ब को उचित सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा जिसका सीधा प्रभाव ड्रिलिंग स्थान पहचानने और छोड़ने में विलम्ब पर पड़ा। दूसरा, ओआईएल की दो मुख्य एनओसी के रूप में दी गई ओआईएल की स्थिति, ओआईएल को नवीनतम तकनीक के साथ चलना चाहिये। ड्रिलिंग रिगों का समय से परिनियोजन सक्षम करने के लिये काफी पहले सही तकनीक अपनाने की योजना बनानी चाहिये।

### 6.2.3 एनईएलपी ब्लॉकों को छोड़ने की स्थिति

ओआईएल ने, प्रचालक के रूप में, सात ब्लॉकों को छोड़ा, जिसमें से एक<sup>43</sup> ब्लॉक 2009-10 से पूर्व छोड़ा गया था और छह ब्लॉक 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान छोड़े गये थे।

<sup>43</sup> एमएन-ओएनएन-2000/1

ओआईएल ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान अपूर्ण न्यूनतम कार्य योजना (एमडब्ल्यूपी) के प्रति ₹ 68.63 करोड़ की राशि के 6 ब्लॉकों के लिये एलडी का भुगतान किया। सभी छोड़े गये ब्लॉकों की समीक्षा अनुबंध VII में संक्षिप्त में है।

### 6.2.3.1 एनईएलपी ब्लॉकों को छोड़ने में महत्वपूर्ण मुद्दे

i) ब्लॉक एए-ओएनएन-2004/1 (अमगुडी) ओआईएल को पीआई की 85 प्रतिशत के साथ, प्रचालक के रूप में दिया गया था। एमडब्ल्यूपी में 2007 से शुरू 4 वर्षों के परियोजना चक्र सहित 2डी, 3डी भूकंप संबंधित (एपीआई), भू-रसायन प्रतिचयन के पुनर्संसाधन और 3 अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग शामिल है।

नये 3डी भूकंप संबंधित डाटा पूर्वानुमान के 144 वर्ग कि.मी. के आधार पर, 3 स्थान निर्धारित किये गये थे, जिसमें से 1 स्थान (एएमजी-1) अन्वेषण ड्रिलिंग के लिये छोड़ा गया था जिसकी अक्टूबर 2009 में ड्रिलिंग की गई थी। तथापि, कुएँ को हाईड्रोकार्बन न मिलने के कारण अप्रैल 2010 में छोड़ दिया गया था।

अन्वेषण कुएँ (एएमजी-2) के दूसरे स्थान की ड्रिलिंग के लिये भूमि अप्रैल 2010 में प्राप्त की गई थी और सिविल कार्य मई 2010 में शुरू किया गया था। ओआईएल ने एएमजी-2 की ड्रिलिंग पूर्ण करने के लिये चरण-1 (दिसम्बर 2011 तक) के अंतर्गत 6 माह का विस्तार लिया जो जुलाई 2011 में ड्रिल किया गया था। एएमजी-2 दिसम्बर 2011 में छोड़ दिया गया था चूँकि हाइड्रॉ कार्बन की कोई खोज नहीं हुई थी। ओआईएल, 10 प्रतिशत एलडी द्वारा तीसरे समर्पित कुएँ (एएमजी-3) की जांच और ड्रिलिंग पूर्ण करने के लिये अतिरिक्त 6 माह के विस्तार (जून 2012 तक) प्राप्त करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ इस आधार पर कि मामला पहले ही लंबित है और एलडी के प्रति काफी अधिक देयता थी।

इसी बीच, एमओपीएनजी ने डीजीएच को निर्देश दिया था कि ब्लॉक का चरण-1 दिसम्बर 2011 में समाप्त/रद्द हो गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- एएमजी-1 के मामले में, खुदाई के लिये नियोजित तिथि अगस्त 2009 थी। ओआईएल ने दो माह के विलम्ब के बाद अक्टूबर 2009 में कुआँ खोदा।
- एएमजी-2 के लिये सिविल कार्य के निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण समय पर पूर्ण नहीं हुआ था। ओआईएल ने एएमजी-1 को छोड़ने से पूर्व एएमजी-2 के लिये सिविल कार्य पूर्ण करने के लिये पहले से उचित योजना नहीं बनाई।
- ओआईएल ने अपने प्रतिबद्ध एमडब्ल्यूपी को पूरा किए बिना ₹ 83.59 करोड़<sup>44</sup> का कुल व्यय किया और अंततः ब्लॉक को छोड़ दिया।

<sup>44</sup> ₹ 98.35 करोड़ का 85 प्रतिशत

- ओआईएल ने प्रतिबद्ध किए तीसरे कुएं (एएमजी-3) को ड्रिल नहीं किया और अनुचित नियोजन से उत्पन्न कार्यों के समापन में विलंब के कारण एमओपीएनजी को अपूर्ण प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत के रूप में एलडी के प्रति ₹ 12.32 करोड़<sup>45</sup> की राशि का भुगतान किया।

ओआईएल ने उत्तर दिया (जनवरी 2015) कि ब्लॉक में तीव्र अन्वेषण कार्यकलापों के भाग के रूप में पहला कुआ एएमजी-1 ड्रिल किया गया था। एक पृथक दोषपूर्ण ब्लॉक पर ब्लॉक के उत्तरी भाग पर एएमजी-2 को ड्रिल किया गया था। एएमजी-2 की ड्रिलिंग से पूर्व अतिरिक्त भू-वैज्ञानिक अध्ययन किए गए थे। इसलिए, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को एएमजी-1 के साथ-साथ आरंभ नहीं किया गया था। सिविल कार्य को शुरू करने में एक माह की चूक संबंधित ठेकों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण थी। ओआईएल ने फिर बताया कि भारी वाहनों/रिग यातायात के संचालन और रिग मशीनरियों की ढुलाई को सुगम बनाने के लिए 8.40 किमी. के एप्रोच मार्ग के सुदृढीकरण और मरम्मत के शामिल होने के कारण एएमजी-2 के लिए सिविल कार्य को पूरा करने हेतु एक वर्ष से अधिक का समय लिया गया था। इसके अतिरिक्त, एएमजी-2 के सिविल कार्य विकट मानसून समय के दौरान किए जाने थे जिसके कारण भी कुएं एएमजी-2 की ड्रिलिंग में भी विलंब हुआ था।

ओआईएल का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि ओआईएल अधिकतर उपरी असम में कार्य करने वाला सत्त्व है और विलंब हेतु दिए गए ऐसे कारणों को संभालने में तकनीकी रूप से समर्थ है। चूंकि, एएमजी-2 का भूमि अधिग्रहण और आनुषंगिक सिविल कार्य साथ-साथ आरंभ नहीं किया गया था, जबकि एएमजी-1 प्रगति में था, इसलिए विलंब कई गुणा बढ़ गया था। ओआईएल बहुमूल्य एमडब्ल्यूपी समय व्यर्थ किए बिना अतिरिक्त भू-वैज्ञानिक अध्ययन साथ-साथ कर सकता था। उपरोक्त ने ओआईएल की तरफ से खराब नियोजन को दर्शाया।

इसके अतिरिक्त, 3डी भूकंपीय डाटा विवेचना के आधार पर आरंभिक चरण पर तीन स्थानों की भी पहचान (एएमजी-1, एएमजी-2, एएमजी-3) की गई थी और एमडब्ल्यूपी के अनुसार तीन कुओं की ड्रिल की जानी थी। तथापि, ओआईएल ने एएमजी-3 नहीं किया और एलडी का भार उठाया।

ii) राजस्थान में ब्लॉक आरजे-ओएनएन-2000/1 एनईएलपी-II के अंतर्गत ओआईएल को दिया गया था। प्रचालक के रूप में ओआईएल ने आरंभ में 100 प्रतिशत पी1 रखा था। ब्लॉक के लिए पीएससी को जुलाई 2001 में हस्ताक्षर किया गया था। पीईएल जनवरी 2002 में दिया गया था और चरण I, 3 वर्षों की अवधि के लिए पीईएल के देने की तारीख से प्रभावी था। तथापि, ब्लॉक को खराब हाइड्रोकार्बन संभावना के आधार पर चरण-III के दौरान फरवरी 2010 में छोड़ दिया गया था।

<sup>45</sup> ₹ 14.49 करोड़ का 85 प्रतिशत

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

इस ब्लॉक के चरण-II के दौरान मै. संटेरा रिसोर्सेज लिमिटेड (एसआरएल) ने 40 प्रतिशत शेयर के लिए भागीदार बनने हेतु रूचि प्रकट की। ओआईएल ने अगस्त 2006 में एक करार के माध्यम से भागीदारी के लिए एसआरएल की अनुमति देने का निर्णय लिया। एसआरएल को ओआईएल से पीए के सुपुर्दगी हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन एमओपीएनजी द्वारा उस चरण पर जून 2007 में किया गया था, जब चरण II के एमडब्ल्यूपी (अर्थात एक कुए की ड्रिलिंग) पहले ही शुरू हो चुकी थी (जून 2007)।

यह देखा गया कि जेवी भागीदार के रूप में एसआरएल ने ₹ 4.25 करोड़ (17.8.2001 से 31.3.2007 की अवधि के लिए जुलाई 2007 में उदभूत बिल) की राशि की पिछली लागत का भुगतान नहीं किया था, जोकि करार के अनुसार बीजक के उदभूत करने के 15 दिनों के अंदर भुगतान योग्य था।

ठेकागत दायित्वों के अननुपालन न करने के कारण ब्लॉक में एसआरएल की भागीदारी को पीएसपी के अनुच्छेद 29.5 के प्रावधानों के अंतर्गत अगस्त 2009 में समाप्त कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय योगदान के बिना ब्लॉक की व्यावहारिकता के निर्धारण के लिए एसआरएल को अनुचित अवसर देने वाले ठेका को समाप्त करने में ओआईएल और एमओपीएनजी द्वारा दो वर्षों से अधिक का विलंब हुआ। एसआरएल ने चरण-III में प्रवेश करने में अगले निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि उपलब्ध लघु समय पर विचार करते हुए जेवी भागीदार ने न केवल ब्लॉक के कुए के पश्च ड्रिलिंग मूल्यांकन को शीघ्रता से देखने के लिए मै. आरपीएल एनर्जी लि. यूके (आरपीएस) की सेवाएं भाड़े पर लेने का सुझाव दिया (सितम्बर 2007) बल्कि आरपीएस को सीधे ही यह कार्य सौंप भी दिया (सितंबर 2007)। यह देखा गया कि शीघ्र अवलोकन मूल्यांकन करने के लिए आरपीएस को भुगतान करने के लिए पश्च कार्योत्तर अनुमोदन मात्र नवम्बर 2007 में ही ओआईएल द्वारा दिया गया।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि चरण-III में प्रवेश करने का निर्णय सभी जेवी भागीदारों द्वारा लिया गया संयुक्त निर्णय था।

ओआईएल का तर्क संतोषजनक नहीं है क्योंकि अगले चरण (जोकि संयोग से एसआरएल से आगामी नहीं थी) के दौरान निधियों की उपलब्धता यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण कारक से कम नहीं है कि अगले चरण में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। यह किसी वित्तीय योगदान के बिना परामर्शदाता (मै. आरपीएस) का चयन करने और निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देते हुए एसआरएल को अनुचित लाभ भी देता है।

### 6.3 एमओपीएनजी/डीजीएच द्वारा नामांकन और एनईएलपी ब्लॉकों की मॉनीटरिंग की प्रास्थिति

#### 6.3.1 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के देने में विलंब

एनईएलपी-VI के अंतर्गत, एमओपीएनजी ने ओआईएल (90 प्रतिशत पी I) और जीओ ग्लोबल रिसोर्सेज इन बर्बाडोस (10 प्रतिशत पी I) के संघ को ब्लॉक केजी-ओएनएन-2004/1 दे दिया था। ब्लॉक 549 वर्ग किमी. के क्षेत्र को कवर करता था जिसमें से 511 वर्ग किमी. आंध्र प्रदेश में और 38 वर्ग किमी. पुदुचेरी में था।

ब्लॉक के लिए पीएससी पर मार्च 2007 में हस्ताक्षर किया गया था, तथापि आंध्र प्रदेश में 511 वर्ग किमी. क्षेत्र के लिए पीईएल को पीएससी के हस्ताक्षर से 350 दिनों के अंतराल के पश्चात फरवरी 2008 में दिया गया था और पुदुचेरी में 38 वर्ग किमी. के लिए पीईएल को पीएससी के हस्ताक्षर से तीन वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद जून 2010 में दिया गया था।

इस प्रकार, संबंधित राज्य सरकार द्वारा पीईएल देने में विलंब से भी अन्वेषण की प्रक्रिया और हाइड्रोकार्बन विजन 2025 में निर्धारित लक्ष्य में विलंब हुआ।

#### 6.3.2 मंत्रालय/विभागों से मंजूरी में विलंब

नामांकन या पूर्व-एनईएलपी या एनईएलपी अवधि के अंतर्गत दिए गए ब्लॉकों में अन्वेषण कार्यकलाप करने के लिए ठेकेदार से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों (अर्थात् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग) से विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करना अपेक्षित है।

नवंबर 2014 को ब्लॉकों, जहां संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में विलंब या मंजूरी न मिलने के कारण अन्वेषण कार्यकलाप प्रभावित हुए थे, को तालिका 6.1 में दिया गया है:

तालिका 6.1 - मंत्रालयों/विभागों से मंजूरीयों में विलंब

| क्रम सं. | ब्लॉक                  | लिया गया समय (दिनों में) | टिप्पणियां                                     |
|----------|------------------------|--------------------------|--|
| 1        | एए-ओएनएन-2002/3        | 199                      | एमओईएफ द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी देने में विलंब |
| 2        | एए-ओएनएन-2004/2        | 713                      | एमओईएफ द्वारा वन मंजूरी देने में विलंब         |
| 3        | केजी-ओएनएन-2004/1      | 2093                     | एमओईएफ द्वारा वन मंजूरी देने में विलंब         |
| 4        | निंगरू पीईएल           | नौ वर्ष से अधिक          | एमओईएफ द्वारा वन मंजूरी देने में विलंब         |
| 5        | निंगरू एक्सटेन्स पीईएल | नौ वर्ष से अधिक          | एमओईएफ द्वारा वन मंजूरी देने में विलंब         |
| 6        | एमजे-ओएनएन-2004/1      | चार वर्ष से अधिक         | एमओईएफ द्वारा वन मंजूरी देने में विलंब         |
| 7        | ओजे-ओएनएन-2000/1       | एक वर्ष                  | रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी देने में विलंब    |

**लेखापरीक्षा ने देखा कि:**

- राज्य सरकारों से पीईएल प्राप्त करने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मंजूरीयां प्राप्त करने में विलंब ने अपस्ट्रीम ऑयल कम्पनियों की कार्यप्रणाली और साथ ही हाइड्रोकार्बन विजन 2025 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति उनके प्रयासों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।
- एनइएलपी राऊंड की प्रस्ताव सूची और नामांकन या पूर्व-एनईएलपी अवधि के अंतर्गत ब्लॉकों को देने में सम्मिलन के लिए ब्लॉकों की कार्विंग आऊट से पूर्व विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एमओपीएनजी द्वारा मंजूरीयां प्राप्त न करने के कारण ब्लॉकों के अन्वेषण में विलंब सूचित किए गए थे और अन्वेषण चरण में प्रतिबद्ध एमडब्ल्यूपी को पूरा नहीं किया जा सका था। इसने अपस्ट्रीम ऑयल कम्पनियों को उनके विशेषीकृत क्षेत्र (अर्थात अन्वेषण और उत्पादन) पर पूर्ण रूप से ध्यानकेंद्रण करने से वांचित कर दिया।

इस प्रकार, सात ब्लॉकों में ओआईएल के अन्वेषण प्रयासों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मंजूरीयों को प्राप्त करने में विलंब या मंजूरीयों के उपलब्ध न होने के कारण लंबित रखा गया था। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय से मंजूरी के अभाव में ब्लॉक सीवाई-ओएसएन-97/2 को ब्लॉक के देने के उद्देश्य को विफल करते हुए अन्वेषण किए बिना छोड़ दिया गया था।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति (2014-15, सोलहवीं लोक सभा) ने भी अपनी पहली रिपोर्ट में सिफारिश की (दिसम्बर 2014), कि 46 प्रतिशत तलछटी बेसिन का हाइड्रोकार्बन विजन 2025 के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन संभावना के लिए निर्धारित किया जाना था। तथापि, विभिन्न मंत्रालयों से अपेक्षित मंजूरी उपलब्ध न होने के कारण अन्वेषण

कार्यकलापों में विलंब हुआ था। इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि एमओपीएनजी/डीजीएच को सुनिश्चित करना चाहिए कि नीलामी के लिए रखे गए ब्लॉकों के लिए संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक मंजूरीयां प्राप्त कर ली गई है जिससे कि सफल रही कम्पनियां शीघ्रता से अपना अन्वेषण कार्य शुरू कर सके।

तथापि, एमओपीएनजी ने निर्णय किया (दिसम्बर 2014) कि नीति के मामले के रूप में, यह भविष्य में नीलामी से पूर्व चिन्हित ब्लॉकों के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन सुनिश्चित करेगा।

ओआईएल ने एनईएलपी के अंतर्गत ओआईएल को आबंटित 7 ब्लॉकों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पुष्टि की थी (अप्रैल 2015)। एक्जिट कान्फ्रेस (जुलाई 2015) में एमओपीएनजी ने दिसम्बर 2014 में लिए गए स्टेन्ड की पुनरावृत्ति की।

**6.3.3 एमडब्ल्यूपी के समय पर समापन के लिए समझौता जापन में कम महत्व एनईएलपी के अंतर्गत एमडब्ल्यूपी का समय पर समापन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एमडब्ल्यूपी के समापन में विलंब के कारण एलडी के रूप में शास्ति लगाई जाती है। लेखापरीक्षा ने ओआईएल के अन्वेषण कार्यकलापों के लिए समझौता जापन में दिए गए महत्व की समीक्षा की और निम्नलिखित कमियां देखी:**

2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान एनईएलपी ब्लॉकों के समय पर समापन और किसी अभाव के मामले में शास्ति के भुगतान के प्रति समझौता जापन में कोई पैरामीटर शामिल नहीं किए गए थे।

एनईएलपी के अंतर्गत घरेलू क्षेत्र विशेष रूप से ब्लॉकों में भूकंपीय सर्वेक्षण और कुओं की ड्रिलिंग के संबंध में समझौता जापन के पैरामीटर अपस्ट्रीम ऑयल कम्पनी के मुख्य कार्यकलाप होने के कारण अधिक महत्व रखते हैं। इसके अलावा, पीएससी के अनुसार, ओआईएल से एलडी का भुगतान करना अपेक्षित है यदि वह निर्धारित अनुबद्ध अवधि का पालन करने में विफल हो जाता है। इन पैरामीटरों को समझौता जापन<sup>46</sup> में उचित महत्व नहीं दिया गया है। भूकंपीय सर्वेक्षण को 2011-12 से समझौता जापन लक्ष्य से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एनईएलपी के अंतर्गत कुओं की ड्रिलिंग के लिए पैरामीटर 2012-13 से समझौता जापन से हटा दिए गए थे।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते समय ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि यह पीएससीज के एमडब्ल्यूपी को मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) राष्ट्रीय और संगठनात्मक प्राथमिकता, तत्पश्चात और आवश्यकता का ध्यान में रखते

<sup>46</sup> अध्याय 1 की तालिका 1.4 में देखें

हुए एमडब्ल्यूपी के समय पर समापन के लिए ऐसे पैरामीटर को शामिल करने पर विचार करे।

एमओपीएनजी ने एक्जिट कान्फ्रेंस में बताया (जुलाई 2015) कि उन्होंने अन्वेषण कार्यकलापों को अधिक महत्व देने का प्रयत्न किया था और मामले को पहले कभी डीपीई के अंतर्गत टास्क फोर्स के पास ले जाया गया था, तथापि, इसे टास्क फोर्स द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

## 6.4 अन्वेषण प्रयासों में उदाहरणात्मक मामले

### 6.4.1 ज्ञात समस्यात्मक क्षेत्रों में एनईएलपी ब्लॉकों के लिए अनुचित बोली

सदिया पीईएल 1130 वर्ग किमी. में अन्वेषण के लिए नामांकन व्यवस्था के अंतर्गत नवंबर 1995 में ओआईएल को दिया गया था, इस क्षेत्र में से 282.5 वर्ग किमी. को पहले पुनः प्रदान (नवम्बर 2001) के दौरान ओआईएल द्वारा छोड़ दिया गया था। ब्लॉक के शेष क्षेत्र को अंततः तार्किक बाधाओं, जैसाकि पहुंच मार्ग और रिंग मोबिलाइजेशन के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर, पुल की अनुपलब्धता, के कारण अन्वेषण ड्रिलिंग के बिना ही अप्रैल 2009 में ओआईएल द्वारा छोड़ दिया गया था।



लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- एनईएलपी राउंड-V (2005) में, ओआईएल ने तार्किक बाधाओं को जानने के बावजूद सदिया में 275 वर्ग किमी. परिमाण के एनईएलपी ब्लॉक एए-ओएनएन-2003/3, जोकि उसी क्षेत्र में स्थित था जहां ओआईएल ने पहले ही पीईएल को छोड़ दिया था, के लिए बोली लगाई।
- ओआईएल ने उन तार्किक समस्याओं के समान समस्याओं के कारण मई 2010 में उपरोक्त ब्लॉक (एए-ओएनएन-2003/3) को छोड़ दिया था जिनके लिए अप्रैल 2009 में सदिया पीईएल को छोड़ दिया गया था। ओआईएल ने एमडब्ल्यूपी की प्राप्ति न होने के लिए ₹ 19.79 करोड़ की राशि हेतु एमओपीएनजी को एलडी का भुगतान किया था।



- यद्यपि, तार्किक बाधाएं अब भी मौजूद थी, जैसाकि ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल का निर्माण अभी किया जाना था (अप्रैल 2015), फिर भी ओआईएल ने एनईएलपी राऊंड-IX (2012) में 171 वर्ग कि.मी. परिमाण के न्यू सदिया (एए-ओएनएन 2010/3) ब्लॉक के लिए फिर से बोली लगाई और एमओपीएनजी ने ओआईएल को ब्लॉक दे दिया।

इस प्रकार ओआईएल के अन्वेषण प्रयास ज्ञात तार्किक समस्याओं के कारण बार-बार विफल हुए।

ओआईएल ने उपरोक्त तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की और आगे बताया (अप्रैल 2015) कि सदिया पीईएल को तार्किक बाधाओं के कारण आवश्यक अन्वेषण ड्रिलिंग के बिना छोड़ दिया गया था। चूंकि, ब्रह्मपुत्र नदी पर अभी पुल का निर्माण चल रहा था, फिर भी इस क्षेत्र का एनईएलपी के माध्यम से दोबारा लिया गया था। ओआईएल ने यह भी बताया कि तत्कालीन पीईएल ब्लॉक सदिया एनईएलपी के अंतर्गत सदिया और न्यू सदिया के नाम से आगामी आबंटन के समान था।

ओआईएल का उत्तर स्वयं ही अंतःविरोधात्मक है क्योंकि तार्किक बाधाओं के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल की अनुपलब्धता नियोजन व्यवस्था में इनके अनुभव से पहले ही ज्ञात थी। इस प्रकार, एनईएलपी प्रशासन के अंतर्गत दो ब्लॉकों सदिया और न्यू सदिया के लिए ओआईएल की अगली बोली में औचित्य की कमी थी। तथ्य यह रह जाता है कि पूर्व नियोजन ब्लॉक से निकले एनईएलपी ब्लॉक को ₹ 19.79 करोड़ के एलडी के भुगतान के पश्चात मई 2010 में ओआईएल द्वारा दोबारा छोड़ दिया गया था और दूसरे क्षेत्र के लिए दोबारा बोली लगाई गई थी जिसमें भी पिछले ब्लॉक के समान कमियां थीं।

एमओपीएनजी/ओआईएल ने बताया (जुलाई 2015) कि सदिया ब्लॉक पर एनईएलपी-X राऊंड में दोबारा बोली लगाई गई थी क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल का निर्माण 2010 में शुरू हो गया था और इसके अप्रैल 2015 में पूरा होने की संभावना थी।

#### 6.4.2 हाइड्रोकार्बन संभावनाओं वाले ब्लॉकों का अनुचित परित्याग

दो ब्लॉक (एएपी-ओएन-94/1 और एनईसी-ओएसएन-97/2) ओआईएल को दिए गए थे जहां ओआईएल नामांकन पीईएल के अंतर्गत प्रचालक था। इन ब्लॉकों को ओआईएल द्वारा बाद में हाइड्रोकार्बन की किसी खोज के बिना छोड़ दिया गया था। बाद में, इन ब्लॉकों को पूर्व-एनईएलपी (एएपी-ओएन-94/1) और एनईएलपी-1 (एनईसी-ओएसएन-97/2) के अंतर्गत निजी प्रचालकों अर्थात् हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड (एचओईसी) और रिलायस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल)/निको रिसोर्सेज लिमिटेड (निको) को दिया गया था जहां निजी प्रचालकों ने गैस की खोज की। तथापि, ओआईएल ने हाइड्रोकार्बन को खोजने के लिए ओआईएल के अन्वेषण प्रयासों की विफलता के कारणों को निर्धारित करने के लिए कोई समीक्षा नहीं की थी जबकि निजी प्रचालक हाइड्रोकार्बन खोजने में सफल रहे थे।

ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि ब्लॉक एएपी-ओएन-94/1 के संबंध में ओआईएल थ्रस्ट बेल्ट क्षेत्र से और अन्यत्र प्राथमिकता क्षेत्रों से भी निकटता होने के नाते जटिल सतही लॉजिस्टिक्स और भौगोलिक जटिलताओं के कारण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका था। ब्लॉक को बाद में मार्गरिटा पीईएल से प्राप्त किया गया था और 1996 के दौरान पूर्व-एनईएलपी बोली के दौर VIII में भारत सरकार नीति के भाग के रूप में निजी जेवी प्रचालक एचओईसी को दे दिया गया था। ओआईएल को इस क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में काफी जानकारी थी और इसने जोखिम सहभाजन के साथ अन्वेषण कार्यकलापों को फास्ट ट्रेक करने के लिए संघ के साथ सक्रिय भागीदार बनने का निश्चय किया। ओआईएल ने ब्लॉक में गैस खोजने में तकनीकी रूप से अत्यधिक सहयोग दिया। इस ब्लॉक ने पहला वाणिज्यिक गैस उत्पादन अगस्त 2016 से शुरू करने की योजना बनाई गई है।

ब्लॉक एनईसी-ओएसएन-97/2 के संबंध में ओआईएल ने बताया कि इसने नामांकन प्रशासन के दौरान ब्लॉक क्षेत्र को रखा था और अन्वेषण कार्यकलाप किए थे, जिसमें एक कुए (एनईसी-2) की ड्रिलिंग शामिल है, जो गैस की मौजूदगी के सकारात्मक सूचक है। चूंकि, पीईएल वैधता समाप्त हो चुकी थी, इसलिए ओआईएल ने ब्लॉक को छोड़ दिया और बाद में इस ब्लॉक के भाग को निजी जेवी प्रचालकों को एनईएलपी राऊंड-1 में दिया गया था जो ब्लॉक के स्वामी थे और उन्होंने इस ब्लॉक में गैस की खोज की थी।

ओआईएल ने एनईसी-ओएसएन-97/2 ब्लॉक के संबंध में लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार कर लिया। तथापि, ब्लॉक एएपी-ओएन-94/1 के संबंध में ओआईएल का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इसके पास उस ब्लॉक से खोज करने हेतु अवसर था जो 11 वर्ष से अधिक समय से उनके पास था।

एमओपीएनजी/ओआईएल ने एक्विजिट कॉन्फ्रेंस में बताया (जुलाई 2015) कि यह देखना एक सामान्य वैश्विक घटना है कि एक ऑयल इण्डपी कम्पनी एक अन्वेषण चक्र में तेल खोजने में विफल रही और बाद के प्रयासों में सफल रही।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि ओआईएल का निष्पादन इण्डपी क्षेत्र में समकक्षों से पीछे रह गया था जैसाकि 3.4 में उल्लेख किया गया है।

#### 6.4.3. दो ब्लॉकों में अन्वेषण के जोखिम और लागत को साझा करने में विफलता

एनईएलपी-IV (2007) के अंतर्गत असम में दो ब्लॉक अर्थात्, एए-ओएनएन-2004/1 और एए-ओएनएन-2004/2, ओआईएल को दिए गए थे। ब्लॉक एएओएनएन-2004/1 ओआईएल (पी I 85 प्रतिशत) और शिव-वाणी ऑयल एण्ड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड (शिव-वाणी) (पी I 15 प्रतिशत) के संघ को दिया गया था। इसी प्रकार, ब्लॉक एए-ओएनएन-

2004/2 ओआईएल (पी I 90 प्रतिशत) और सुतेरा रिसोर्सेज लिमिटेड (एसआरएल) (पी I 10 प्रतिशत) के संघ को दिया गया था।

तत्पश्चात, ओआईएल ने एएचईसीएल को दोनों ब्लॉकों में 10 प्रतिशत पी I हस्तांतरण के लिए सितम्बर 2006 में असम हाइड्रोकार्बन एण्ड एनर्जी कम्पनी लिमिटेड (एएचईसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। बदले में एएचईसीएल करार के अनुसार उपरोक्त ब्लॉकों पर ओआईएल द्वारा व्यय की गई पिछली लागत के आनुपातिक हिस्से की प्रतिपूर्ति ओआईएल को करेगा। ओआईएल के निदेशक मंडल (बीओडी) ने एएचईसीएल के पक्ष में उपरोक्त दो ब्लॉकों में पी I के 10 प्रतिशत के अपने हिस्से की सुपुर्दगी का अनुमोदन किया (जुलाई 2007)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- ब्लॉक ए-ओएनएन-2004/1 के मामले में, एएचईसीएल ने एएचईसीएल द्वारा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित वास्तविक राशि और विस्तृत भुगतान अनुसूची की सूचना देने के लिए ओआईएल से निवेदन किया (सितम्बर 2011)। उत्तर में (अक्टूबर 2011) ओआईएल ने उपरोक्त ब्लॉक में लिए कुल व्यय (₹ 64.61 करोड़) के 10 प्रतिशत होने के नाते मार्च 2011 तक ₹6.46 करोड़ के व्यय को साझा करने के लिए एएचईसीएल को सूचित किया। तथापि, उपरोक्त मामले पर एएचईसीएल के साथ कोई अन्य अनुनय नहीं किया गया था। इसी बीच ब्लॉक को 2011 में छोड़ दिया गया था।
- ब्लॉक ए-ओएनएन-2004/2 में, डीजीएच ने एसआरएल की भागीदारी को समाप्त कर दिया था (मई 2009) क्योंकि इसने बीजी प्रस्तुति में चूक की थी। जबकि ओआईएल ने डीजीएच को बीओडी के निर्णय से 22 माह बीत जाने के बाद एएचईसीएल के अपने 10 प्रतिशत पी I के हस्तांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था (मई 2009), फिर भी ब्लॉक ए-ओएनएन-2004/2 में एएचईसीएल को 10 प्रतिशत पी I के हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव (मई 2009) को डीजीएच द्वारा लौटा दिया गया था (फरवरी 2010) क्योंकि ओआईएल ने गलती से एसआरएल के 10 प्रतिशत पी I का उल्लेख किया था और डीजीएच ने आवश्यक त्रुटि सुधार के बाद प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करने के लिए ओआईएल को निर्देश दिया था। ओआईएल को एमओपीएनजी को अभी इस संदर्भ में नया प्रस्ताव भेजना है। जून 2014 तक इस ब्लॉक का कुल व्यय ₹ 61.31 करोड़ था। चूंकि ओआईएल ने अब तक (अप्रैल 2015) दोषपूर्ण सिफारिश को सुधारने पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए यह ए-ओएनएन-2004/2 ब्लॉक में ₹ 6.13 करोड़ (10 प्रतिशत पी I के होने के नाते) की एएचईसीएल की भागीदारी प्राप्त नहीं कर सका था।

यद्यपि, ओआईएल की एएचईसीएल को अपने 10 प्रतिशत पीI के हस्तांतरण में रूचि थी, फिर भी यह दोनों ब्लॉकों में एएचईसीएल के साथ जोखिम और लागत को साझा करने के लिए अवसर को प्राप्त करने में विफल रहा। इस प्रकार, एएचईसीएल को पी आई का हस्तांतरण न होने के कारण, ओआईएल ने एएचईसीएल को ₹ 12.59 करोड़ के वित्तीय भार को हस्तांतरित करने का अवसर खो दिया।

ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि ब्लॉक एए-ओएनएन-2004/1 और एए-ओएनएन-2004/2 में एएचईसीएल को 10 प्रतिशत पी I के हस्तांतरण को एएचईसीएल से प्रतिक्रिया और रूचि के अभाव के कारण मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि ओआईएल ने ब्लॉक एए-ओएनएन-2004/1 के संबंध में अक्टूबर 2011 के बाद एएचईसीएल से पिछली लागत की वूसली के लिए यथोचित प्रयत्न नहीं किया था। जहां तक एए-ओएनएन-2004/2 ब्लॉक का संबंध है, वहां एमओपीएनजी को प्रस्ताव की पुनः प्रस्तुति पर ओआईएल की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप गतिरोध उत्पन्न हुआ। चूंकि हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण जोखिम वाला और उच्च पूंजी वाला कारबार है इसलिए जोखिम की साझेदारी को अन्वेषण चरण के दौरान परामर्शयोग्य माना जाता था। इसके अलावा, ओआईएल ने स्वयं बोर्ड नोट में राय दी (जुलाई 2007) कि यह असम सरकार के साथ बेहतर संबंधों के माध्यम से सहायक होगा और राज्य स्तर की नई हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन कम्पनी के उठने को भी प्रोत्साहित करेगा जो ओआईएल की समग्र कारबार योजना में उपयोगी होगा।

## अध्याय 7

### अन्वेषण कार्यकलापों की मॉनीटरिंग

पिछले अध्ययों में ओआईएल के विभिन्न निष्पादन सूचकों की रिजर्व अभिवृद्धि, सर्वेक्षण प्रक्रिया, ड्रिलिंग प्रचालन और अन्वेषण ब्लॉकों के प्रबंधन में इसकी कुशलता के संबंध में चर्चा की गई है। यह देखा गया है कि विभिन्न पैरामीटर में कम-उपलब्धि को ओआईएल के स्वयं के बजट, अनुमान, मानव संसाधनों का प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण की कड़ाई और उच्चतर प्रबंधन द्वारा निरीक्षण से जोड़ा जा सकता है। इससे नियमपुस्तकों का अद्यतन भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने इसके हाइड्रोकार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय, प्रौद्योगिकीय और मानव संसाधनों के उपयोग, अनुसंधान एवं विकास के लिए बजटीय परिव्यय और संसाधन आबंटन के उपयोग के प्रति ओआईएल की प्रभावकारिता की समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा ने ओआईएल की ठेका नियमपुस्तक की भी समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा के ओआईएल की ठेका लेखापरीक्षा जांच के परिणामों की चर्चा निम्नानुसार है:-

#### 7.1 बजटीय परिव्यय का उपयोग

##### 7.1.1. योजना परिव्यय का कम उपयोग

वार्षिक बजट को भविष्य के प्रचालनों की योजना बनाने और प्राप्त परिणामों पर कार्योत्तर जांच करने के मद्देनजर तैयार किया जाता है। बजट की समय पर तैयारी और वास्तविक कार्यान्वयन में देखे गए अंतर का विश्लेषण आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य को पूरा करता है।

ओआईएल ने अपने प्रचालनात्मक कार्यकलापों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपना वार्षिक बजट तैयार किया जिसके आधार पर इसने अपने नियोजित कार्यकलाप किए थे। लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान मुख्य प्रचालनात्मक कार्यकलापों के संबंध में बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) और वास्तविक के बीच अंतर देखें।

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए ओआईएल की वास्तविक और प्रत्यक्ष निष्पादन की तुलना में वास्तविक योजना परिव्यय अनुबंध I और VIII में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा की :

- ओआईएल 2009-10 से 2012-13 तक सभी वर्षों में समस्त बीई का उपयोग करने में असमर्थ रहा। 2013-14 में सर्वेक्षण और अन्वेषण ड्रिलिंग के अंतर्गत किया गया व्यय बीई से कम रहा, यद्यपि संयुक्त उद्यम में निवेश बढ़ने के कारण समग्र व्यय

बीई से अधिक हो गया था। सभी पांच वर्षों के लिए, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण ड्रिलिंग के प्रति वास्तविक व्यय बीई से 13 से 40 प्रतिशत तक कम रहा।

- इसी प्रकार, आरई के प्रति सर्वेक्षण और अन्वेषण ड्रिलिंग के संबंध में वास्तविक व्यय 2009-10 से 2013-14 तक सभी वर्षों में कम रहा जोकि 2 और 33 प्रतिशत के बीच था।
- प्रत्यक्ष लक्ष्य की प्राप्ति में गिरावट वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति में गिरावट के अनुरूप नहीं थी। सर्वेक्षण के मामले में प्रत्यक्ष लक्ष्य में गिरावट 55 प्रतिशत तक थी और अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए यह 47 प्रतिशत तक थी।
- ओआईएल के समझौता जापन में, एमओपीएनजी ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए योजना परिव्यय के अंतर्गत व्यय के लिए कोई महत्व नहीं दिया गया था। तथापि, योजना परिव्यय के अंतर्गत व्यय को 2012-13 में 1 प्रतिशत वेटेज, जिसे 2013-14 में 2 प्रतिशत वेटेज तक बढ़ा दिया गया था, के साथ समझौता जापन लक्ष्य निर्धारण हेतु पैरामीटर के रूप में माना गया था।

ओआईएल की बजटीय परिव्यय की वित्तीय प्राप्ति/उपयोग में लगातार गिरावट यह दर्शाती है कि इसने इसके व्यय की मॉनीटरिंग में चूक की और इसने समग्र रूप से अपने व्ययों का अधिक अनुमान लगाया था।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि संदर्भित अवधि के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश में योजना परिव्यय और वास्तविक व्यय मुख्यतः भाड़े पर लिए गए चार्टर रिग्स की कम संख्या में उपलब्धता, रिगों की खरीद में मुकद्दमेबाजी, भूमि अधिग्रहण समस्याओं, असम में निरंतर बंद और नाकाबंदी ने क्षेत्रीय प्रचालनों को विद्युत्तित कर दिया जिसमें ड्रिलिंग और क्षेत्रीय तैयारी कार्य शामिल हैं, के कारण नियोजित की अपेक्षा प्रत्यक्ष कार्यकलापों में कम उपलब्धि द्वारा प्रभावित हुआ था।

सर्वेक्षण और ड्रिलिंग असम में लंबे समय तक चली लगातार बारिश और भारी बाढ़ के कारण बाधा आई जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर में सीमित वर्किंग विंडों, सांविधिक मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने में विलंब, विप्लव संभावित वन और नदी संगम क्षेत्र (सदिया, कर्बी अंगलॉग) और विकास कार्यों में बाधाएं सामने आईं।

ओआईएल ने आगे बताया कि इसके पास मासिक कार्य योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष निष्पादन का निश्चित नियंत्रण तंत्र था जो अंततः वर्ष अंत के वास्तविक वित्तीय व्यय को दर्शाता है। ओआईएल ने बजट तैयार करने के लिए कारबार नियोजन और समेकन (बीपीसी) कार्यान्वित किया है और वास्तविक समय नियंत्रण के लिए एसएपी में निधि प्रबंधन (एफएम) मॉड्यूल सक्रिय किया गया है। यह प्रणाली चेतावनी पोप अप संदेश देती है जब व्यय बजटीय

राशि से अधिक हो जाता है और इस प्रकार नियंत्रण कार्यान्वित होता है। योजना परिव्यय को हाल ही के वर्षों में समझौता ज्ञापन प्रणाली में डायनेमिक कुशलता पैरामीटर के रूप में शुरू किया गया है और इसे आंतरिक रूप से एवं एमओपीएनजी के साथ तिमाही प्रगति रिपोर्ट बैठकों में मॉनीटर किया जाता है।

ओआईएल ने आगे बताया कि समझौता ज्ञापन में नए पैरामीटर का चयन (अर्थात् 2012-13 से योजना परिव्यय, 2015-16 के लिए फ्लेयर घटाने आदि) या किसी पैरामीटर का विलोप (अर्थात् विदेश में परिसम्पत्ति उत्पादन का अधिग्रहण, आरपी अनुपात आदि) प्राथमिकता के आधार पर और द्विगुणन आदि से बचने के लिए टास्क फोर्स का पूरा विशेष अधिकार है।

ओआईएल द्वारा दिए गए उपरोक्त सभी उत्तर पश्च दृष्टि पर आधारित हैं। तथापि, बजटिंग आय और व्यय के प्रत्याशित भावी स्तर पर लक्षित कार्य है। बजट और वास्तविक में लगातार अंतर ने आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति (2011-12, पंद्रहवीं लोकसभा) ने अपनी दसवीं रिपोर्ट में महसूस किया कि गिरावट के लिए दिए गए अधिकतर कारण, अर्थात् भूमि अधिग्रहण समस्या, संबंधित विभागों से विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करने में विलंब, ड्रिलिंग रिगों की अनुपलब्धता इत्यादि, परिहार्य थे और कम्पनी द्वारा उचित योजना के साथ इनका समय पर समाधान किया जा सकता था। इसलिए, समिति चाहती है कि ओआईएल वर्तमान वित्तीय वर्ष में निधियों के 100 प्रतिशत उपयोग के लिए सभी प्रयास करे और यह भी चाहती है कि डीजीएच यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभाविकता से मॉनीटरिंग करेगी कि ऑयल कम्पनियों द्वारा निधियों का कोई कम उपयोग नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति (2014-15, सोलहवीं लोकसभा) ने अपनी पहली रिपोर्ट में नोट किया कि पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में विभिन्न ऑयल पीएसयूज द्वारा परिव्यय का सीधा उपयोग नहीं किया गया था। कुछ पीएसयूज में बजट अनुमानों और अनुमानों के बीच काफी अंतर था और इसके अलावा यहां तक कि संशोधित बजट अनुमानों का भी कम उपयोग किया गया है। समिति ऑयल पीएसयूज, उनमें से कुछ नवरत्न हैं, से अपने बजटीय कार्य से अधिक गंभीर होने और अपने बजटीय नियोजन तंत्र का पुनर्निर्माण करने की अपेक्षा रखती है जिससे कि ऐसे त्रुटिपूर्ण अनुमानों से बचा जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की कि कठोर मॉनीटरिंग प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की जानी चाहिए कि बजट प्रक्षेपणों को प्रभावी नियोजित कार्यकलाप के लिए अनुबद्ध समयसीमा में प्राप्त किया जाता है।

### 7.1.2 अनुसंधान एवं विकास के लिए बजटीय आबंटन

ओआईएल एक अपस्ट्रीम अन्वेषण और उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है जो भारत और विदेश में पेट्रोलियम क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों में लगा हुआ है। ओआईएल के विजन में

शामिल है “एक शिक्षण संगठन, विकास पहल, सर्वोच्च प्रणालियों के साथ नवप्रवर्तन और अभिलाषा”। इस प्रकार प्रौद्योगिकी इन्डक्शन एक नीतिगत लक्ष्य है और अन्वेषण के क्षेत्र में आवश्यक जरूरत है।

2013-14 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिए अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) कार्यकलापों पर किए गए बजट अनुमानों (बीई) और संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में वास्तविक व्यय को नीचे तालिका 7.1 में दिया गया है:

**तालिका 7.1 - अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर बजट अनुमान, संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय**

| वर्ष        | बी.ई.         | आर.ई.         | वास्तविक व्यय | (₹ करोड़ में)                |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|             |               |               |               | अधिक/कमी<br>(बी.ई. वास्तविक) |
| 2009-10     | 29.23         | 30.00         | 22.49         | (6.74)                       |
| 2010-11     | 33.28         | 25.55         | 19.79         | (13.49)                      |
| 2011-12     | 30.74         | 26.44         | 26.99         | (3.75)                       |
| 2012-13     | 63.52         | 30.11         | 37.39         | (26.13)                      |
| 2013-14     | 43.53         | 38.97         | 38.74         | (4.79)                       |
| <b>जोड़</b> | <b>200.30</b> | <b>151.07</b> | <b>145.40</b> | <b>(54.90)</b>               |

**लेखापरीक्षा ने देखा कि :**

- 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान सभी वर्षों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर वास्तविक व्यय बी.ई. से कम था, इतनी व्यापक विभिन्नताओं के कारण अभिलेख पर नहीं थे।
- 2011-12 और 2012-13 में वास्तविक व्यय क्रमशः आर.ई. से 2 और 24 प्रतिशत तक अधिक था। तथापि, उसी वर्ष के आर.ई. के ऊपर 2012-13 के वास्तविक व्यय के आधिक्य को बी.ई. में विविध कमी (53 प्रतिशत) को बताया गया था।

ओआइएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि यह अनुसंधान एवं विकास द्वारा नई प्रौद्योगिकी को विकसित और प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कर रहा था। विभिन्न वर्षों में समीक्षा के तहत नियोजित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ बजटीय राशि के प्रति कम व्यय/लागत के साथ पूरी की गई है। वर्ष 2012-13 के लिए उच्च बी.ई. मुख्य रूप से 2012-13 (₹ 39.85 करोड़) के लिए 12वीं पाँच वर्ष योजना प्रक्षेपण के अनुसार गुवाहटी में ऊर्जा अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र (सीओईईएस) के लिए प्रस्तावित भवन की नियोजित निर्माण गतिविधि के कारण थी। तथापि वर्ष के दौरान सीओईईएस के निर्माण पर कोई व्यय नहीं किया गया था क्योंकि इसका परिचालन किराये के भवन से किया जा रहा था। इसलिए नियोजित गतिविधि की समीक्षा के करने के बाद आरई महत्वपूर्ण रूप से कम हो गई थी।



ओआईएल का उत्तर सीओईईएस को स्थापित करने के लिए निधि की गैर - उपयोगिता पर ध्यान केन्द्रित करता है। तथ्य यह रह जात है कि ओआईएल अनुसंधान एवं विकास पर नियोजित व्यय नहीं कर सका और जैसा कि पैरा 3.4 में उल्लेख किया गया है हाईड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए नई प्रौद्योगिकी प्राप्त की गई, हालांकि ओआईएल ने राजस्थान में कुएँ पूनम - 1 में उच्चतम लसीले भारी तेल की खोज (जुलाई 2012) की, यह उनके साथ अपेक्षित प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति के कारण कुएँ से उत्पादन करने में असफल रहा।

हाईड्रोकार्बन विजन 2025 में अन्य बातों के साथ - साथ प्रौद्योगिकीय प्रगति और प्रयोज्यता के साथ गति को बनाए रखने के लिए और वैश्विक अन्वेषण और उत्पादन उद्योग में प्रौद्योगिकी में सबसे आगे होने के लिए 2025 तक भारतीय तलछटी घाटों का 100 प्रतिशत अन्वेषण कवरेज शामिल था।

## 7.2 अन्वेषण में मानव संसाधन (एच.आर.) का उपयोग

ओआईएल में अन्वेषण प्रयास भूभौतिकी, भूवैज्ञानिक एवं जलाशय और ड्रिलिंग सेवाओं के कार्यकारी और गैर - कार्यकारी स्टाफ के बने हुए समर्पित अन्वेषण समूह द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2014 को, 7746 के कुल श्रमबल में से अन्वेषण समूह के लिए श्रमबल 1368 था, जो कुल श्रमबल के 17.66 प्रतिशत का द्योतक था।

अन्वेषण समूह में भूभौतिकी, भूवैज्ञानिक एवं जलाशय और ड्रिलिंग विभाग शामिल है जो कि ओआईएल के अन्वेषण गतिविधियों में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। अन्वेषण गतिविधियों में इसकी महत्ता के बावजूद इन विभागों में श्रम - बल की कमी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि :

- 2009-10 से 2013-14 के दौरान, भूभौतिकी विभाग में, वास्तविक कामगार 1992 से 1996 की अवधि के दौरान ठेका श्रमिक के नियमितिकरण के कारण 97 से 124 प्रतिशत तक संस्वीकृत पदों से अधिक थे।
- उसी अवधि के दौरान भूभौतिकी एवं जलाशय (जी एवं आर) विभाग में कार्यकारी में कमी 28 से 37 प्रतिशत के बीच थी।
- ड्रिलिंग विभाग में कार्यकारी कमी वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई। यह 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 16 से 25 प्रतिशत थी।
- 31 मार्च 2014 को, रिगमैन और टॉपमैन संवर्ग में, 233 और 108 की संस्वीकृत क्षमता के प्रति केवल क्रमशः 100 और 70 कर्मचारी थे।
- 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, ओआईएल ने कार्यकारी संवर्ग में 391 व्यक्ति और गैर - कार्यकारी संवर्ग में 1081 व्यक्ति भर्ती करने की योजना बनाई जिसके विरुद्ध कार्यकारी संवर्ग के तहत केवल 340 व्यक्ति और गैर - कार्यकारी

संवर्ग में 597 व्यक्तियों को भर्ती किया गया था। श्रम बल की कमी अब भी निरन्तर बनी हुई थी (दिसम्बर 2014)। इसे उल्लेख करना उपयुक्त है कि तकनीकी श्रम बल की कमी को संबोधित करने के लिए ओआईएल अपने निजी रिगों को परिचालित करने के लिए नियमित रूप से मानव प्रबंधन संविदा कर रही थी।

- 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, जी एवं आर और भूभौतिकी विभाग में मुख्य संघर्षण हुआ जैसा कि संघर्षण के 36 मामलों में से 10 कार्यकारी (28 प्रतिशत) जी एवं आर विभाग से थे और 7 कार्यकारी (19 प्रतिशत) भूभौतिकी विभाग से थे।

संघर्षण की अधिकतम संख्या बी एवं सी संवर्ग में पाई गई थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि संस्वीकृत क्षमता पुरानी थी और पहले से ही समीक्षा के अन्तर्गत थी जैसाकि विभिन्न विभागों में कामगारों की आवश्यकता पिछले कुछ वर्षों से बदल रही थी। पहले कभी जब इस संस्वीकृती की समीक्षा की गई थी, तब श्रम बल आवंटन मामले का, समीक्षा किए गए संस्वीकृत पदों के पुनः आवंटन द्वारा समाधान किया जा सकता था। यद्यपि, ओआईएल बाहर से भर्ती कर रहा था और भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे थे ताकि श्रम बल की कमी को पूरा किया जाए, यह भी अनुभव किया गया कि भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय की भर्ती के लिए विभिन्न स्थानीय संगठनों द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयों और माँगोंके कारण यथेष्ट समय लिया गया। भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय को घटाने के लिए प्रयास किए गए थे।

ओआईएल ने आगे बताया कि इसने अपनी अन्वेषण गतिविधियों की जिसमें विभिन्न तकनीकी समूहों द्वारा उत्पादन एवं अन्य सम्बद्ध सेवाएं शामिल हैं जहाँ पर श्रम बल को इसकी परिचालन आवश्यकता के अनुसार नियोजित किया गया था। अन्वेषण आवश्यकता पर निर्भर करते हुए गैर - कार्यकारी श्रम - बल का निर्धारण किया गया था और आवश्यकता को इसके - वर्तमान कर्मचारियों के माध्यम से बाहरी भर्ती के माध्यम से भी पूरा किया गया था।

ओआईएल का उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी की स्वीकृति को दर्शाता है। लेखापरीक्षा को सचेतन रूप से ओआईएल द्वारा अपनाई गई कोई मानव संसाधन नीति नहीं मिली।

एक्जिट कान्फ्रेंस में एमओपीएनजी/ओआईएल ने कहा (जुलाई 2015) कि उन्होंने कतिपय कार्यात्मक समूहों को सुदृढ़ करने के लिए श्रमबल की समीक्षा और पुनर्नियोजन प्रारंभ कर दिया था और भर्ती द्वारा श्रमबल को पूरा करने के प्रयास भी आरंभ कर दिए थे।

### 7.3 आंतरिक नियंत्रण का निरीक्षण

ओआईएल के पास एक महा प्रबंधक की अध्यक्षता वाला एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो बाद में निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करता है। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, जीएम (आईए) का पद रिक्त रहा और आईए विभाग ने सीधे रूप से निदेशक (वित्त) को सूचित किया। आईए विभाग ने नियमित कार्यालय नोएडा एवं पंजीकृत कार्यालय दुलियाजन से संचालन किया। आईए ने निगमित कार्यालय (नोएडा), पंजीकृत कार्यालय, (दुलियाजन), परियोजना कार्यालय(उत्तर पूर्वी सीमांत, राजस्थान और काकीनाडा) एवं संयुक्त उधम ब्लॉक (घरेलु एवं विदेश) के सभी विभागों की या तो अपने निजी अन्यथा विभिन्न चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) फर्मों को आउटसोर्स करके लेखापरीक्षा की।

#### लेखापरीक्षा ने देखा की:

- आदर्शतः आईए विभाग का कार्यचालन स्वतंत्र होना चाहिए और सीधे रूप से सीएमडी को रिपोर्ट करना चाहिए, किंतु इसके विपरीत, ओआईएल का आईए विभाग निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहा था। आईए नियमपुस्तिका के अनुसार, आईए विभाग का अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक (ईडी) होना चाहिए जिसकी सहायता दो जी एम द्वारा की जानी है। तथापि, 2009-10 से 2013-14 की सम्पूर्ण अवधि के दौरान ईडी और जीएम के पद रिक्त रहे। जीएम (आईए) ने केवल जुलाई 2014 से पदभार ग्रहण किया। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, केवल तीन से पाँच कार्यकारी आईए विभाग में पदस्थ किए गए थे। परिणामस्वरूप आईए कार्य विभिन्न सीए फर्मों को आउटसोर्स करके किया गया था। आईए विभाग ने तकनीकी विंग से किसी भी प्रतिनिधि के बिना केवल वित्त विभाग से व्यक्तियों को शामिल किया।
- आईए कार्यों की आउटसोर्सिंग के मामले में, ओआईएल ने अपने परिचालन क्षेत्रों में तकनीकी मुद्दों की समीक्षा के लिए अपने लेखापरीक्षा दल में अपस्ट्रीम तेल कम्पनियों में ज्ञान रखने वाले तकनीकी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए पंचाटपत्र में कोई शर्त शामिल नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, आईए कार्यों को करने के लिए सीए फर्मों द्वारा कार्यरत लेखापरीक्षा दल के संगठन के सत्यापन के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं थी।
- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों को 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। ओआईएल के पास अप्रैल 2012 तक आंतरिक लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका नहीं थी। आईए नियमपुस्तिका के अनुसार, आईए विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयासों का कोई द्विगुणीकरण नहीं हुआ है अगले छह महीनों के लिए उनकी योजनाओं पर चर्चा करने हेतु कम से कम छह महीने में एक बार सीएजी लेखापरीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों से मिलना चाहिए। इसे तथापि अभी

व्यवस्थित किया जाना था। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अनुपालन समयबद्ध तरीके में संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा जो कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है अपर्याप्त रहा और उसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने भी सदस्यों को अपनी रिपोर्ट (मई 2014) में भी बताया कि क्षेत्र का कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की निगरानी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि आंतरिक लेखापरीक्षा और तकनीकी लेखापरीक्षा विभाग कम्पनी में बहुत पहले से विद्यमान थे और लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार की जा रही थी। विभाग की कार्यपद्धति आवधिक रूप से लेखापरीक्षा समिति द्वारा मार्गदर्शित थी। लेखापरीक्षा विभाग और इसके कार्यों के मार्गदर्शन के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका को विवेकी माना गया था। तदनुसार लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका को बनाया गया जो कि अप्रैल 2012 के महीने में लागू हुई थी। लेखापरीक्षा समिति ने अगस्त 2014 में आयोजित अपनी बैठक में संकल्प किया कि आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को एक अच्छे निगमित अभिसूचित शासन के भाग के रूप से सीएमडी को सूचित करना था। तदनुसार, इसके बाद से आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग सीएमडी को सूचित कर रहा था।

ओआईएल ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार कर लिया है।

एग्जिट कान्फ्रेंस में एमओ पीएनजी/ओआईएल ने बताया (जुलाई 2015) कि लेखापरीक्षा में बताई गई कमियों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई पहले से ही कर ली गई थी और आईए अब सीधे रूप से सीएमडी को सूचित कर रहा था।

#### 7.4 निर्णय लेने में बोर्ड का शामिल होना

कम्पनी के निष्पादन के समग्र पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल (बीओडी) उत्तरदायी है और कम्पनी को इसकी गतिविधियों के बारे में सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निर्णय लेने में बीओडी के शामिल होने में निम्नलिखित कमियों को लेखापरीक्षा में देखा गया था:

- ओआईएल ने 2012-17 की अवधि के लिए ₹ 19,003.02 करोड़ की राशि की एमओपीएनजी को एक पूंजीगत आउटले योजना प्रस्तुत की (सितम्बर 2011)। योजना को बीओडी के समक्ष उनके विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- एमओपीएनजी की आवश्यकता के अनुसार, ओआईएल ने एमओपीएनजी को आगे संचारण के लिए अपनी तिमाही निष्पादन रिपोर्ट (क्यूपीआर) तैयार की। तथापि उसे नियमित आधार पर उनके अनुमोदन के लिए बीओडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया

गया था चूंकि 2013-14 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान बनाई गई 20 क्यूपीआर में से केवल 10 क्यूपीआर को बीओडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आंतिम दो वर्षों के दौरान (अर्थात् 2012-13 और 2013-14) प्रत्येक वर्ष में केवल 1 क्यूपीआर बीओडी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार (परिपत्र सं. 15/5/06 दिनांक 9 मई 2006), नामांकन आधार पर दी गई संविदा को उनकी समीक्षा और कार्यान्वयन पुनरीक्षा के लिए बीओडी के ध्यान में लाया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा समिति को भी ऐसी नामांकन संविदा की कम से कम दस प्रतिशत की जाँच करना आवश्यक है।

बोर्ड के कार्यवृत्त की संवीक्षा से पता चला कि 2009 - 10 से 2013-14 की अवधि के दौरान दैनिक तौर पर नामांकन आधार के अन्तर्गत दी गई संविदा की केवल एक सूची बीओडी के समक्ष तिमाही आधार पर उनके मुल्यांकन के लिए प्रस्तुत की गई थी जो कि बीओडी द्वारा देखी गई। तथापि नामांकन आधार पर दिए गए ठेके पर बीओडी द्वारा कोई कार्यान्वयन संवीक्षा और पुनरीक्षा नहीं की गई थी। आगे इस तथ्य के पक्ष में अभिलेख पर कुछ नहीं था कि लेखापरीक्षा समिति ने सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन आधार पर दिए गए ठेके की कम से कम 10 प्रतिशत की जाँच की।

इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रबंधन समिति (एलएमसी) बैठक के कार्यवृत्त की संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि रिगो को भाड़े पर लेने के लिए ठेको<sup>46</sup> को अन्तिम रूप देते समय एक बार एलएमसी का कार्यवृत्त बनाया नहीं गया था, इसका निर्णय कार्यान्वित किया गया था।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि अहमदाबाद में 10 मार्च 2012 को सामारिक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें सीएमडी की अध्यक्षता के तहत ओआईएल के निदेशक द्वारा भाग लिया गया था, जहाँ पर सामारिक योजना की विस्तार से चर्चा की गई थी। यह एक तथ्य था कि इसे बीओडी में नहीं रखा था। तथापि कथित बैठक के अभिलिखित कार्यवृत्त के आधार पर कार्यान्वयन किया गया था और इसे सभी संबंधित को परिचालित किया गया था।

ओआईएल की पूँजी परियोजना की चर्चा एमओपीएनजी को प्रस्तुत करने से पहले कार्यात्मक निदेशकों के साथ विस्तार से की गई थी और वार्षिक योजना और गैर - योजना बजट बनाते समय इसे ध्यान में रखा गया। वार्षिक योजना और गैर - योजना बजट को बोर्ड के समक्ष इसे अनुमोदन के लिए रखा गया।

तिमाही निष्पादन रिपोर्ट की एमओपीएनजी को प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यात्मक निदेशकों के स्तर तक चर्चा की गई थी। तथापि, बोर्ड को प्रत्येक बोर्ड बैठक में कच्चे तेल, गैस, एलपीजी

<sup>46</sup> सं जारी/जीएल/डीआरएलजी/259/10

एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन के बारे में सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएमडी ने बोर्ड की अपने संप्रेषण में ड्रिलिंग, उत्पादन, पूंजी व्यय (भारत और विदेशी) और सीएसआर पहले जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए को उल्लेख करके, मुख्य निष्पादन के बारे में सूचित किया। बीओडी ने तिमाही परिणामों का अनुमोदन करते हुए कम्पनी के निष्पादन की तिमाही आधार पर भी समीक्षा की। इसलिए ओआईएल के बीओडी को कम्पनी के निष्पादन के बारे में उचित प्रकार से सूचित किया गया था।

सीवीसी दिशानिर्देशों और बोर्ड के निर्णयों के अनुसार, नामांकन आधार पर दिए गए ठेको के बारे में सूचना बोर्ड की बैठकों में नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है। बोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई भी प्रश्न/स्पष्टीकरण यदि कोई है, जब भी आवश्यक हो का तदनुसार उपयुक्त रूप से संबंधित विभागों द्वारा समाधान/उत्तर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नामांकन आधार पर दिए गए ठेकों सहित सभी प्रकार के ठेकों की जाँच करता है। नियमित आधार पर निर्णित नमूनों के आधार पर इसमें से उद्भूत हुई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ओआईएल बीओडी को केवल सांख्यिकीय सूचना सूचित करता है एवं 2009 - 10 से 2013-14 की अवधि के दौरान बोर्ड के कार्यवृत्तों से कोई चर्चा या विश्लेषण पता लगाने योग्य नहीं था।

### 7.5 ठेका नियमपुस्तिका में कमियाँ

ठेका जीवन चक्र प्रबंधन परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन को उच्चतम सीमा तक पहुँचाने और संगठन के जोखिम को कम करने के लिए ठेका सृजन कार्यान्वयन और विश्लेषण के व्यवस्थित ढंग से और दक्षता पूर्वक प्रबंधन करने की एक प्रक्रिया है। ओआईएल की ठेका नियमपुस्तिका में यह कहते हुए सामयिक ठेका देने के महत्व को समावेशित किया गया कि इंडेन्टिंग विभाग वह समय दर्शाएगा जब तक ठेके दे दिए जाएँगे, ठेका एवं इंडेन्टिंग विभाग ठेका देने के कार्यक्रम सारणी पर खरीद माँग की तारीख से प्रारम्भ होकर ठेका देने की तारीख तक चर्चा एवं सहमत होंगे।

लेखापरीक्षा ने ओआईएल की ठेका नियमपुस्तिका और प्राप्ति के ठेकों के प्रबंधन और रिगों के चार्टर भाड़े पर लेने की समीक्षा की और देखा कि:

- ठेका नियमपुस्तिका में समय पर माल एवं सेवाएँ प्राप्त करने हेतु ठेका प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया;
- इसमें जॉब के करने के समय पर ठेके की ड्रिलिंग इकाइयों/उप - सतह टूल्स/उपकरणों की क्षति या हानि के मामले में उत्तरदायित्व को नियत करने के संबंध में व्यापक

दिशानिर्देश सम्मिलित नहीं थे। परिणामस्वरूप दो ठेके<sup>47</sup> में, ओआईएल ने ठेकेदार की मुआवजो के रूप में ₹ 3.18 करोड़ का भुगतान किया, यद्यपि उत्तरदायित्व नियत करने के लिए गठित समिति या तो ठेकेदार के भाग पर या ओआईएल पर उत्तरदायित्व नियत करने में असफल रही।

- संबंधित विभाग द्वारा बनाए गए ठेके को देने के लिए वहाँ कोई नियत कार्यक्रम सारणी नहीं था।
- ओआईएल ने निविदा के अन्तिम रूप देने और ठेका देने के लिए कोई प्रतिमान नियत नहीं किए थे। परिणामस्वरूप ठेके को सामयिक रूप से देने के लिए कोई नियंत्रण तन्त्र स्थापित नहीं थे।
- ठेका नियमपुस्तिका को अक्टूबर 2009 से अद्यतन नहीं किया गया था। .

उपरोक्त को देखते हुए, ओआईएल में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण रही।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि एमओपीएनजी की सलाह के अनुसार, इसने ओएनजीसी की नियमपुस्तिका की और ध्यान दिया और अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की मदद से इसका अद्यतन अपनी नियम पुस्तिका में किया। ओआईएल की नियमपुस्तिका में सम्मिलित करने के लिए सुझावित आवश्यक संशोधनों को अनुमोदित किया गया था। आवश्यक संशोधनों का समावेश करने के बाद ठेका नियमपुस्तिका वर्तमान में अन्तिम रूप देने के उन्नत चरण के अन्तर्गत है। ओआईएल ने पहले से ही एक नई प्रतिबंध नीति स्थापित की है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ समय सीमा विचलन की विफलता ठेकागत निबन्धन शर्तों के अनुसार माल/सेवाओं की आपूर्ति में असफलता और गैर - निष्पादन के लिए अवकाश पर आपूर्तिकार/ठेकेदार को देने को प्रावधान शामिल है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकारते हुए ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि ठेका देने के लिए पहले से ही कोई नियत कार्यक्रम स्थापित नहीं था जिसे अब सम्मिलित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त ओआईएल ने निविदा को अन्तिम रूप देने के लिए एक समय - सीमा तैयार की।

एक्जिट कान्फ्रेंस में एमओपीएनजी/ओआईएल ने कहा (जुलाई 2015) कि ठेका नियमपुस्तिका संशोधन के अन्तर्गत है और सितम्बर 2015 तक अन्तिम रूप दिए जाने की प्रत्याशा है, जो कि अन्ततः निविदा प्रक्रिया अवधि को कम करेगी।

<sup>47</sup> सं ओआईएल/सीसीओ/डीआरएलजी/वैश्विक/187/2007 और स.जारी/जी एल/डी आर एल जी/287/12

## अध्याय 8

### निष्कर्ष एवं सिफारिशें

एमओपीएनजी ने मार्च 2000 में देश के आर्थिक वृद्धि में हाईड्रोकार्बन सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए 2025 तक भारतीय तलछटी घाटी के 100 प्रतिशत अन्वेषण कवरेज की दीर्घावधि पॉलिसी वाले हाईड्रोकार्बन विजन 2025 को निरूपित किया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ऑयल इण्डिया लिमिटेड (ओआईएल) के हाईड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयासों (2009-10 से 2013-14) की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह देखने का प्रयास किया कि क्या ओआईएल के अन्वेषण प्रयास उचित योजना के साथ किए गए थे और इसके अपने और राष्ट्र के परिकल्पित हाईड्रोकार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दक्षता और प्रभाविकता से निष्पादित किए गये थे।

#### 8.1 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि हाईड्रोकार्बन रिजर्व की निवल वृद्धि में ओआईएल का योगदान मात्र संभाव्य श्रेणी के अन्तर्गत था, क्योंकि 2 पी श्रेणी (जो कि संभाव्य है) के तहत रिजर्व बढ़ा और 1 पी (जो कि प्रमाणित है) श्रेणी के तहत कम हुआ। इसके अतिरिक्त 3 पी (जो कि संभावित है) श्रेणी के तहत तेल रिजर्व कम हुआ जिसने दर्शाया कि अन्वेषण गतिविधियों द्वारा कोई भी नई फील्ड जोड़ी नहीं जा रही थी। सभी श्रेणियों के तहत गैस रिजर्व भी कम हुए। ओआईएल ने इसके एमओयू में नियत रिजर्व अभिवृद्धि के लिए लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था। यद्यपि ओआईएल ने जैसा कि निर्धारित था एक से अधिक के आरआरआर को प्राप्त कर लिया था फिर भी अंतिम रिजर्व अभिवृद्धि में गिरावट दर्ज की गई थी।

ओआईएल नवीनतम प्रौद्योगिकी की गैर - उपलब्धता के कारण नामांकन व्यवस्था में तीन - खोजों के मुद्दीकरण में असफल रहा। मुख्य एनओसी में से एक और वित्तीय संसाधन और ई एण्ड पी सेक्टर दोनों में अनुभव होने के बावजूद ओआईएल का निष्पादन उद्योग में साथियों से पिछड़ा रहा था क्योंकि इसने एनईएलपी के तहत जुलाई 2012 में केवल एक खोज की थी जिसका अप्रैल 2015 तक मुद्दीकरण नहीं किया गया था।

ओआईएल ने न तो किन्हीं भी पाँच वर्षों में अपना 2 डी सर्वेक्षण का लक्ष्य और न ही पाँच वर्षों में से तीन वर्षों में 3 डी सर्वेक्षण का अपना लक्ष्य प्राप्त किया। एपीआई चक्र के पूरा होने में विलम्ब, आंतरिक सर्वेक्षण और आउटसोर्स सर्वेक्षण के लिए नियत समय की अनुपस्थिति थी। ठेके सामयिक रूप से नहीं दिए गए थे। सर्वेक्षण ठेके ने ठेकागत खंडों में कमियों को भी उजागर किया जिसके कारण ठेकेदारों को अनुचित लाभ और अपूर्ण कार्य के लिए शास्ति भुगतान हुआ।



अन्वेषी ड्रिलिंग के साथ-साथ विकास ड्रिलिंग में महत्वपूर्ण कमियाँ थी। ओआईएल ने इसकी मुख्य अन्वेषण गतिविधियों पर अपेक्षित जोर नहीं दिया। इसके अलावा, एमओयू लक्ष्य निर्धारण और रिपोर्टिंग तथा निष्पादन मापन (आरआरआर द्वारा) में विसंगतियाँ थी। ड्रिलिंग गहराई में ओआईएल का निष्पादन भी संतोषजनक नहीं था। वहाँ पर स्वयं के और भाड़े के रिगों दोनों के वाणिज्यिक और साइकल गति में असामान्य उतार-चढ़ाव थे।

अपनी ड्रिलिंग रिग 9 और 36 वर्षों की सीमा के बीच पुरानी थी। अपनी रिगों के प्राप्त करने के लिए और रिगों को चार्टर भाड़े पर लेने के लिए ठेकों की समीक्षा करते समय लेखापरीक्षा ने बहुत सी कमियाँ पाई जिसमें अपर्याप्त विलंब, रिगों के जुटाने के लिए अनुमत परिहार्य समय, ठेकागत निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन रिगों के विनिर्माता से अधिक आपूर्तिकारों को वरीयता और निविदा पद्धति का सहारा लिए बिना रिगों की अधिप्राप्ति आदि शामिल है जिसके कारण पारदर्शिता का अभाव हुआ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नामांकन ब्लॉक्स में ओआईएल का निष्पादन असंतोषजनक रहा और देश के हाइड्रोकार्बन रिजर्व से जोड़ने के लिए बहुत कम खोजे दी गई हैं। इसने बहुत कम पीईएल ब्लॉक को पीएमएल में परिवर्तित किया, पीईएल ब्लॉक को 28 वर्षों तक पीएमएल में परिवर्तित किए बिना रखा, 15 से 26 वर्षों तक और किसी खोज के बिना पीईएल ब्लॉक को रखने के बाद छोड़ा पीएमएल ब्लॉक्स बहुत समय तक निष्क्रिय रहे।

एनईएलपी व्यवस्था के तहत बोली प्रक्रिया में ओआईएल की भागीदारी और सफलता कम रही। जहाँ ओआईएल परिचालक था वहाँ एनईएलपी ब्लॉक्स देने में, इसने एमडब्ल्यूपी कम प्राप्त किया और बहुत से मामलों में एमओपीएजी को एलडी का भुगतान किया। इसने वचनबद्ध कार्य को पूर्ण किए बिना एनईएलपी ब्लॉक्स को भी छोड़ दिया। रुचिकर यह है कि ओआईएल ने भी उसी क्षेत्र में एनईएलपी ब्लॉक के लिए बोली भी लगाई जहाँ इसने सभार तन्त्र बाधाओं के लिए पहले से ही पीईएल ब्लॉक को छोड़ दिया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ओआईएल द्वारा छोड़े गए दो पीईएल ब्लॉक में; हाइड्रोकार्बन की खोज पूर्व-एनईएलपी/एनईएलपी व्यवस्था के तहत निजी प्रचालकों द्वारा की गई थी।

ओआईएल के बजटीय परिव्यय की वित्तीय प्राप्ति/उपयोग में निरंतर कमी हुई थी। ओआईएल के पास इसके अधिक लसीले हैवी आयल की खोजों के मुद्रीकरण के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी नहीं थी।


## 8.2 सिफारिशें

ओआईएल के साथ - साथ एमओपीएनजी यह सुनिश्चित कर सकता है कि ओआईएल का मुख्य कारबार अर्थात एक अपस्ट्रीम एनओसी के रूप में हाईड्रोकार्बन अन्वेषण को निम्न सिफारिशों के रूप में प्राथमिकता दी जाए:

- ओआईएल 3 पी से 2 पी और 2 पी से 1 पी तक की श्रेणी के रिजर्व के आनुपातिक उन्नयन द्वारा रिजर्वों के साबित करने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य का निर्माण कर सकता है;
- एमओयू में अन्वेषण की उच्चतर मुख्य महत्वपूर्ण गतिविधि पर जोर देने के लिए एमओपीएनजी द्वारा वसूली योग्य रिजर्व की अभिवृद्धि के लिए दिए गए वेटेज को बढ़ाया जा सकता है;
- एपीआई चक्र के लिए प्रतिमानों को निरूपण किया जा सकता है और निष्पादन पैरामीटरों के साथ लिंक किया जा सकता है। अन्वेषण के सामयिक पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए ओआईएल अपने सर्वेक्षण ठेको को बारीकी से मॉनीटर कर सकता है;
- एमओपीएनजी को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि एनओसीज उनको दिए गए अन्वेषण लक्ष्यों को स्वीकार कर रहा है;
- ओआईएल पुराने रिगो, ड्रिलिंग, और वर्कओवर दोनों को बदलने के लिए समय पर इसकी अधिप्राप्ति योजना को अंतिम रूप दे सकता है;
- ओआईएल को प्रतिस्पर्धात्मक एनईएलपी व्यवस्था में प्रचालन और प्रत्याशित ब्लॉक के लिए विवेक पूर्ण ढंग से बोली लगाने के लिए समर्थ होने के इसके अनुभव और संसाधनों को उपयोग करने के लिए समर्थ होना चाहिए;
- ओआईएल को एमडब्ल्यूपी कार्यक्रम का अनुपालन करना चाहिए ताकि पूर्णतः ब्लॉक के अन्वेषण और निर्णीत हर्जाने से बचा जा सके;
- एमओपीएनजी को ब्लॉक देने से पूर्व अन्वेषण संबंधी गतिविधियों को करने के लिए अनुमतियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए;
- कमियों से बचने के लिए बजट की उपयोगिता पर उचित निगरानी की आवश्यकता है;
- ओआईएल को इसकी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की ओर ध्यान देना चाहिए और विशेष तौर पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक नकदी सम्पन्न कम्पनी है, नवीनतम प्रौद्योगिकी विदित होना चाहिए;

- ओआईएल को तकनीकी विभाग के साथ – साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में कार्यकारियों की भर्ती पर अपनी कार्यवाही जल्द करनी चाहिए;
- ठेका नियमपुस्तक अद्यतन किया जाना चाहिए और ठेके सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार देने की आवश्यकता है; वित्तीय सावधानी के सिद्धांतों और ठेके निष्पादन की निगरानी को अधिक कड़ा किया जाना चाहिए;
- एमआईएस सृजित करने हेतु ओआईएल के रिपोर्टिंग तन्त्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और विभिन्न निकायों द्वारा उनकी निगरानी बीओडी में पहुँचती है।

एमओपीएनजी ने सिफारिशों को स्वीकार किया (जुलाई 2015) और उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।



(प्रसेनजीत मुखर्जी)

उप नियंत्रक – महालेखापरीक्षक एवं  
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली

दिनांक : 13 नवम्बर 2015

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक : 13 नवम्बर 2015

**अनुबन्ध – I****(पैरा 1.7)****2013-14 को समाप्त विगत पांच वर्षों के बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय**

(₹ करोड़ में)

| व्यय शीर्ष                        | 2009-10        |                |                | 2010-11        |                |                | 2011-12        |                |                | 2012-13        |                |                | 2013-14        |                 |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                   | बीई            | आरई            | वास्तविक       | बीई            | आरई            | वास्तविक       | बीई            | आरई            | वास्तविक       | बीई            | आरई            | वास्तविक       | बीई            | आरई             | वास्तविक       |
| सर्वेक्षण                         | 489.28         | 462.36         | 359.00         | 303.72         | 284.10         | 286.00         | 314.33         | 308.55         | 341.00         | 335.11         | 548.97         | 477.00         | 483.89         | 487.59          | 511.00         |
| अन्वेषण<br>ड्रिलिंग               | 444.98         | 745.55         | 456.00         | 945.62         | 602.14         | 521.00         | 1068.98        | 706.68         | 652.00         | 1337.45        | 785.38         | 737.00         | 1097.67        | 642.26          | 440.00         |
| विकास ड्रिलिंग                    | 497.07         | 490.36         | 381.00         | 509.03         | 352.59         | 397.00         | 502.82         | 391.66         | 506.00         | 568.66         | 412.38         | 381.00         | 591.91         | 652.87          | 846.00         |
| पूंजी उपस्कार<br>और सुविधाएं      | 414.00         | 400.00         | 264.00         | 425.00         | 374.50         | 266.00         | 484.06         | 460.00         | 383.00         | 538.50         | 774.96         | 806.00         | 619.67         | 526.00          | 620.00         |
| विदेशी<br>परियोजनाएं              | 430.97         | 277.07         | 89.00          | 251.61         | 311.08         | 154.00         | 144.46         | 108.50         | 15.00          | 588.57         | 499.66         | 136.00         | 291.82         | 192.90          | 196.00         |
| संयुक्त<br>उद्यम/इक्विटी<br>निवेश | 0.00           | 0.00           | 8.00           | 2030.00        | 2288.58        | 119.00         | 665.68         | 287.29         | 153.00         | 10.00          | 48.17          | 353.00         | 496.02         | 7937.31         | 6738.00        |
| <b>कुल</b>                        | <b>2276.30</b> | <b>2375.34</b> | <b>1557.00</b> | <b>4464.98</b> | <b>4212.99</b> | <b>1743.00</b> | <b>3180.33</b> | <b>2262.68</b> | <b>2050.00</b> | <b>3378.29</b> | <b>3069.52</b> | <b>2890.00</b> | <b>3580.98</b> | <b>10438.93</b> | <b>9351.00</b> |

**अनुबन्ध – II**

**(पैरा 4.2.1)**

**इन हाऊस सर्वेक्षण कार्य करने के लिए ओआईएल द्वारा समयबद्ध अधिग्रहण, प्रसंस्करण एव व्याख्या**

| क्र.सं. | ब्लॉक का नाम                 | भूभौतिकी विभाग               |            |     |  |   |                          |     | भूभौतिकी और भूवैज्ञानिक रिजर्वार विभाग के समयान्तर | भूवैज्ञानिक और रिजर्वार विभाग  |   |                 | नवम्बर 2014 तक एपीआर के लिए लिये गये कुल दिन |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------|-----|--|---|--------------------------|-----|--|--|---|-----------------|--|
|         |                              | अधिग्रहण के लिए लिया गया समय |            |     | प्राप्ति और अधिग्रहण के बीच समय अंतराल | प्रक्रिया में लिया गया समय  |                          |     |  | व्याख्या हेतु लिया गया समय   |   |                 |  |
|         |                              | से                           | तक         | दिन |  | से  | तक                       | दिन |  | से   | तक  | कुल (दिनों में) |  |
| 1       | राजगढ़ प्रोदेशिक लाईन (2 डी) | 01/04/2009                   | 30/05/2009 | 60  |  | प्रक्रिया धीन   |                          |     |  | डाटा प्रोसेसिंग प्रक्रिया धीन है।                                    |   |                 | 2069   |
| 2       | देहाल-मकूम (2 डी -3 सी))     | 21/11/2009                   | 03/02/2010 | 76  | -                                      | प्रसंस्करण और विवरण आईओएन-जीएक्सटी (जनवरी, 2013) द्वारा पूरा किया गया था। |                          |     | 939  | 01.09.2012   | 31.01.2013  | 153             | 1168   |
| 3       | जगून-डिगबोई (2 डी)           | 17/12/2009                   | 10/06/2010 | 176 | 105<br>90                              | 08/04/2011<br>10/09/2010  | 19/05/2011<br>23/12/2010 | 147 |  | एनईएफ परियोजना के क्षेत्राधिकार के अधीन                              |   |                 | 1804   |
| 4       | डिगबोई-पनगी (2 डी)           | 08/12/2010                   | 16/03/2011 | 99  | 261                                    | 02/12/2011  | 26/04/2011               | 146 |  | डाटा विवरण आरंभ किया जाना है   |   |                 | 1815   |
| 5       | सोनारी (2 डी प्रायोगिक)      | 14/03/2011                   | 28/03/2011 | 15  | -                                      | अप्रैल, 2011 में विश्लेषण पूरा किया गया।                                  |                          |     | 32   | प्राप्त प्रसंस्कृत डाटा केवल डाटा है विवरण हेतु कोई डाटा उपलब्ध नहीं |   |                 | 1309   |
| 6       | सेंटी-जयपुर (2 डी)           | 03/05/2011                   | 20/05/2011 | 237 | -                                      | 01/07/2012  | 31/03/2014               | 639 | -  | -  | डाटा का विवरण किा जाएगा जब अध्ययन क्षेत्र चुना जाएगा। | 1116            |  |
| 7       | सेंटी-जयपुर-नामरूप (2 डी)    | 19/12/2011                   | 27/05/2012 |     | -                                      |   |                          |     | -  |  |   |                 |  |
| 8       | नामरूप-बोरहाट-सेपखटी (2 डी)  | 10/12/2012                   | 10/01/2013 |     | -                                      |   |                          |     | -  |  |   |                 |  |
| 9       | नामरूप-बोरहाट-सेपखटी (2 डी)  | 26/04/2013                   | 21/05/2013 |     | -                                      |   |                          |     | -  |  |   |                 |  |

|    |                                  |            |            |      |     |  |            |               |      |  |            |                   |      |
|----|----------------------------------|------------|------------|------|-----|--|------------|---------------|------|--|------------|-------------------|------|
| 10 | टिओक (2 डी)                      | 26/04/2013 | 17/05/2014 | 387  |     | लाईनों की चार सं. का प्रसंस्करण पूरा किया है शेष लाईनें प्रक्रियाअधीन हैं। |            | प्रक्रिया धीन |      | अभी तक डाटा प्रसंस्करण पूरा नहीं हुआ है। प्रसंस्कृत डाटा को पूरा होने की प्राप्ति के बाद व्याख्या आरंभ की जानी है। |            |                   | 581  |
| 11 | हल्दीबाड़ी-दिखारीपत्थर (3 डी)    | 01/04/2008 | 15/03/2009 | 349  | 25  | 10/04/2009   | 25/03/2010 | 351           |      | 01.02.2007   | 17.08.2007 | 198               | 923  |
| 12 | मोरन (पायलट 2 डी -3 सी)          | 16/03/2009 | 29/03/2009 | 14   | -   | प्रसंस्करण और विवरण आईओएन-जीएक्सटी (जनवरी, 2013) द्वारा पूरा किया गया था।  |            | -             | 1250 | 01.09.2012   | 31.01.2013 | 153               | 1417 |
| 13 | हल्दीबाड़ी-दिखारीपत्थर (3 डी)    | 01/04/2009 | 24/05/2009 | 54   | 0   | 10/04/2009   | 25/03/2010 | 350           | 730  | 01.04.2012   | 30.11.2012 | 244               | 1378 |
| 14 | नमसाई (3 डी)                     | 14/12/2009 | 30/03/2010 | 107  | 464 | 08/07/2011   | 24/11/2011 | 140           |      | एनईएफ परियोजना के क्षेत्राधिकार के अधीन  |            |                   | 1700 |
| 15 | इंहेल (पायलट 3 डी -3 सी)         | 05/03/2010 | 30/05/2010 | 87   |     | प्रसंस्करण और विवरण आईओएन-जीएक्सटी (जनवरी, 2013) द्वारा पूरा किया गया था।  |            |               | 822  | 01.09.2012   | 31.01.2013 | 153               | 1062 |
| 16 | सेंटी-टराजन (3 डी)               | 07/05/2010 | 07/06/2010 | 32   |     | नहरकटिया 3डी ब्लॉक के साथ प्रसंस्कृत अर्थात 28.03.2013 (पूर्णता तिथि)      |            | 1023          | 135  | 10.08.2013   | 26.11.2013 | 109               | 1299 |
| 17 | सोनारी (3 डी)                    | 15/12/2010 | 13/03/2011 | 89   | 229 | 28/10/2011   | 08/03/2012 | 132           | 974  | 07.11.2014   | -          | Study in progress | 1447 |
| 18 | डिरोई-डिपलिंग (3 डी)             | 25/04/2011 | 25/05/2011 | 31   | 310 | 30/03/2012   | 24/05/2012 | 55            | 897  | 07.11.2014   | -          | Study in progress | 1316 |
| 19 | नहारकटिया (3 डी)                 | 26/12/2011 | 27/05/2012 | 154  | 0   | 31/05/2012   | 28/03/2013 | 302           | 135  | 10.08.2013   | 26.11.2013 | 109               | 699  |
| 20 | टिओक (3 डी)                      | 27/12/2012 | 08/04/2013 | 103  | 0   | 01/04/2013   | 31/09/2013 | 183           | 0    | 01.10.2013   | 04.04.2014 | 186               | 472  |
| 21 | साडिया (3 डी)                    | 03/01/2014 | -----      |      |     | प्राप्ति प्रक्रियाधीन है।  |            |               |      | अभी तक डाटा प्रसंस्करण पूरा नहीं हुआ है। प्रसंस्कृत डाटा को पूरा होने की प्राप्ति के बाद व्याख्या आरंभ की जानी है। |            |                   | 330  |
| 22 | सोलागुरी-बोरबन (संविदा 3 डी)     | -----      | 03/04/2009 | .... | -   | प्राप्ति और प्रसंस्करण संविदा 08/04/2010 को पूरी की गई।                    |            | 370           | 1362 | 01.01.2014   | 30.09.2014 | 273               | 2005 |
| 23 | डिगबोई-मार्गेरिटा (संविदा 3 डी)) | 14/12/2009 | -----      | ...  | -   | प्राप्ति और प्रसंस्करण संविदा 11/02/2011 को पूरी की गई।                    |            | 425           | 292  | 01.12.2012   | 28.08.2013 | 271               | 988  |

**अनुबंध – III**

**(पैरा 5.2)**

**अपनी रिगों की खरीद हेतु ठेके**

| क्र. सं. | निविदा/संविदा सं.  | संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष  | लेखापरीक्षा अवलोकन  | ओआईएलज़ प्रतिक्रिया (अप्रैल 2015)  | टिप्पणी, यदि कोई है तो  |
|----------|--|---|---|--|---|
| 1        | एसडीजी9009पी11/07, 7950293 दिनांक 23.02.2007, 7950293 (संधोधन सं. 2 दिनांक 23.08.2007) | <ul style="list-style-type: none"> <li>निविदा में प्रसंस्करण विलम्ब</li> <li>ओआईएल को प्रतियोगात्मक दरों के साथ अतिरिक्त आपूर्ति को सुनिश्चित किये जाने से वंचित करते हुए 2006-07 से 2013-14 की अवधि के दौरान रिगों की खरीद हेतु सभी तीन पीओज़ आपूर्तिकर्ता (अर्थात सीपीटीडीसी) को दिये गये।</li> <li>बीआरसी मानदंड से विचलन</li> </ul> | <p>ड्रिलिंग/वर्कओवर की खरीद में अतिरिक्त विलम्ब के कारण चार्टर्ड किराये के रिग पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ गई। प्रबंधन ने भी खरीद आदेश दिये जाने के बाद रिग की विशिष्टताओं में परिवर्तन नहीं किया जिससे लेखापरीक्षा के अनुसार बोली खरीद में पारदर्शिता की कमी हुई तथा आपूर्तिकर्ता को अवांछित लाभ दिये गये।</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>पहले से ही निविदा को देने के लिए कार्यक्रम की कोई समय-सारणी नहीं थी जिसे अब शामिल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ओआईएल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए निविदा को अंतिम रूप दिये जाने के लिए समय सीमा तैयार नहीं की है।</li> <li>ओआईएल से कोई प्रतिक्रिया नहीं।</li> <li>2008 में एक 750 एचपी रिग की आपूर्ति के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए ओआईएल ने बीआरसी</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ओआईएल ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया।</li> <li>ओआईएल से कोई प्रतिक्रिया नहीं।</li> <li>ओआईएल का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। अन्य बोलीदाताओं को समान अक्सर प्रदान नहीं किये गये। यह भी सीवीसी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। (जुलाई 2007)।</li> </ul> |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>मानदंड को न मानते हुए रिग की बनावट/विशिष्टता में संशोधन किया। ओआईएल की टिप्पणी है कि बीआरसी के साथ कोई समझौता न करते हुए तकनीकी विशिष्टताओं में कुछ सीमा तक सुधार किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• निवृत्त रिगों की प्रतिस्थापना के लिए रिगों की खरीद की गई। यद्यपि, दोनों घरेलू और किराये की रिगों के परिनियोजन को ड्रिलिंग निष्पादन को संतुलित करने के लिए इष्टतम किया गया।</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|---|--|



## अनुबंध – IV

## (पैरा 5.2)

## चार्टर्ड भाड़े के लिए संविदा

| क्र. सं. | निविदा/संविदा संख्या   | संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष   | लेखापरीक्षा आपत्तियाँ  | ओआईएल की प्रतिक्रिया (अप्रैल 2015)  | टिप्पणी, यदि कोई हो  |
|----------|--|--|--|---|--|
| 1        | OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/141/2006,<br>CONT/GL/DRLG/259/10,<br>OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/165/2007,<br>OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/204/2007,<br>CONT/GL/DRLG/307/13,<br>OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/166/2007,<br>OIL/CDG4167/DRLG/12 and<br>CONT/GL/DRLG/288/12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>कोई मानक नहीं निर्धारित किया गया और अनुमत रिग संघटन समय के प्रति संविदा नियमावली में नहीं शामिल किया गया;</li> <li>रिग संघटन हेतु अधिक समय लिया गया।</li> <li>ओआईएल ने चार्टर्ड हायर रिग संविदाओं में अलग-अलग एलडी दर शामिल किया क्योंकि इसने तीन मामलों में 15 प्रतिशत और चार मामलों में 7.5 प्रतिशत लगाया।</li> </ul> | मानक के अभाव में ओआईएल संविदा को अंतिम रूप देने हेतु समय अनुसूची की निगरानी रखने में विफल रही। | <p>संविदा उल्लिखित निर्धारित संघटन अवधि प्रस्तावित रिग के स्थान से संबंधित सभी बोलीदाताओं पर लागू है। हालांकि, बोलीदाता के प्रस्तावित उपलब्ध रिग के स्थान से संबंधित संघटन अवधि निर्धारण की संभावना की भविष्य की संविदाओं में तलाश की जाएगी।</p> <p>ओआईएल ने आगे बताया कि तीन संविदाओं में संविदायें 2009 से पूर्व की गई थी (अर्थात् संविदा नियमावली आने से पूर्व) और बोर्ड के सुझाव पर उच्च दर (7.5 प्रतिशत की बजाए अधिकतम 15 प्रतिशत) को संविदा में शामिल किया गया था। हालांकि चार संविदाओं में चूँकि संविदायें 7.5 प्रतिशत एलडी की अधिकतम सीमा की संविदा नियमावली आने के</p> | लेखापरीक्षा ने चार्टर्ड भाड़े के संबंध में ओआईएल का संविदा प्रबंधन देखा और अपने आप कुछ प्रणालीगत कमियाँ पाई गई। निर्णीत हर्जाने की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 करने के संबंध में ओआईएल का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कटौती निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं है और कंपनी के हित के विपरीत भी है। |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
|   |   |   |  | पश्चात संविदाओं में इसका पालन किया गया।  |  |
| 2 | OIL/CDG4167/DRLG/12 and CONT/GL/DRLG/307/13   | दो प्रतिस्थापन संविदाओं में रिग संघटन हेतु परिहार्य समय अनुमत किया गया।   | रिग संघटन हेतु अधिक समय दिया गया।  | उन्ही दो पार्टियों को दी गई दो प्रतिस्थापन संविदाओं के संबंध में ओआईएल ने बताया कि उद्योग मोबिलाइजेशन समय 180 दिनों से 210 दिनों तक अनुमत किया गया था, ठेकेदार ने पिछले स्थान से रिग खाली होने के 41 दिनों के पश्चात मोबिलाइजेशन पूरा कर लिया था। इसी प्रकार अन्य संविदाओं में वास्तव में लिया गया समय क्रमशः 39 से 63 दिन था। | समान पार्टी को दिए गए दो प्रतिस्थापन संविदा का प्रबंधन का उत्तर स्वतः साक्ष्य है कि संविदाओं में अधिक समय अनुमत किया गया क्योंकि वास्तव में लिया गया समय अनुमत समय से बहुत कम था। अतः पीएससी में निर्धारित समयसीमा के भीतर अंवेशण गतिविधियों को समय पर पूरा करने हेतु अनावश्यक मोबिलाइजेशन समय अनुमति से बचने के लिए अनुसूची संघटन अवधि में कमी की संभावना थी। |
| 3 | OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/141/2006, OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/165/2007, OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/204/2007 and OIL/CCO/DRLG/GLOBAL/166/2007 | ओआईएल मौजूदा संविदा की समाप्ति से पूर्व ड्रिलिंग रिग के चार्टर्ड भाड़े हेतु प्रतिस्थापन संविदा को अंतिम रूप देने में विफल रही जिसके परिणाम-स्वरूप ओआईएल ने संविदा अवधि को दो वर्ष बढ़ा दिया जबकि संविदा के संबंधित खण्ड में केवल एक वर्ष का विस्तार अनुमत था। | चूँकि रिग्स ओआईएल के प्रचालन क्षेत्र के बहुत नजदीक कार्य कर रहे थे और प्रतिस्थापन संविदा के रूप में उसी पार्टी को संविदा दी गई थी इसलिए मोबिलाइजेशन हेतु | आपत्ति स्वीकार कर ली गई।   |  |

2015 की प्रतिवेदन संख्या 42

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
|   |  |  | अनुमत समय को रोका जा सकता था।  |  |   |
| 4 | CONT/GL/DRLG/259/10,<br>OIL/CDG4167/D<br>RLG/12 and<br>CONT/GL/DRLG/288/12       | ओआईएल ने चार्टर्ड भाड़े पर लेने हेतु रिग संविदा के प्रतिस्थापन को अंतिम रूप देने हेतु क्रय माँग जारी होने की तिथि से एलएओ जारी करने में अधिक समय (दो वर्षों से अधिक) लिया। | ओआईएल ने संविदात्मक शर्तों और निर्बंधनों के प्रावधानों के विपरीत पिछले संविदाओं में अनावश्यक विस्तार दिया। | एलएओ जारी होने के पश्चात् पार्टी विस्तार पर विस्तार माँग रही थी। | ओआईएल का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति से संबंधित नहीं है। |
| 5 | OIL/CCO/DRLG/<br>GLOBAL/<br>204/2008   | रिग उपयोग के अवसर की हानि जो निर्णय न लेने के कारण 130 दिनों तक बेकार पड़ा रहा।  | रिग्स का निष्क्रिय पड़े रहना   | कोई प्रतिक्रिया नहीं   |   |
| 6 | OIL/CCO/DRLG/<br>GLOBAL/166/20<br>07 and<br>OIL/CCO/DRLG/<br>GLOBAL/165/20<br>07 | संविदा के नवीनीकरण में देरी के कारण ओआईएल को कुल 113 दिनों की हानि हुई जिसके परिणामस्वरूप 24 से 61 दिनों तक रिग निष्क्रिय पड़े रहे।  | संविदा के नवीनीकरण में देरी  | मान ली गई  |   |
| 7 | OIL/CCO/DRLG/<br>GLOBAL/<br>204/2008   | स्थान आदि में परिवर्तन में ओआईएल द्वारा देरी आदि कारण रिग के मोबिलाइजेशन में 43 दिनों की देरी के लिए ठेकेदार से पूर्व में वसूली गए ₹ 2.62 करोड़ का प्रतिदाय करना पड़ा।     | स्थान उपलब्ध कराने में देरी  | मान ली गई  |   |

|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| 8 | OIL/CCO/DRLG/<br>GLOBAL/166/20<br>07 and<br>OIL/CCO/DRLG/<br>GLOBAL/141/20<br>06 | चूँकि दो संविदाओं में ओआईएल केवल 210 दिनों तक एलडी वसूल कर सकी जहां देरी 309 से 368 दिनों के बीच थी, इसलिए ओआईएल के हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकी।  | संविदा में त्रुटिपूर्ण खण्ड   | मान ली गई   |   |
| 9 | OIL/CCO/DR<br>LG/GLOBAL/<br>141/2006 and<br>OIL/CCO/DR<br>LG/GLOBAL/<br>144/2006 | <ul style="list-style-type: none"> <li>जेबी एनर्जी प्राइवेट लिमि. को दिए गए एक 1400 एचपी (न्यूनतम) के किराए पर लेने हेतु ठेकेदार द्वारा पहले वाली बनावट में परिवर्तन कर दिया गया;</li> <li>शिव-वाणी ऑयल एण्ड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लि. को दिए गए वर्कओवर दो रिग को भाड़े पर लेने हेतु एक रिग की विशेषता में 600 एचपी से बदलकर 750 एचपी तथा मॉडल संख्या बदलने की अनुमति दी गई थी।</li> </ul> | ओआईएल ने संविदा निर्धारण के पश्चात ठेकेदार रिग की विशेषताओं में परिवर्तन करने की अनुमति दी। | रिग मॉडल/विशेषता में परिवर्तन स्वीकार करने का निर्णय ओआईएल द्वारा लिया गया था क्योंकि यह तकनीकी रूप से स्वीकार्य था। इसके अलावा, एक मामले में ड्रिलिंग कार्यक्रम में वृद्धि को पूरा करने हेतु रिग की तत्कालिकता के कारण रिग आपूर्तिकर्ता बदल दिया गया था और दूसरे मामले में प्रचालन कारणों से रिग मॉडल को अधिक क्षमता में बदल दिया गया। | ओआईएल का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह निविदाकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सीवीसी के दिशानिर्देशों के विरुद्ध है। |

|    |   |   |  |   |   |
|----|---|---|--|---|---|
| 10 | OIL/CCO/DRLG/<br>GLOBAL/166/20<br>07      | ओआईएल ने मै. शिव वानी तेल तथा गैस एक्प्लोरेशन सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली को उस पिछली ठेके दर पर देयो का भुगतान किया जो नई ठेका दर से अधिक था, हालांकि ठेकेदार सहमत हो गया तथा मौजूदा ठेका दरों में से कम दरों को स्वीकृत करने की पुष्टि की (जनवरी 2012)।   | ठेकागत शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 5.18 करोड़ का अधिक भुगतान करना पड़ा। | स्वीकृत हुआ तथा वसूली कार्रवाई प्रारम्भ की गई ।   |   |
| 11 | OIL/CDG2531/D<br>RLG/12 and<br>CDG9056P13 | ओआईएल ने सितम्बर 2013 में एक 1400 एचपी ड्रिलिंग रिंग को किराए पर लेने के लिए मूल्य बोली खोली। ओआईएल ने अन्य ठेके में बोलीदाता के कार्य न करने के कारण एल1 बोलीदाता (पीएलयू) को एलओए जारी किए बिना मूल्य बोली खोलने से एक वर्ष बीत जाने के पश्चात संविदा को रद्द करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2014)। निर्णय लेने (संविदा को रद्द करने का ) में एक वर्ष के विलम्ब के कारण ओआईएल रिगों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। | निर्णय लेने में विलम्ब   | चूककर्ता पार्टी जो पिछले ठेके के प्रति रिग तैयार नहीं कर सकी, के साथ उसी सर्विस के लिए अन्य ठेका करना ओआईएल को उसी स्थिति में पहुंचा देगा। तदनुसार, द्वितीय संविदा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। | तथ्य यह है कि ओआईएल ने कीमती समय बर्बाद किया तथा दण्ड देने में असक्षम रहा क्योंकि एलओए जारी नहीं किया गया था। |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | ओआईएल ने एलओए जारी न करने के कारण रिंग तैयार न करने के लिए ठेकेदार पर दण्ड संबंधी उपबंध लागू करने का अवसर भी गवां दिया। |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

**अनुबंध – V**

**(पैरा 6.1.2)**

**2009-10 से 2013-14 तक नामांकित क्षेत्र के तहत पीईएल ब्लॉको का परित्याग**

| क्रम सं. | पीईएल का नाम                         | मूल मंजूरी की तिथि | मूल क्षेत्र (वर्ग किमी)  | परित्यक्त/एमएल में रूपान्तरित क्षेत्र (वर्ग किमी.) | क्षेत्र परित्याग/ एमएल में रूपान्तरण की तिथि | परित्याग करने तक किया गया कार्य | वर्तमान स्थिति   | किया गया खर्च (₹ करोड़ में) |       |
|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|-------|
| 1.       | मार्घरिटा                            | 10.11.1987         | 750                      | जेवी में स्थानांतरित                               | 382  | 1993-94                         | जगुन-1 तथा टोकलॉग-1 कुओं को वर्ष 1998 में ड्रिल एवं पूर्ण किया गया | परित्यक्त                   | 14.46 |
|          |                                      |                    |                          | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र       | 92   | 01.04.02                        |  |                             |       |
|          |                                      |                    |                          | विस्तार के दौरान परित्यक्त क्षेत्र                 | 92   | 01.04.06                        |  |                             |       |
|          |                                      |                    |                          | <b>अंतिम परित्यक्तता</b>                           | 184  | 31.03.09                        |  |                             |       |
| 2.       | दमदम एक्स.<br>(एनएफ-एफ), ब्लॉक बी+सी | 01.08.1985         | 395                      | एमएल में रूपान्तरित क्षेत्र                        | 218  | 2001-02                         | उमतरा-1 कुएं को 2009 में ड्रिल तथा पूरा किया गया                   | परित्यक्त                   | 36.57 |
|          |                                      |                    |                          | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र       | 44   | 01.08.03                        |  |                             |       |
|          |                                      |                    |                          | सपकैट एमएल में रूपान्तरित क्षेत्र                  | 105  | 2010-11                         |  |                             |       |
|          |                                      |                    |                          | <b>अंतिम परित्यक्तता</b>                           | 28   | 31.07.2009                      |  |                             |       |
| 3.       | दमदम एक्स.<br>(एफ), ब्लॉक सी         | 10.11.1987         | 38                       | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र       | 9.5  | नवम्बर 1987                     | उत्तरी दौर्मरा -1 को 2009 में ड्रिल किया गया                       | परित्यक्त                   |       |
|          |                                      |                    |                          |  |  | 01.04.02                        |  |                             |       |
|          |                                      |                    |                          | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र     | 9.5  | 01.04.06                        |  |                             |       |
|          |                                      |                    | <b>अंतिम परित्यक्तता</b> | 19   | 05.11.2010                                   |                                 |  |                             |       |
| 4.       | दीरक                                 | 18.11.1995         | 170                      | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र       | 42.5   | 18.11.01                        | फिलोबरी-1 कुएं को 2011 में ड्रिल तथा पूर्ण किया गया                | परित्यक्त                   | 27.97 |

|    |                       |            |  |  |               |            |   |           |        |
|----|-----------------------|------------|--|--|---------------|------------|---|-----------|--------|
|    |                       |            |  | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 42.5          | 18.11.05   |   |           |        |
|    |                       |            |  | <b>अंतिम परित्यक्तता</b>                       | 85            | 05.04.2011 |   |           |        |
| 5. | मुर्कोन्गस्लेक (एनएफ) | 25.12.1986 | 1307   | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र   | 327           | 01.04.02   | मुर्कोगस्लेक-1 कुएं को 2012 में ड्रिल तथा पूर्ण किया गया  | परित्यक्त | 16.29  |
|    |                       |            | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 327  | 01.04.06      |            |   |           |        |
|    |                       |            | तृतीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र   | 204  | 01.04.07      |            |   |           |        |
|    |                       |            | <b>अंतिम परित्यक्तता</b>                       | 449  | 05.04.2012    |            |   |           |        |
| 6. | मुर्कोन्गस्लेक (एफ)   | 15.11.1987 | 191  | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र   | 48            | 01.04.02   | मुर्कोगस्लेक-2 कुएं को 2013 में ड्रिल तथा पूर्ण किया गया  | परित्यक्त | 112.16 |
|    |                       |            | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 48   | 01.04.06      |            |   |           |        |
|    |                       |            | <b>अंतिम परित्यक्तता</b>                       | 95   | 17.07.2013    |            |   |           |        |
| 7. | बोरहट                 | 01.04.1988 | 222  | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र   | 55.5          | 01.04.02   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• कुएं बलीमारा-2 को 2012 में पूरा किया गया एवं कुएं बारुआनगर-3 को 2013 में पूरा किया गया।</li> <li>• 81 वर्ग किमी क्षेत्र को पीएमएल में रूपान्तरित किया गया ।</li> </ul> | परित्यक्त | 86.62  |
|    |                       |            | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र | 55.5   | 01.04.09      |            |   |           |        |
|    |                       |            | एमएल में रूपान्तरित क्षेत्र                    | 81   | 13.08.2013    |            |   |           |        |
|    |                       |            | <b>अंतिम परित्यक्तता</b>                       | 30   | 14.08.2013    |            |   |           |        |
| 8. | दीबरूगढ़              | नव. 1987   | 1230   | एमएल में रूपान्तरण                             | 186           | 21.01.1998 | परित्यक्त क्षेत्र के भाग को एक समेकित अध्ययन के भाग के रूप में वर्णित किया गया।   |           | 163.87 |
|    |                       |            | चाबुआ एमएल में रूपान्तरण                       | 189  | 12.06.2002    |            |   |           |        |
|    |                       |            | पहली परित्यक्तता                               | 214  | 2002-03       |            |   |           |        |
|    |                       |            | दूसरी परित्यक्तता                              | 214  | 2005-06       |            |   |           |        |
|    |                       |            | विस्तार  | 427  | 14.02.2015 तक |            |   |           |        |



2015 की प्रतिवेदन संख्या 42

|     |  |            |      |   |      |               |   |  |                               |
|-----|--|------------|------|---|------|---------------|---|--|-------------------------------|
| 9.  | टीनसुकिया                                      | 15.11.1987 | 1665 | तीनसुकिया एमएल में रूपान्तरण                    | 250  | 07.12.2001    | परित्यक्त क्षेत्र के भाग को निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ पुनः वर्णित किया गया।  | विस्तार लागू                                       | 136.49                        |
|     |  |            |      | पहली परित्यक्तता                                | 257  | 2002-03       |   |  |                               |
|     |  |            |      | बाघजन एमएल में रूपान्तरण                        | 75   | 14.05.2003    |   |  |                               |
|     |  |            |      | तीनसुकिया एक्स. पीएमएल में रूपान्तरण            | 185  | 17.05.2003    |   |  |                               |
|     |  |            |      | मेचाकी एमएल में रूपान्तरण                       | 195  | 19.05.2003    |   |  |                               |
|     |  |            |      | दूसरी परित्यक्त                                 | 223  | 2005-06       |   |  |                               |
|     |  |            |      | मेचाकी एक्स. एमएल में रूपान्तरण                 | 9    | 06.07.2013    |   |  |                               |
|     |  |            |      | विस्तारण  | 471  | 01.12.2014 तक |   |  |                               |
| 10. | जयरामपुर पीईएल                                 | 28.10.1987 | 170  | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र    | 146  | जुलाई, 1999.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2डी भूकम्पीय डाटा के 9 जीएलकेएम का अधिग्रहण</li> <li>• एक (1) कुएं को ड्रिल किया गया</li> </ul>  | छोड़ दिया  | 4.40                          |
|     |  |            |      | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र  | 6    | 01.04.2002    |   |  |                               |
| 11. | जयरामपुर एक्स पीईएल                            | 01.05.1990 | 185  | प्रथम पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र    | 154  | जुलाई, 1999.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 03.03.2019 तक मान्य ब्लॉक</li> <li>• 2डी भूकम्पीय डाटा के 75 जीएलकेएम का एपीआई</li> <li>• एक अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग स्थान (स्थान जेआरबी) रिलीज किया गया</li> </ul>  | जेआरबी स्थान को ड्रिल करने के लिए कार्रवाई की गई   | जयरामपुर पीईएल के साथ मिल गया |
|     |  |            |      | द्वितीय पुनः मंजूरी के दौरान परित्यक्त क्षेत्र  | 7.75 | 01.04.2002    |   |  |                               |
| 12. | नामचिक पीईएल (खरसंग-शोनकिंग एवं आसन्न क्षेत्र) | 30.04.1999 | 260  | पहले पुनः अनुदान के दौरान क्षेत्र छोड़ दिया गया | 65   | 13.03.2002    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्लॉक 24.09.2020 तक वैध</li> <li>• 69 जीएलकेएम 2 डी डाटा का अधिग्रहण। 2003-07 के दौरान 2 डी भूकम्पीय डाटा का 30 जीएलकेएम का पीआई</li> <li>• 170 जीएलकेएम के अधिग्रहण और प्रसंस्करण का 2डी भूकम्पीय डाटा। व्याख्या प्रगती पर है।</li> </ul> | ड्रिल लोक एनसीके -1 के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई | 24.33                         |

|     |               |            |        |   |        |                            |  |  |       |
|-----|---------------|------------|--------|---|--------|----------------------------|--|--|-------|
| 13. | नामसई पीईएल   | 25.11.1992 | 494    | पहले पुनः अनुदान के दौरान क्षेत्र छोड़ दिया गया   | 124    | 17.08.2004                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2डी भूकम्पीय डाटा का 354 जीएलकेएम का एपीआई।</li> <li>• कुमचाई, खेरेम एवं नामसई क्षेत्र को कवर करने वाला 3 डी भूकम्पीय डाटा का 210 वर्ग मी. का एपीआई</li> <li>• एक (1) अन्वेषणात्मक कुँआ ड्रिल किया गया (एलओसी एनएसए)</li> </ul> | अभ्यर्पित  | 43.82 |
| 14. | दयोमाली पीईएल | 18.02.1999 | 365.16 | (i) जेवीसी ब्लॉक (एएपी-ओएन-90/1)  | 213.83 | 24.05.2005                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• भूवैज्ञानिक मैपिंग</li> <li>• 2डी भूकम्पीय डाटा का 70 जीएलकेएम का एपीआई।</li> <li>• एक (1) अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग स्थान छोड़ना</li> <li>• 96 नमूनों को भूरसायन विश्लेषण</li> </ul>   | 5 वें और 6 वें वर्ष के विस्तारण के साथ साथ सांविधिक विलम्ब के अन्तर्गत 211 दिनों का विस्तारण मांगा गया | 5.20  |
|     |               |            |        | (ii) दिओमाली - पीईएल  | 151.33 |                            |  |  |       |
|     |               |            |        | 151.33 वर्ग कि. मी. का 25% क्षेत्र छोड़ दिया गया  | 37.83  |                            |  |  |       |
| 15. | सादिया        | 18.11.1995 | 1130   | पहले चार वर्षों का पुनः अनुदान (18.11.01): 282.5 वर्ग कि.मी. एक वर्ष का विस्तारण (18.11.05)<br>अन्ततः छोड़ दिया गया | 282.5  | 17.11.2006<br><br>31.03.09 | (i) 2डी भूकम्पीय एपीआई<br>(ii) ग्राउंड जीएम एवं एमटी सर्वेक्षण   | छोड़ दिया गया  | शून्य |
| 16. | लखीमपुर       | 20.12.1995 | 4200   | पहले चार वर्ष पुनः अनुदान (20.12.01): 1050 वर्ग कि.मी. एक वर्ष विस्तारण (19.12.05)<br>अन्ततः छोड़ दिया गया          | 1050   | 19.12.2006<br><br>31.03.09 | (i) चार कुएं ड्रिल किए गए। कोई वाणिज्यिक खोज नहीं पाई गई।<br>(ii) 2D भूकम्पीय एपीआई  | छोड़ दिया गया  | शून्य |

अनुबंध - VI

(पैरा 6.2.1)

एनईएलपी व्यवस्था के अन्तर्गत ओआईएल का निष्पादन

| एनईएलपी<br>राउंड | प्रस्तावित<br>ब्लाक | प्रस्तुत बोली |              |         |      | दिया गया ब्लॉक |           |         |      | छोड़ दिया | परिचालन |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|---------|------|----------------|-----------|---------|------|-----------|---------|
|                  |                     | गहरा पानी     | उथला<br>पानी | भूमि पर | जोड़ | गहरा पानी      | उथला पानी | भूमि पर | जोड़ |           |         |
| (1)              | (2)                 | (3)           | (4)          | (5)     | (6)  | (7)            | (8)       | (9)     | (10) | (11)      | (12)    |
| I                | 48                  | 1             | 1            | 0       | 2    | 1              | 1         | 0       | 2    | 2         | 0       |
| II               | 25                  | 2             | 0            | 2       | 4    | 2              | 0         | 2       | 4    | 3         | 1       |
| III              | 27                  | 1             | 0            | 2       | 3    | 1              | 0         | 2       | 3    | 2         | 1       |
| IV               | 24                  | 2             | 0            | 4       | 6    | 2              | 0         | 3       | 5    | 3         | 2       |
| V                | 20                  | 1             | 1            | 5       | 7    | 0              | 0         | 1       | 1    | 1         | 0       |
| VI               | 55                  | 2             | 0            | 6       | 8    | 2              | 0         | 6       | 8    | 2         | 6       |
| VII              | 57                  | 1             | 0            | 5       | 6    | 1              | 0         | 3       | 4    | 0         | 4       |
| VIII             | 70                  | 5             | 4            | 5       | 14   | 5              | 2         | 2       | 9    | 0         | 9       |
| IX               | 34                  | 6             | 5            | 6       | 17   | 0              | 2         | 2       | 4    | 0         | 4       |
| कुल              | 360                 | 21            | 11           | 35      | 67   | 14             | 5         | 21      | 40   | 13        | 27      |

अनुबंध – VII(पैरा 6.2.3)

## एनईएलपी ब्लॉक में निर्णित हर्जानों के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

| क्रम सं. | ब्लॉक का नाम        | विस्तारण अवधि  | छोड़ने की अवधि | निर्णित हर्जाना (₹ करोड़ में) | लेखापरीक्षा टिप्पणी  |
|----------|---------------------|--|----------------|-------------------------------|--|
| 1        | एमएन-ओएनएन -2000/1  | 24.04.2005 से 23.10.2005<br>(चरण- I)<br>24.04.07 से 23.10.08<br>(चरण – II)     | 06.01.2009     | 6.15                          | कार्य कार्यक्रम के अनुसार मौजूदा 2 डी डाटा का अनुमोदन, भूकम्पीय डाटा के 500 जीएलके का पुनः प्रसंस्करण और 200 जीएलके का एपीआई तथा पूर्वानुमान सृजन, प्रौद्योगिकी- आर्थिक विश्लेषण और चरण- II का निर्णय जुलाई 2004 तक पूरा करना था, तथापि, प्रतिबद्ध एमडब्ल्यूपी की पूर्णता में विलंब के कारण प्रचालक को चरण - II प्रारंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ा जबकि फगरू राबर्टसन की व्याख्या रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक की सभी तीनों संभावनाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी।<br>तथापि, ओआईएल ने अपनी अन्वेषण अवधि में दो प्रतिबद्ध कुओं को ड्रिल नहीं किया और एलडी का भुगतान कर विस्तारण का लाभ लिया। तत्पश्चात ब्लॉक जनवरी 2009 में छोड़ दिया गया था। |
| 2        | आरजे-ओएनएन - 2000/1 | 18.01.2005 से<br>17.07.2005 (चरण – I)<br>18.07. 2007 से 21.11. 2007 (चरण – II) | 09.02.2010     | --                            | विवरण पैरा सं. 6.2.3.1 (ii) में है।  |
| 3        | आरजे-ओएनएन- 2001/1  | 23.07.2006 से<br>22.07.2007 (चरण – I)  | 10.10.2009     | 2.32                          | एपीआई जनवरी 2005 में पूर्ण हो गई थी और 22/23-12-2005 को आयोजित ओसी बैठक में दो स्थानों अर्थात् स्थान   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>बी (सेखरा) एवं स्थान सी (लुंखा) को एक वर्ष के विलम्ब के बाद जारी किया गया था। इसके अलावा, रिग दिवस दर के अन्तिम रूप में विलम्ब के कारण स्थान बी (सेखरा) में कुआं 31.5.2006 को पांच महीन से अधिक के विलम्ब के बाद ड्रिल किया गया था। इसी प्रकार, तीसरे स्थान को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण स्थान सी (लुंका) में कुआं 10-01-2007 को ड्रिल किया गया था, जो 2 डी तथा 3 डी एपीआई की पूर्णता से दो वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद तथा ओसी द्वारा ड्रिलिंग हेतु स्थान की विमुक्ति से 12 महीने से अधिक विलम्ब से था। अतः, ओसी द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब तथा रिग दिन दरों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब एवं तीसरे स्थान को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण, प्रंचालक को एलडी के परिणामी भुगतान सहित विस्तारण प्राप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा।</p> <p>यद्यपि ओआईएल चरण-1। (एक अन्वेषण कुँए के साथ 100 वर्ग कि. मी. का 3 डी एपीआई) में एमडब्ल्यूपी से अवगत था, फिर भी 3 डी एपीआई के लिए संविदा को निर्धारित समय में अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका तथा इसके परिणामस्वरूप चरण-1। अवधि में वचनबद्ध एमडब्ल्यूपी को पूरा करने के लिए 1.69/- करोड़ की राशि के अस्थाई एलडी के परिणामी भुगतान के साथ दो विस्तारण लेने पड़े थे जिनसे बचा जा सकता था यदि 3 डी एपीआई के लिए संविदा को समय पर अन्तिम रूप दिया गया होता।</p> <p>ओआईएल ने अनुचित योजना, समन्वय की कमी, रिग दिवस दर को</p> |
|--|--|--|--|--|

|   |                     |                                       |            |      |   |
|---|---------------------|---------------------------------------|------------|------|---|
|   |                     |                                       |            |      | अन्तिम रूप देने में विलम्ब तथा ड्रिलिंग स्थानों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण स्वयं द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप एलडी का भुगतान करना पड़ा।   |
| 4 | आरजे-ओएनएन - 2002/1 | 23.06.2009 से<br>21.12.2009 चरण - II) | 28.12.2009 | 5.12 | <p>चरण-I में, 2डी डाटा के 1200 जीएलकेएम की व्याख्या आन्तरिक रूप से करने का निर्णय किया गया था तथा तदनुसार अक्टूबर 2005 के दौरान डाटा नई दिल्ली में वर्कस्टेशन में लोड किया गया था। यह दर्शाया जाना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि भूविज्ञान विभाग ने अप्रैल 2005 में ही सूचित किया था कि कई परियोजनाएं महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की थीं जो व्याख्या कार्य के अनुसार लम्बित थीं तथा ब्लॉक आरजेओएनएन - 2002/1 के डाटा की व्याख्या करना संभव नहीं होगा तथापि डाटा वर्कस्टेशन में लोड किया गया था। व्याख्या कार्य हेतु संविदा को अन्तिम रूप देने में इस प्रक्रिया में 16 महीने (सितम्बर 2005 से जनवरी 2007) की मूल्यवान अवधि बीत गयी थी। अतः समन्वय की कमी के कारण डाटा की व्याख्या के लिए संघ को 16 महीने का यथेष्ट विलम्ब वहन करना पड़ा था।</p> <p>2 डी भुकम्पीय डाटा की व्याख्या में विलम्ब के परिणामस्वरूप, चरण - I में वचनबद्ध एमडब्ल्यूपी पूरा नहीं हुआ था तथा चरण-II अवधि को 6 माह कम करने की प्रक्रिया में चरण-I अवधि को 6 माह तक बढ़ाना पड़ा था। चरण-II में कार्य का कार्यक्षेत्र भी बढ़ गया था चूंकि ओसी ने पीएससी में वचनबद्ध एमडब्ल्यूपी के अतिरिक्त लीड - I के</p> |

|   |                        |                                       |              |       |  |
|---|------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|--|
|   |                        |                                       |              |       | पूर्व तथा राजसर लोड-1 में 3.0 X 3.0 कि.मी. ग्रिड में 2 डी भूकम्पीय डाटा के 600 एलकेएम का एपी वचनबद्ध किया था। इसके अतिरिक्त, चरण - II (विस्तारित अवधि सहित) की समस्त अवधि (2 वर्ष) 2 डी ए + पी निविदा अन्तिम रूप देने में बीत गई थी अपर्याप्त योजना को दर्शाता है।   |
| 5 | एए-ओएनएन-<br>2003/3    | 30.11.2009 से<br>29.05.2010 (चरण - I) | 29.05.2010   | 19.79 | ब्यौरे पैरा 4.3. (ii) में  |
| 6 | आरजे-ओएनएन -<br>2004/3 | --                                    | 20.01.2012   | 22.93 | चूँकि पहले अन्वेषण चरण के दौरान आठ कुँओं की ड्रिलिंग की एमडब्ल्यूपी आवश्यकता के प्रति, जेओए के लिए पार्टियों ने केवल दो अन्वेषण कुँओं अर्थात् राचन - 1 एवं मदासर - 1 की ड्रिलिंग की थी। यह देखा गया था कि मै. जीजीआर ने अपनी समता में संघ हेतू तकनीकी सहायक एवं भगीदार के रूप में परियोजना की परिचालनात्मक ददाता में सुधार पर बार बार दिया था तथा ब्लॉक में परियोजना कार्य की धीमी प्रगति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी जिसके परिणामस्वरूप एमडब्ल्यूपी वचनबद्ध पूरी न करने के लिए एलडी का अनावश्यक भुगतान हुआ। |
| 7 | एए-ओएनएन -<br>2004/1   | 28.06.11 to 27.12.2011<br>(चरण - I)   | 27.12.2011   | 12.32 | ब्यौरे पैरा सं. 6.2.3.1 (i) में  |
|   | <b>कुल</b>             |                                       | <b>68.63</b> |       |  |

**अनुबंध – VIII****(पैरा 7.1.1)****2013-14 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिये वस्तुपरक निष्पादन**

| वस्तुपरक निष्पादन      |                         | 2009-10 |          |                | 2010-11 |          |                | 2011-12 |          |                | 2012-13 |          |                | 2013-14 |          |                |
|------------------------|-------------------------|---------|----------|----------------|---------|----------|----------------|---------|----------|----------------|---------|----------|----------------|---------|----------|----------------|
|                        |                         | योजना   | वास्तविक | (कमी)/<br>अधिक | योजना   | वास्तविक | (कमी)/<br>अधिक | योजना   | वास्तविक | (कमी)/<br>अधिक | योजना   | वास्तविक | (कमी)/<br>अधिक | योजना   | वास्तविक | (कमी)/<br>अधिक |
| सर्वेक्षण              | 2डी<br>(एलकेएम)         | 1715    | 1307.87  | (407.13)       | 1182    | 1149.45  | (32.55)        | 1316.8  | 1396.91  | 80.11          | 500     | 223.77   | (276.23)       | 490     | 499.24   | 9.24           |
|                        | 3डी<br>(वर्ग<br>कि.मी.) | 1002    | 984.29   | (17.71)        | 661.36  | 618.62   | (42.74)        | 1767    | 1837.69  | 70.69          | 1925    | 1795.22  | (129.78)       | 718     | 928.48   | 210.48         |
| अन्वेषण कुओं की संख्या |                         | 20      | 16       | (4)            | 20      | 13       | (7)            | 24      | 16       | (8)            | 25      | 19       | (6)            | 17      | 9        | (8)            |



## संदर्भ की सूची

1. तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (ओआरडी अधिनियम),
2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियमावली, 2003
4. नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी), 1997
5. 2000 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित हाईड्रोकार्बन विजन 2025
6. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डिपीई) के दिशानिर्देश
7. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आयल इंडिया लिमिटेड के बीच वार्षिक समझौता ज्ञापन।
8. संसद के दोनों सदन की स्थायी समिति की रिपोर्ट।
9. भारत के योजना आयोग की पंच वर्षीय योजना।
10. महानिदेशक हाईड्रोकार्बन (डीजीएच) के प्रशासनिक परिषद की कार्य-सूची और कार्यवृत्त
11. डीजीएच की वार्षिक कार्य रिपोर्ट
12. एमओपीएनजी की वार्षिक रिपोर्ट
13. नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी ब्लॉक) के अंतर्गत उत्पादन साझा ठेका।
14. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश।
15. 2012-13 की ओएनजीसी रिपोर्ट संख्या 11 के हाईड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयास पर निष्पादन लेखापरीक्षा
16. इंटरनेट साइट:
  - (क) [www.dghindia.org](http://www.dghindia.org)
  - (ख) [www.oil-india.com](http://www.oil-india.com)
  - (ग) [www.petroleum.nic.in](http://www.petroleum.nic.in)
  - (घ) [planningcommission.gov.in](http://planningcommission.gov.in)
  - (ङ) [dpe.nic.in](http://dpe.nic.in)

## तकनीकी शब्दों की शब्दावली

| तकनीकी शब्द          | विवरण   |
|----------------------|---|
| मूल्यांकित कुआँ      | एक कुआँ जो कि हाइड्रोकार्बन भंडार के विस्तार और मात्रा और नये तेल या गैस क्षेत्र में उत्पादन दर को सुनिश्चित करने के लिए खोदा जाता है।  |
| बेसिन                | पृथ्वी के तल पर एक गड्ढा जहाँ वर्षों से अवसादी सामग्रियाँ इकट्ठी होती रहती हैं।   |
| तेल के बराबर बैरल    | प्राकृतिक गैस की मात्रा जिसका ताप तत्व तेल के औसत बैरल के रूप में हो। यह गैस का करीब 6000 सीएफ होता है।   |
| ब्लॉक                | तेल और गैस की खोज के लिए निर्धारित वह क्षेत्र जो कि सरकार द्वारा नई अन्वेषण लाईसेंसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत नामांकन (पीईएल) या प्रत्याशित बोलीदाता को प्रदान किया जाता है।  |
| व्यावसायिक खोज       | हाइड्रोकार्बन भंडार की एक खोज जो कि व्यवसायिक लाभ के लिए की जाती है और जिसे पीएससी के प्रावधानों के अनुसार व्यवसायिक खोज घोषित कर दिया जाता है।   |
| व्यवसायिक गति        | कुएं या रिग के तल से ऊपर तक की खुदाई शुरू करने व पूरी करने की गति व्यवसायिक गति कहलाती है।  |
| संघनन                | हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो मुख्य रूप से 5, 6 और 7 कार्बन तत्वों के अणुओं से बना हो। यह सतह स्थिति पर तरल होता है लेकिन उप सतह स्थिति के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित गैस है। संघनन घनत्व में बहुत हल्का होता है और यह पारदर्शी से लेकर पीले रंग का होता है। यह पूर्ण रूप से शुद्ध पेट्रोल से मेल खाता है। |
| कच्चा तेल            | करीब एक हजार विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन अणुओं से बना तरल पदार्थ अणु लंबाई में 5 से 60 कार्बन तत्वों तक होते हैं। कच्चे तेल का रंग काले से हरे से पीले से लेकर पारदर्शी तक होता है।   |
| चक्र गति             | किसी कुएं की खुदाई का पूरा समय जब से एक कुएं की खुदाई आरम्भ की गई और अगले कुएं की खुदाई के आरंभ तक रिग के द्वारा की गई ड्रिल की गति चक्र गति कहलाती है।   |
| गहरे पानी का क्षेत्र | (400) मी. आईसोबॉथ से नीचे की गहराई वाला क्षेत्र।  |
| विकास                | तेल या प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए आवश्यक खोज के बाद ड्रिलिंग और अन्य संबंधित प्रक्रियाएं।  |
| विकसित कुआँ          | एक स्थापित क्षेत्र से तेल या प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खोदा गया कुआँ।   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| खोज             | हाईड्रोकार्बन भंडार की जानकारी जिसके होने का ज्ञान पहले नहीं था जिसे अब सतह पर लाकर परम्परागत पेट्रोलियम उद्योगों की जाँच प्रणालियों के द्वारा आंका जा सकता है।  |
| अन्वेषण         | स्थालाकृतिक सर्वेक्षण, भूगर्भीय भूकंपीय सर्वेक्षण और कुओं की खुदाई के द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करना।   |
| अन्वेषण प्रचालन | पेट्रोलियम की खोज के लिए और मूल्यांकन कार्यक्रम के दौरान संविदा के अनुरूप संविदा क्षेत्र में किए गए प्रचालन जिनमें संरचनात्मक जांच, नमूना ड्रिलिंग, स्ट्रैटिग्राफिक टेस्ट ड्रिलिंग, अन्वेषण कुओं तक मूल्यांकन कुओं की ड्रिलिंग एवं अन्य गतिविधियां जैसे सर्वेक्षण ड्रिल साइट तैयारी तथा आवश्यक रूप से उनसे जुड़े हुए सभी कार्य जो पेट्रोलियम अन्वेषण के संबंध में किए जाते हैं सहित सतही भू विज्ञान से संबंधित एरियल, भू वैज्ञानिक, भू भौतिकीय, भू-रायानिक, जीवाश्मिकीय, विवर्णीकीय, टोपोग्राफिक्स एवं भू-कंपीय सर्वेक्षण, विश्लेषण, अध्ययन तथा उनकी व्याख्या, जांच शामिल हो सकती है परन्तु इन तक सीमित नहीं है। |
| अन्वेषण अवधि    | पीएससी में निर्दिष्ट कोई और सभी समय अवधियां  |
| अन्वेषित कुओं   | एक कुओं जिसकी खुदाई किसी भौगोलिक स्तर पर अब तक न खोजे गये हाईड्रोकार्बन जमाव की भूगर्भीय स्थिति को जानने के लिए की गई (यह चाहे संरचनात्मक, स्तरीय, प्राकृतिक दबाव देने का सहने वाली) जिसकी गहराई या स्तरीकरण की स्तरीय जानकारी कार्य योजना में दी गई।  |
| क्षेत्र         | तेल क्षेत्र या गैस क्षेत्र अथवा दोनों का समिलान जैसा भी मामला है। एनईएलपी ब्लॉक के अंतर्गत यह ठेका क्षेत्र जिसका उत्पादन सांझेदारी ठेकों के प्रावधानों के अनुसार विकास योजना विधिवत स्वीकृत की गई है।  |
| जीएण्डजी        | भू-वैज्ञानिक एवं भू-भौतिकीय  |
| मौजूदा गैस      | रिजर्वार के रोम कूपों में गैस की मात्रा  |
| भू-वैज्ञानिक    | एक वैज्ञानिक जो चट्टानों की पहचान एवं अध्ययन करता है।  |
| भू-विज्ञान      | वह विज्ञान जो चट्टानों में निहित पृथ्वी के इतिहास और इसके जीवन काल के साथ डील करता है।   |
| भूगोल           | भू-विज्ञान के कुछ परिचित भौतिक सिद्धान्तों चुंबकीय आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण खिचाव, ध्वनि तरंग की गति, इलेक्ट्रॉनिक करंट का आचार का उपयोग।   |
| हाइड्रोकार्बन   | कार्बनिक रसायन में, हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें समग्र रूप से हाइड्रोजन और कार्बन शामिल है।   |
| आरंभिक इन-प्लेस | आईआईपी/एच अशोधित तेल, संघनित, प्राकृतिक गैस, तरल प्राकृतिक गैस   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| हाईड्रोकार्बन<br>(आईआईपी/एच)         | और संबंधित अपेक्षित तत्वों का परिणाम होता है जो कि एक समय में एक भंडारण में पाये जा सकते हैं।  |
| संयुक्त उद्यम                        | दो या अधिक भागीदारों में किया गया कारबार या उद्यम पट्टादायी एक सामान्य प्रणाली है। सामान्यतः उद्यम में अधिक हिस्सा रखने वाला भागीदार प्रचालक होगा।   |
| निर्णीत हर्जाना                      | निर्णीत हर्जाना/जुर्माना उपार्जित और उपलब्ध करने के लिए भुगतान में वे सभी खर्चे शामिल होते हैं जैसे कि समय सीमा का बढ़वाना या अन्वेषित अधिकारियों को लेने/बनाए रखने के लिए तय की गई थी या न्यूनतम कार्य योजना का पूरा न कर पाना जो कि हाईड्रोकार्बन को प्राप्त करने/प्राप्त करते रहने से संबंधित अन्वेषित प्रक्रियाओं के असफल होने से अन्वेषण अधिकारों के लेने/बनाये रखने के लिए समय |
| प्रबंधन समिति                        | उत्पादन सांझेदारी ठेके के प्रावधानों के अनुसार स्थापित की गई समिति।  |
| न्यूनतम कार्य कार्यक्रम              | प्रत्येक अन्वेषण दौर के दौरान कार्य योजना पेट्रोलियम कार्य योजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से बनाई जाती है जैसा कि पीएससी में दिया गया हो।  |
| मोनीटाइजेशन                          | हाईड्रोकार्बन खोजों का क्षेत्र/ब्लॉक को वाणिज्यिक अवस्था तक लाने की समाहित प्रक्रिया   |
| प्राकृतिक गैस                        | पेट्रोलियम का गैसीय रूप जिसमें हाईड्रोकार्बन गैसों और भाप का मिश्रण शामिल है जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन पंटेन और हेक्सेन; गैस कुए से उत्पादित गैस है।   |
| नई खोज                               | पीएससी के स्थापित होने की तिथि के बाद की गई खोज।   |
| नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) | अन्वेषण वर्ग के अधिनिर्णयों के लिए सभी पार्टियों को समान रूप से अवसर देने के लिए एनईएलपी को 1997-98 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसको देश में हाईड्रोकार्बन के अन्वेषण के काम में तीव्रता लाने के लिए बनाया गया था जिसके माध्यम से गहरे पानी वाले क्षेत्रों विभिन्न ब्लॉक सहित में प्रतियोगितात्मक बोलियाँ हेतु प्रस्ताव दिए गए।  |
| प्रचालक                              | वह कंपनी जो (क) उत्पादन पट्टा के रखरखाव हेतु उत्तरदायी है और (ख) जो कार्यरत इन्ट्रस्ट एरिया में प्रचालनों की प्रभारी है।   |
| भागीदारी मुनाफा                      | ठेकेदार बनाने वाली प्रस्तावित पार्टी के बारे में पीएससी अधिकारों और प्रावधानों के अन्तर्गत उस पार्टी की प्रतिभागिता की प्रतिशतता दर्शाने वाला अविभाजित हिस्सा।   |
| पेट्रोलियम                           | हिलियम को छोड़कर कच्चे तेल और/या प्राकृतिक गैस की प्राकृतिक अवस्था जो कि पेट्रोल या शैल में पाई जाती है।   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| उत्पादन सहभाजन ठेका   | सरकार और अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय इण्डपी कंपनी के बीच किया गया ठेका। इण्डपी कंपनी अन्वेषण, ड्रिलिंग और उत्पादन की सारी लागत का वहन करती है। इण्डपी कंपनी को उस ऑयल/गैस पर हुए व्यय हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है जिसका उत्पादन किया गया है। प्रतिपूर्ति के बाद ऑयल/गैस प्राप्ति को सहमति सूत्र के अनुसार विभाजित कर लिया जाता है।                  |
| संभावना               | हाइड्रोकार्बन के भंडार के क्षेत्रों की संभावना दर्शाना।   |
| प्रमाणित रिजर्व       | मापे गए वे खनिज संसाधन जिनके विस्तृत तकनीकी और आर्थिक अध्ययन से यह दर्शाया है कि खुदाई निर्धारण तथा विशेष परिस्थितियों में औचित्यपूर्ण हो सकती है।  |
| रिजर्व प्रतिस्थापन दर | किसी कम्पनी की रिजर्व प्रतिस्थापन दर हाइड्रोकार्बन की सह मात्रा होती है जो कि पूरे वर्ष में संग्रहित हाइड्रोकार्बन से उस कम्पनी के द्वारा संग्रहित की गई हाइड्रोकार्बन से विभाजित करने के बाद आती है।   |
| रिजर्व                | गैस और/या ऑयल की संगणित मात्रा जिसकी कुए/कुओं या फील्ड से उत्पादन की संभावना है। प्रमाणित रिजर्वों की गणना उचित सुनिश्चितता के साथ की जाती है। विकसित रिजर्व को मौजूदा कुओं से उत्पादित किया जा सकता है जबकि कम विकसित रिजर्वों को नहीं। अप्रमाणित रिजर्व तकनीकी और आर्थिक कारणों की वजह से उतने सुनिश्चित नहीं है जिसने की प्रमाणित रिजर्व है। |
| जलाशय                 | हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक रूप से होने वाला अलग से संचय   |
| रिग                   | एक उपस्कर जिसका उपयोग कुए के छेद की ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के रिग हैं जैसे कि जैक-अप रिग, फ्लोटर्स, मोड्यूलर रिग आदि। जैक-अप रिगों को आगे केन्टीलीवर प्रकार के जैक-अप रिग, स्लॉट प्रकार के जैक - अप रिग और मैट प्रकार के जैक - अप रिग में वर्गीकृत किया जा सकता है।  |
| रिग दिन               | दिनों की संख्या जिसके लिए रिग एक विशेष अवधि के दौरान परिचालन में उपलब्ध थे।   |
| रिग माह               | दिनों की संख्या जिसके लिए रिग एक विशेष अवधि के दौरान परिचालन में उपलब्ध थे।   |
| तलछटी घाटी            | तलछटी घाटीयाँ भू-पर्पटी गड्डे है जहाँ कार्बनिक पदार्थ एकत्रित होते हैं।   |
| छिछला पानी            | 400 मीटर तक बैथी मेट्री   |
| कार्यस्थल मरम्मत      | सभी गतिविधियों को ठेकेदार पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन के अनुसरण में प्रभावी दिनांक तक अपनी अवस्था में साइट को लौटाने की आवश्यकता है और सरकार द्वारा अनुमोदित होना है या इस संबंध में पेट्रोलियम परिचालनों  |

|              |   |
|--------------|---|
|              | के बंद होने के बाद इसके अभिप्रेत उपयोग के बाद (उचित सीमा तक) सुसंगत साइट को लौटाना, और उसमें जहाँ उचित हो, कुओं या अन्य सुविधाओं का उचित परित्याग, उपकरण ढाँचों और मलबे को हटाना, सुसंगत रूपरेखा एवं जलनिकास की स्थापना, ऊपरी मिट्टी का बदलाव, पुनः वनस्पति प्रवर्धन, ढलान स्थिरीकरण, खुदाई का भराव या परिस्थितियाँ में कोई भी अन्य उचित कार्रवाई शामिल होगी। |
| रोकना/धकेलना | ट्युबलर के क्रास सेशनल क्षेत्र पर कार्यरत कुँ के बोर में दबाव, ड्रिल स्ट्रिंग के भार पर काबू पाने के लिए पर्याप्त दबाव डाल कर किया जा सकता है, ताकि स्ट्रिंग को वापस कुँ में धकेला (स्नबड) जाना चाहिए।  |
| खोदना        | एक कुँ को ड्रिल करने को प्रारंभ करने की प्रक्रिया   |
| अंतिम रिजर्व | एक उत्पादन उपगमन पद्धति का उपयोग सामान्यतः तेल एवं गैस उद्योग में किया जाता है। अनुमानित अंतिम रिजर्व(ई यू आर) तेल या गैस की मात्रा का एक उपगमन है जो कि एक रिजर्व या कुँ से संभाव्य रूप से प्राप्त किया जाता है।   |
| विस्कोसिटी   | विस्कोसिटी प्रवाहको रोकने के लिए तरल का मापक है।  |
| कुओं         | एक बोर होल, पेट्रोलियम परिचालनों के दौरान ड्रिलिंग द्वारा किया जाता है किंतु जिसमें भूकम्प संबंधी शॉट होल को शामिल नहीं किया जाता है।   |
| वेल हेड      | एक वेलहेड एक तेल कुँ का वह भाग है जोकि सतह पर समाप्त होता है, या तो भूमि या अपतल पर और यह वह बिंदु है जहाँ से पेट्रोलियम या गैस हाईड्रोकार्बन निकाले जा सकते हैं।   |
| वर्क ओवर     | पुलरॉइस या एक उत्पादन कर रहे कुँ में से मिट्टी साफ करना जैसे कार्य एक सेवा कम्पनी से कराना (वर्क ओवर) । एक उत्पादन रिग या तो एक वर्क ओवर रिग या एक छोटी सेवा अथवा पुलिंग इकाई का उपयोग किया जाता है।  |
| 3डी भूकम्प   | एक पेट्रोलियम अन्वेषण प्रक्रिया वह है जो कि तीन आयामों में भूकम्प संबंधी परावर्तक दिखाती है। सामान्यतः इसे एक कम्प्यूटर मॉनीटर पर दिखाया जाता है। रिकॉर्ड को घुमाया और विभिन्न चरणों पर स्लाइसिस (समय अथवा क्षेतिज स्लाइस) लिए जा सकते हैं।   |
| 4सी          | 4 घटक, बोर होल या समुद्रीय भूकम्पीय आंकड़े तीन लंबकोणतः अभिमुख जीओ-फोन्स और एक हाइड्रो फोन का उपयोग करते हुए प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं जिसमें सागरीय तल संवेदक (बिन्दु व्यवस्था और तारें) एक प्रणाली प्रदान करता है जो कि सागर तल या बोर-होल की दीवारों से  |

|     |  |
|-----|--|
|     | सम्पर्क में रहती है इसके साथ ही साथ जीओ - फोन छोटी लहरों को माप सकते हैं जबकि हाईड्रोफोन संपीडित लहरों को माप सकते हैं।  |
| 4डी | टाईम-लेप्स 3डी अथवा 4डी भूकम्पीय प्रौद्योगिकी एक जलाशय के उत्पादकता काल में विभिन्न समय पर प्राप्त 3डी भूकम्पीय सर्वेक्षणों का उपयोग है। इसमें व्यवहार्यता तथा डिजाईन से अधिग्रहण एवं प्रोसेसिंग इनवर्जन से व्याख्या तक तथा अन्ततः जलाशय प्रबंधन के साथ एकीकरण तक बृहत कार्यप्रवाह शामिल है। |

## संकेताक्षरो की सूची

| संकेताक्षर रूप | पूर्ण प्रकार                                    |
|----------------|---|
| 2डी            | द्विविम   |
| 3डी            | त्रिविम   |
| ए व एए         | असम एवं असम अराकन                               |
| एपीआई          | अधिग्रहण, प्रसंस्करण एवं व्याख्या               |
| बीई            | बजट प्राक्कलन                                   |
| बीईसी          | बोली मूल्यांकन मापदंड                           |
| सीएमडी         | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक                       |
| सीपीएसई        | केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उधम                 |
| डीजीएच         | हाईड्रोकार्बन महानिदेशक                         |
| डीओसी          | वाणिज्यिकता की धोषणा                            |
| डीपीई          | सार्वजनिक उधम विभाग                             |
| ई व डी         | अन्वेषण एवं विकास                               |
| ई व पी         | अन्वेषण एवं उत्पादन                             |
| जी व जी        | भूविज्ञानी एवं भूभौतिकी                         |
| जीआईआईपी       | गैस इनिशियल इन प्लेस                            |
| जीओआई          | भारत सरकार                                      |
| एच आर          | मानव संसाधन                                     |
| आईआईएच         | इनिशियल इनप्लेस हाईड्रोकार्बन                   |
| जेवी           | सयुक्त उधम                                      |
| केजी           | कृष्णा गोदावरी                                  |
| एलडी           | निर्णीत हर्जाने                                 |
| एलकेएम         | लाइन किलामीटर                                   |
| एलओए           | स्वीकृति पत्र                                   |
| एमसी           | प्रबंधन समिति                                   |
| एमएल           | खनन पट्टा                                       |
| एमएमएससीएमडी   | मिलियन मिट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन |
| एमएमटीओई       | मिलियन मिट्रिक टन तेल इक्विवलेंट                |
| एमओडी          | रक्षा मंत्रालय                                  |
| एमओपीएनजी      | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय            |
| एमओयु          | सहमति ज्ञापन                                    |
| एमडब्लयुपी     | न्यूनतम कार्य कार्यक्रम                         |
| एनईएलपी        | नवीन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति                    |
| एनआईकेओ        | नीको संसाधन लिमिटेड                             |



|               |   |
|---------------|---|
| एनओसी         | राष्ट्रीय तेल कम्पनी                          |
| ओसी           | परिचालन समिति                                 |
| ओएनजीसी       | तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड                 |
| पीईएल         | पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस                    |
| पीआई          | हिस्सेदारी हित                                |
| पीएमएल        | पेट्रोलियम खनन पट्टा                          |
| पीएससी        | उत्पादन शेयरिंग सविंदा                        |
| पीएसई         | सार्वजनिक क्षेत्र उधम                         |
| पीबीजी        | निष्पादन बैंक गारंटी                          |
| आर एवं डी     | अनुसंधान एवं विकास                            |
| आरई           | संशोधित प्राक्कलन                             |
| आरआईएल        | रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड                    |
| वर्ग किलोमीटर | वर्ग किलोमीटर                                 |
| जीएम (O&RS)   | महा प्रबंधक (तेल ड्रिलिंग एवं संबंधित सेवाएं) |
| आईओआर         | बेहतर तेल वसूली                               |
| ईओआर          | बढ़ी हुई तेल वसूली                            |